लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २०, १९६३/१८८५ (शक)

[२७ अगस्त से ६ सितम्बर १९६३/६ श्रावण से १८ भाद्र, १८८५ (शक)]

3rd Lok Sabha

Chamber Fumigated..........

Preservation Unit
Fumigated
On........
Parliament Library

पांचवां सत्र, १९६३/१८८५ (शक)

(खण्ड २० में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

लोक-सभा

सोमवार, ९ सितम्बर, १९६३

१८ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशों में भारतीय दूतावास

†*५५४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय दूतावासों को संभरण के लिये फर्नीचर/साज-सज्जा के सामान के प्रमापीकरण पर विचार करने तथा ऐसी सभी मांगों को भारत से ही पूरा करने की संभावनाओं की खोज करने के लिये बनाये गये 'क्रय एकक' ने अपना काम पूरा कर लिया है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो एकक द्वारा कौन सी मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) 'क्रय-एकक' ने फर्नीचर/साज-सज्जा /छुरी कांटे/चीनी के बर्तनों/कांच के बर्तनों के प्रमापीकरण के कार्य से संबंधित प्रारम्भिक कार्यवाही पूरी कर ली है। अकेले फर्नीचर के लिये ही, विदेशों में हमारे दूतावासों के लिये साधारणतया जिन विभिन्न मदों की आवश्यकता होती है उनके लिये इस एकक ने लगभग ४०० डिजाइन इकट्ठे कर लिये हैं। ये मंत्रणा समिति के सम्मुख उनकी सलाह और अन्तिम स्वीकृति के लिये रखे जायेंगे। जहां तक चीनी के बर्तनों का संबंध है एक भारतीय फर्म को इनके लिये ठेका दे दिया गया है। फर्म द्वारा बनाये गये एक आधरूप (प्रोटोटाइप) की जांच की जा रही है। भारतीय छुरी-कांटों/कांच के बर्तनों के प्रमापीकरण के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

†**श्री श्री नारायण दास** : क्या बचत के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है और क्या इस क्रय एकक द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया जाना है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। परन्तु जब प्रमापीकरण हो जायेगा तो हम बहुत सी विदेशी मुद्रा बचा लेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

1242(Ai)LSD—1.

†**श्री नारायण दास** : इस क्रय एकक द्वारा किये गये कुछ सुझावों के संबंध में माननीय मंत्री ने कहा था कि उन पर विचार किया जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस संबंध में किसी अन्तिम निश्चय पर पहुंचने तक कितना समय लगेगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जहां तक चीनी के बर्तनों का संबंध है, मैंने पहले ही यह बताया है कि हमने एक ठेका दे दिया है और वह क्रियान्वित किया जा रहा है । जहां तक नरम साज-सज्जा आदि का संबंध है, वह भी बहुत सरल है क्योंकि हमारे पास सामग्री है । केवल छुरी-कांटों तथा कांच के बर्तनों के संबंध में ही कठिनाई है । हमने उन्हें सरकारी जांच के लिये अलीपुर को भेजा है और यदि वे भारतीय स्तरों के अनुरूप उतरे तो हम उनके लिये स्वीकृति दे देंगे ।

†**डा० गोविन्द दास** : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि बहुत से देशों में बहुत से दूतावासों में, जिन्हें कि मैंने स्वयं देखा है, स्थिति बड़ी दयनीय है ? क्या वह यह भी देखेंगी कि इस संबंध में बहुत अधिक कंजूसी न बरती जाये ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : कुछ दूतावासों में साज-सज्जा और अन्य वस्तुयें अच्छी हैं, परन्तु अन्य कुछ दूतावासों में ऐसी बात नहीं है । यही कारण है कि हमने यह 'क्रय एकक' बनाया है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : इन राजदूतावासों तथा अन्य कार्यालयों को जो वस्तुयें दी जायेंगी क्या उनके प्रमापीकरण करने का प्रश्न विचाराधीन है अथवा वाणिज्य दूतों और अन्य कार्यालयों के लिये पृथक पृथक प्रमाप निर्धारित किये जायेंगे ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : उद्देश्य प्रमापीकरण करने का है ।

श्रीहेम बरुआ : क्या यह सच है कि १९६१–६२ के लेखा प्रतिवेदन से (क) विदेशों में १२ भारतीय दूतावासों में फर्नीचर के लेखाओं में तथा (ख) विदेशों में १३ भारतीय दूतावासों में चांदी के बर्तनों, रेडियो सैटों और मोटरगाड़ियों आदि जैसी बहुमूल्य वस्तुओं के लेखाओं में की गई कुछ भारी अनियमितताओं और (ग) विदेश स्थित ६ भारतीय दूतावासों में अधिकारियों को निर्धारित नियमों से अधिक फर्नीचर देने के कार्य में की गई अनियमितताओं का पता लगा है ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हू कि जो व्यक्ति भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप जनता का धन बहुत नष्ट हो रहा है, उनके विरूद्ध सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : दुर्भाग्य से यह प्रश्न इस मूल प्रश्न से नहीं उठता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इससे नहीं उठता ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह उठता है, श्रीमन्.....

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रमापीकरण का इससे कोई भी संबंध नहीं है ।

†**श्रीहेम बरुआ** : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं.....

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इस प्रश्न को पूछने में पहले ही बहुत समय लगा दिया है । अब यदि वह तर्क करना चाहते हैं.....

†**श्री हेम बरुआ** : मैं तर्कों में नहीं पड़ना चाहता । मैं आपके विचारार्थ केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रमापीकरण इसके प्रश्चात ही किया जा सकता है जबकि विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में हुई इन आनयामतताओं को सरकार जान ले । इसलिये, यह प्रश्न इससे संबंधित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अध्यक्ष महोदय** : मेरा ऐसा विचार नहीं है, मुझे इसका खद है ।

†**श्री कपूर सिंह** : मैं माननीय मंत्री से इस प्रश्न का एक निश्चित उत्तर देने की प्रार्थना करूंगा कि क्या क्रम एकक को बनाने की आवश्यकता केवल अथवा मुख्यरूप से इस कारण हुई कि विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा वड़े पैमाने पर तथा अनुचित अतिव्ययिता की जा रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी, नहीं ।

राकेट या टैंक-रोधी अस्त्र

+

†*५५५. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री बसुमतारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या प्रतिरक्षा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला द्वारा २२ मई, १९६३ को हैदराबाद में दो तरह के राकेट या टैंक रोधी अस्त्र छोड़े गये थे ;

(ख) यदि हां, तो राकेटों को छोड़ने में कितनी सफलता मिली है ;

(ग) एक राकेट को छोड़ने में कुल कितना खर्च होता है ; और

(घ) इन दो राकेटों ने कितनी दूर तक उड़ान की ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां ; परन्तु राकेट २१ मई, १९६३ को छोड़े गये थे, २२ मई, १९६३ को नहीं ।

(ख) राकेटों को छोड़ने में सफलता मिली थी ।

(ग) यह एक विकास परियोजना है । प्रयोगात्मक आधार पर कई राकेट छोड़े गये थे । विकास के पूरा होने और उत्पादन के प्रारम्भ हो जाने के पश्चात ही लागत निकाली जा सकती है ।

(घ) माननीय सदस्य यह महसूस करेंगे कि यह जानकारी देना लोकहित में नहीं होगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या फ्यूचर में भी ये एक्सपेरिमेंट्स जारी रहेंगे ?

†**श्री रघुरामैया** : जी, हां । विकास के पूरा हो जाने के समय तक यह प्रयोग जारी रहेंगे ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या इन एक्सपैरिमेंट्स से कोई तथ्य इकट्ठे किये गये हैं और क्या उनके द्वारा किसी परिणाम पर किसी कानक्लूजन पर पहुंचा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया** : सभी प्रयोगों के पूरा हो जाने के पश्चात ही निष्कर्षों को समेकित किया जायेगा और किसी परिणाम पर पहुंचा जायेगा । अब इतनी जल्दी कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या टैंक-रोधी अस्त्रों अथवा राकेटों की इस अग्रिम परियोजना को पूरा करने में किन्हीं विदेशी प्रौद्योगविज्ञों की सहायता भी ली जा रही है। अथवा इसे हम स्वयं ही कर रहे हैं ? यदि हम इसे स्वयं ही कर रहे हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि जो व्यक्ति इस अग्रिम परियोजना का कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है और उनकी समुचित अर्हतायें क्या हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : हम इसे स्वयं ही कर रहे हैं । वहां के कुछ अधिकारियों को इसका अनुभव है। वे विदेशों में ब्रिटेन और अन्य देशों में रहे हैं।

श्री कछवाय : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या ये मिसाइल ज़मीन से छोड़ कर लडाकू हवाई जहाज़ को गिराने के लिए बनाये जायेंगे या हवाई जहाज़ से उड़ा कर हवाई जहाज़ को गिराने के लिए बनाये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तो माननीय सदस्य का सवाल नहीं समझा हूं । इसलिये मैं नहीं समझा सकता कि वह क्या सूचना चाहते हैं ।

श्री यशपाल सिंह : यह जानना चाहते हैं कि क्या ऊपर से हमला किया जायगा या नीचे से हमला किया जायगा ।

श्री भागवत झा आजाद : ये मिसाइल तो टैंक के बारे में हैं, हवाई जहाज़ के बारे में नहीं ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या ये प्रक्षेयास्त्र भूमि से आकाश में छोड़े जाते हैं अथवा आकाश से आकाश में ?

†**श्री रघुरामैया** : टैंक-रोधी अस्त्र भूमि से भूमि पर छोड़े जाते हैं और दूसरे भूमि से अन्तरिक्ष में ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या इस बात की गणना की गई है कि इन राकेटों को विदेशों से खरीदने की तुलना में इनका भारत में निर्माण करने में कितनी बचत होगी ?

†**श्री रघुरामैया** : जब हम इसमें अन्तिम रूप से सफल हो जायेंगे और अपना उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे तो मुझे विश्वास है कि इससे भारी बचत होगी ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : इसमें कितना समय लग जाने की आशा है कि जिस समय हम इन राकेटों की अपनी सभी आवश्यकताओं के लिये राकेटों का निर्माण कर सकेंगे ?

†**श्री रघुरामैया** : सदन इस बात की सराहना करेगा कि क्योंकि यह अभी तक एक प्रयोगात्मक स्थिति में है अतः लक्ष्यप्राप्ति की तिथि को पहले से बताना कठिन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फ़्रांस से हैलीकाप्टर

+

†*५५६. श्री यशपाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री भक्त दर्शन :
श्री पू० चं० देवभंज :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ़्रांस सरकार ने उधार पर हेलीकाप्टर बेचने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या उन्होंने इनके निर्माण के लिये भारत में एक संयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) जी, हां । ऋण की जिन शर्तों का भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया था वे बहुत आकर्षक नहीं थीं । अतएव, यह निश्चय किया गया कि कुछ हेलीकोप्टर नकद खरीद लिये जायें ।

(ख) और (ग) अलाउट्टे हैलीकोप्टर के वायुढांचे और इसके इंजन के निर्माण के लिये भारत सरकार ने दो फ़्रांसीसी फर्मों के साथ एक लाइसेंस समझौता किया है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या फ़्रांस के अलावा किसी और देश से इस मामले में बातचीत हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : यह हैलीकाप्टर अच्छा है, ऐसी सिफ़ारिश पहले से हमारे पास आई हुई थी । चूंकि हम ने यही हैलीकाप्टर लेना था, इस लिये किसी और देश से बातचीत नहीं हुई ।

श्री यशपाल सिंह : इस संयंत्र को, इस फ़ैक्टरी को, स्थापित करने में कितनी देर लगेगी ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह कहना मुश्किल है कि कितने सालों के बाद यह हो सकेगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या समाचापत्रों में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचारों में कोई सचाई है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं के पास हिमालय क्षेत्र में उड़ाने के लिय अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हैलीकोप्टरों की अब भी कमी है; यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : कमी को पूरा करने के प्रयत्नों में से यह एक है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उनका यहां निर्माण करने की यह एक दीर्घ-कालीन योजना है । तुरन्त ही इसका हल क्या है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं कह तो रहा हूं कि तुरन्त ही हम कुछ हेलीकोप्टर खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने कानपुर में हेलीकोप्टरों का निर्माण करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है अथवा अभी तक वे बंगलौर में ही इसे करने की सोच रहे हैं ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : सारा मामला विचाराधीन है क्योंकि प्रस्ताव यह था कि वायुढाचों का निर्माण हिन्दुस्तान एयर क्रैफ्ट लिमिटेड में किया जाये और इंजनों का एयर क्राफ्ट मैन्यूफैकचरिंग डिपो में निर्माण करने का प्रस्ताव था ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कानपुर में यह अधिक दक्षतापूर्वक किया जा सकता है ।

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : परन्तु, निश्चय ही, सारा मामला विचाराधीन है और अभी तक हम किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच नहीं है कि इन हेलीकोप्टरों को बेचने और भारत में इनका निर्माण प्रारम्भ करने का फ़्रांसीसी प्रस्ताव, जिसे कि उन प्रस्तावों में सर्वोत्तम समझा गया था जो कि हमारे पास आये थे, इस देश को और प्रतिरक्षा मंत्रालय को बहुत समय पहले किया गया था और फिर भी, हेलीकोप्टरों की हमारी बहुत अविलम्बनीय आवश्यकताओं के बाबजूद भी, हेलीकोप्टरों के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया ? यदि हां, तो इस मामले में बिलम्ब के क्या कारण थे ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : मेरा विचार है कि कोई निर्णय नहीं हुआ था। निश्चय ही, बहुत समय पूर्व एक सिफारिश की गई थी । यह सच है । परन्तु इन बातचीतों में भी समय लगता है और उनमें समय लगा ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : हेलीकोप्टरों की हमारी वर्तमान आवश्यकतायें कितनी हैं और जब यह कारखाना पूरा उत्पादन करने लगेगा तो इसका कुल उत्पादन कितना होगा ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : कदाचित यह एक बेठिकाने का तथा व्यापक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं बिना पूर्वसूचना के नहीं दे सकता ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : मुझे डर है कि माननीय प्रतिरक्षा मंत्री के कथन से यह स्पष्ट नहीं है कि बातचीत सरकारी माध्यमों से चलाई जा रही है अथवा सीधे ही निर्माण करने वाली फर्मों के साथ ।

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : स्वाभाविक है कि बातचीत निर्माण करने वाली कम्पनियों के साथ ही होगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस समय भारतीय वायुसेना के पास जो हेलीकोप्टर मौजूद हैं, उन में और इन नए हेलीकोप्टर्ज में जो फ़्रांस से लिये जा रहे हैं, क्या विशेष अन्तर होगा, इन में क्या विशेषतायें होंगी ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हाई आल्टीट्यूड के लिए अच्छे होते हैं और हल्के भी हैं ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या जिन हेलीकोप्टरों का हम निर्माण करने जा रहे हैं उनमें प्रारम्भिक अवस्था में बहुत से विदेशी पुर्जे होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं प्रश्न को नहीं समझा सका।

†श्री कपूर सिंह : क्या प्रारम्भिक अवस्था में इन हेलीकोप्टरों में बहुत से विदेशी पुर्जे होंगे ?

†श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह एक प्रकार का प्रगतिशील निर्माण होगा।

†अध्यक्ष महोदय : आरम्भ में ऐसा होना भी चाहिये। अगला प्रश्न।

†श्री कपूर सिंह : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनमें बहुत सारे विदेशी पुर्जे होंगे।

†अध्यक्ष महोदय : जी, हां। परन्तु वे विदेशी पुर्जों को कम करते जायेंगे।

†श्री कपूर सिंह : सच है। परन्तु क्या प्रारम्भिक अवस्था में विदेशी पुर्जे ५० प्रतिशत से भी अधिक होंगे ?

†श्री यशवन्तराव चह्वाण : जैसा कि मैंने कहा है, प्रारम्भिक अवस्था में हमें एक पर्याप्त अच्छे अनुपात में विदेशी पुर्जे लगाने होंगे। शनैः शनैः प्रगति करते हुए हम उनकी संख्या कम करते जायेंगे और अपने कारखाने में अधिकाधिक पुर्जों का उत्पादन करते जायेंगे।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या प्रारम्भ में ५० प्रतिशत से अधिक पुर्जे विदेशों से मंगाकर लगाये जायेंगे।

†श्री यशवन्त राव चह्वाण : ऐसा होना सम्भव है। मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता।

प्रश्न संख्या ५५७ के बारे में

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री रघुनाथ सिंह। वह यहां पर नहीं हैं। अगला प्रश्न।

†श्री हरि विष्णु कामत : पिछले प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए, यद्यपि जिस माननीय सदस्य ने प्रश्न की सूचना दी है वह यहां उपस्थित नहीं है फिर भी क्या आप कृपा करके माननीय मंत्री से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये कहेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं। अगला प्रश्न।

सशस्त्र सेना में भरती

†*५५८. श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री ते यह बताते की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना में भरती के लिये शिल्पिक दल विभिन्न इंजीनियरिंग, चिकित्सा सम्बन्धी तथा शिल्पिक संस्थाओं म गये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने दल गये थे; और

(ग) किन प्रदेशों में भरती पूरी हो गई है और कितने सैनिक शिल्पिक कर्मचारियों की भरती की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)**: (क) जी, हां।

(ख) १३ दल इंजीनियरिंग कालेजों और संस्थाओं में गए थे और १० दल चिकित्सा सम्बन्धी कालेजों म गथे थे।

(ग) मार्च तथा अप्रैल, १९६३ मे शिल्पिक दल (जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त) सभी राज्यों और दिल्ली के संघ-राज्य-क्षेत्र की इंजीनियरिंग संस्थाओं में गये थे। जिन अभ्यार्थियों की उन्होंने सिफारिश की थी उनमें से ७५ प्रशिक्षण के लिये भेज दिये गये हैं। ये दल पिछले महीने फिर से इंजीनियरिंग संस्थाओं में गये थे और उनके प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा की जा रही है। चिकित्सा पक्ष में, दलों ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है और अब तक दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मद्रास तथा महाराष्ट्र में उसे पूरा कर लिया है। अभी तक १४४ विद्यार्थी चुने गये हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: क्या सरकार का इरादा इन व्यक्तियों को उनके पाठ्यक्रमों को पूरा कर लेने से पहले ही भरती करो का है अथवा उनको ऐसे ही भरती करने और उनको उनके पाठ्यक्रमों को पूरा कर लेने की अनुमति देने तथा फिर उन्हें सेना की सेवाओं में आने की अनुमति देने का है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)**: वे उसी समय कमीशन के लिये पात्र बन जाते हैं जिस समय कि उन्हें चुन लिया जाता है परन्तु उनके अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही उन्हें कमीशन दिया जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: जहां तक चिकित्सा सम्बन्धी तथा शिल्पिक शाखाओं का सम्बन्ध है, विद्यार्थियों का क्या प्रत्याचार रहा है ? जिन विद्यार्थियों का इन्टरब्यू लिया गया है उनमें से कितने प्रतिशत ने सेना में आने के लिये स्वयं अपनी सेवायें अर्पित की हैं और उनमें से कितने उपयुक्त सिद्ध हुए हैं ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण**: प्रतिशत संख्या में बताना तो कदाचित् कठिन होगा परन्तु जिन विद्यार्थियों का हमने इन्टरब्यू लिया था उनकी कुल संख्या में से लगभग ४० प्रतिशत उत्तीर्ण हुए थे।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह**: क्या यह चलते फिरते चयन दल उन युवा डाक्टरों और प्रविधिज्ञों का भी इन्टरब्यू लेंगे और उन्हें भरती करेंगे जो कि पहले ही से सरकारी नौकरियों और सरकारी उपक्रमों में लगे हुए हैं ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण**: यह दल केवल विश्वविद्यालयों मे ही जा रहे हैं।

†**श्री यशपाल सिंह**: इससे हमारी रक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें किस हद तक पूरी हो जायेंगी और बाकी कितनी कमी रहेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: मैंने पहले कहा था कि इस टैक्नीकल रिक्रूटमेंट के बारे में कई मुसीबतें हैं और उस रास्ते से मुसीबतें कुछ कम होती हैं। मैं नहीं मानता हूं कि इससे पूरी वे हट जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती शारदा मुखर्जी** : इन शिलिपक कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक दिया जायेगा तथा उनके लिये जो सेवा की अन्य शर्तें रखी जायेंगी क्या वे सब बातें ऐसी ही होंगी जैसी कि जनरल ड्यूटी अधिकारियों के लिये होती हैं अथवा उनके विशेषज्ञता प्रशि को ध्या रखते हुए उनके लिये कुछ विभिन्न शर्तें रखी जायेंगी ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : मैं यह नहीं समझता कि उन्हें भिन्न शर्तें मिलेंगी, उन्हें वे ही शर्तें मिलेंगी ।

श्री क० ना० तिवारी : बहुत से हमारे मैडिकल और इंजीनियरिंग के स्टुडेंटस यू० के०, यू० एस० ए० आदि फारेन कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं । क्या वहां भी वे टीमें जायेंगी जिससे उन लोगों की सर्विसिस इस काम में ली जा सकें ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : नहीं, ये टीमें हमारे देश की यूनिवर्स्टीज़ की ही विजिट करेंगी ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात के होते हुए भी कि ये दल जम्मू और काश्मीर राज्य में नहीं गये हैं काम फिर भी इंजीनियरों और डाक्टरों दोनों ही प्रकार के उपयुक्त विद्यार्थियों ने इस प्रयोजन के लिये अपनी सेवायें अर्पित की हैं और यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : जहां तक इंजीनियरों का सम्बन्ध है कुछ विद्यार्थियों ने अपनी सेवायें अर्पित की हैं । सीमावर्ती सड़क संगठन विशेष रूप से उन्हें चाहता है । उनके साथ संपर्क स्थापित किया गया था और उनका इन्टरव्यू लिया गया था ।

†**श्री नाथ पाई** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीनी आक्रमण के तुरन्त पश्चात् ही सशस्त्र सेवाओं में इनकी जो कमी थी उसका हमें पता चल गया था, क्या इस भरती आन्दोलन के प्रति जो प्रत्याचार है वह सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप है ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : सामान्यतया मैं "हां' कहूंगा ।

†**श्री वारियर** : इन कालेजों से भरती की इस आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि, क्या इन शिल्पिक कालेजों में और अधिक स्थानों की व्यवस्था करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है जिससे कि असैनिक कार्यों के लिये इनकी कोई कमी न हो ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : मैं यह नहीं समझता कि और अधिक स्थानों की व्यवस्था करने से समस्या हल हो जायेगी ।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार का ध्यान पिछले महीने और इस महीने 'हिन्दू' में प्रकाशित संपादक के नाम आये उन अनेक पत्रों की ओर दिलाया गया है जो कि उन इंजीनियरों से आये हैं जिन्होंने कि सशस्त्र सेनाओं में कमीशन के लिये अथवा अन्य पदों के लिये प्रार्थना पत्र भेजे थे और जिन्हें कई महीने बीतने पर भी अभी तक भरती नहीं किया गया है जबकि साथ ही प्रतिरक्षा द्वारा यह शिकायत की जाती है कि शिल्पिक कर्मचारी, विशेषरूप से इंजीनियर लोग, भरती के लिये आगे नहीं आ रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री यशवन्त सिंह चह्वाण** : मैं नहीं समझता कि यह तथ्यों का यह सही कथन है, परन्तु यदि कोई विशिष्ट मामला मेरे ध्यान में लाया जाता है तो निश्चय ही मैं उसकी जांच करूंगा ।

पहाड़ी डिवीजन

***५५९. श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सेना में पहाड़ी डिवीजन स्थापित करने का जो निश्चय किया गया था, उसके बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : जैसा कि ८-४-६३ को उत्तर दिए गए, प्रश्न संख्या ७७१ में बताया गया है कि, वर्तमान डिवीज़नों में से एक, और चार नये डिवीज़न, पार्वतीय डिवीज़नों के रूप में होंगे । इन डिवीज़नों का प्रशिक्षण यथासंभव शीघ्र सम्पूर्ण करने के लिये हर प्रयत्न किया जा रहा है । इसमें अब तक कुछ प्रगति हुई भी है । जैसे जैसे निर्माण, अथवा विदेश से अधिप्राप्ति द्वारा, आवश्यक साज़-सामान प्राप्य हुआ, नई यूनिटें खड़ी करने का काम संपूर्ण किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माउंटेन डिवीज़न की तैयारी और उनकी ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) के सम्बन्ध में जो प्रगति हो रही है, क्या मंत्री महोदय उससे संतुष्ट हैं और क्या हम इस स्थिति में हैं कि इस समय हमारे सैनिक इतना प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं कि चीनी सैनिकों का सफलता के साथ मुकाबला कर सकें ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं पूरा संतुष्ट हूं लेकिन पहाड़ी सैनिकों का जो प्रशिक्षण है वह तो शूरू है । यह सब निर्भर करेगा इस पर कि इक्विपमेंट हमारे पास कितनी जल्दी पहुंचता है ।

श्री भक्त दर्शन : हाल ही में इस आशय का एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि छः माउंटेन डिवीज़न जो पहले बनाये जाने वाले थे, उनके अतिरिक्त तीन और डिविजंज की तैयारी की जा रही है । इस सम्बन्ध में क्या कोई निश्चय किया गया है, यदि हां, तो किस तरह की प्रगति हो रही है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : छः का निश्चय तो कायम है । उनमें से तीन पूरे हो गये हैं । चौथा इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा । और इस तरह से हम आगे बढ़ते जायेंगे ।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : नियमित रूप से सज्जित पहाड़ी डिवीज़नों के अतिरिक्त पहाड़ी क्षेड़ों में स्थानीय आदिम जाति के लोगों के कुछ अनियमित डिवीज़न बनाने की बात पर भी प्राचीन समय की शान्ति सीमान्त प्रदेश में सेना बनाने की तरह विचार हो रहा है ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : यह भर्ती का सामान्य प्रश्न है ।

डा० गोविन्द दास : इन पहाड़ी डिविजंज में जो सैनिक रखे जा रहे हैं या रखे जायेंगे क्या वे सब स्थानों के होंगे या इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिन को पहाड़ी आवोहवा और पहाड़ी स्थानों का कुछ खास तजुर्बा हो, ऐसे लोगों को अधिकतर पहाड़ी डिविजंज में रखा जाए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : लगता है कि पहाड़ी डिवीज़न के बारे में कुछ भ्रम है। पहाड़ी डिवीज़न का अर्थ अनिवार्य रूप से यह नहीं है कि उस में केवल पहाड़ी क्षेत्रों के ही व्यक्ति हों। यह प्रशिक्षण की व्यवस्था का और विशेषकर विशेष प्रकार के हथियारों के प्रशिक्षण का प्रश्न है जो डीवीजन प्रयोग कर सकता है? पहाड़ी डिवीज़न की ये विशेषतायें हैं?

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार और ब्रिटिश सरकार ने उन छः पहाड़ी डिवीज़नों के अतिरिक्त जो उनकी सहायता से पहले ही बनाये जा रहे हैं, और तीन पहाड़ी डिवीजनें बनाने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : मेरा यह ख्याल नहीं है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : अभी बताया गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम ठीक चल रहा है और यह सामान की उपलब्धता पर निर्भर है। आवश्यक सामान देने में कितना समय लगेगा और क्या अब तक कोई क्रयादेश दिये गये हैं?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : यह केवल प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है। यह देश में उत्पादन पर भी निर्भर है। मैं नहीं कह सकता कि इसमें कितना समय लगेगा। महीनों वर्षों में उत्तर देना कठिन है।

श्री रामेश्वरानन्द : जो भारतीय पर्वतीय हैं और जो चीनी हैं उनकी शक्ल कुछ मिलती जुलती है, तो युद्ध काल में उनका विवेचन किस तरह से हो सकेगा, इसके लिए कोई यत्न सरकार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : यह अलहदा सवाल है।

†**श्री हिम्मत सिंह** : प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे चल रहा है। क्या इसे हमारे अधिकारी चला रहे हैं? या कुछ विदेशी अधिकारियों की सहायता ले रह हैं।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : हमारे अधिकारी चला रहे हैं।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या मैं यह समझूं कि इन पहाड़ी जिवीज़नों में भर्ती किसी प्रकार के वर्ग-श्रेणीकरण के अनुसार नहीं होती और यह कि यह भर्ती केवल व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार होती है?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : गठन की पुरानी श्रेणी अब भी है। केवल यह डिवीजन बनाने के लिए श्रेणी रचना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। हां, व्यक्तियों की अन्तिम भर्ती उनकी शारीरिक योग्यता पर निर्भर है।

श्री बड़े : नेफा रिवर्सेज के वक्त यह मालूम हुआ था कि अपने पास पूरे शस्त्र और इक्विपमेंट नहीं थे। अब जो माउनटेन डिवीजन की ट्रेनिंग हो रही है तो क्या मंत्री महोदय को सन्तोष है कि उनके पास पूरे शस्त्र और इक्विपमेंट हैं?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : : मैंने इसका जवाब दे दिया है

श्री श० ना० चतुर्वेदी : पहाड़ी जिवीजनों में यह विशेष प्रशिक्षण कितने समय का है?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : बुनियादी प्रशिक्षण में लगभग २२ सप्ताह लगते हैं। परन्तु यह अवधि भी अपर्याप्त समझी जाती है। पहाड़ी डिवीज़न प्रशिक्षण इसमें अवश्य ही मिलाना होगा यह प्रशिक्षण निरन्तर है। यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक अवधि पर्याप्त है।

---

†मूल अंग्रेजी मे

\+ बोनस कमीशन

†*५६०. { श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनस कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक पेश किये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या वह रिपोर्ट प्रकाशित की जायगी ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है । फिर भी, बोनस कमीशन अपना कार्य यथा शीघ्र पूरा करने का प्रयास कर रहा है ।

(ख) हां ।

(ग) इसका निश्चय रिपोर्ट आने पर होगा ।

†श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या माननीय मंत्री जी टर्म्स आफ रिफरेंस बताने की कृपा करेंगे ?

†श्री र० कि० मालवीय : शर्तें निम्न हैं :—

(१) बोनस की परिभाषा करना और औद्योगिक रोजगार के सम्बन्ध में लाभ पर आधारित बोनस के प्रश्न पर विचार करना तथा ऐसे बोनस की गणना करने के सिद्धान्तों तथा भुगतान के ढंगों की सिफारिश करना ;

(२) यह निश्चित करना कि प्रचलित वेतनों का बोनस की मात्रा पर कितना प्रभाव पड़े;

(३) (क) यह निश्चित करना कि विभिन्न परिस्थितियों में पूर्व-व्यय क्या हो और उनकी गणना कैसे की जाये ;

(ख) वे स्थितियां निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत बोनस का भुगतान यूनिटवार, उद्योगवार और उद्योग तथा प्रदेशवार किया जाये ;

(४) इस पर विचार करना कि निश्चित राशि से अधिक मजदूरों के देय बोनस का भुगतान राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेटों के रूप में किया जाये या अन्य किसी रूप में किया जाये ;

†श्री नाथ पाई : यह सब घोषित हो चुका है ।

†श्री र० कि० मालवीय : दो और हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रजी में

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अभी यह बतलाया गया है कि इस रिपोर्ट की कोई तारीख या समय निश्चित नहीं किया गया है । तो क्या इस बात की कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी यह रिपोर्ट आ जाय और क्या इस काम में कोई प्रगति हुई है ?

श्री र० कि० मालवीय : कमिशन ने अपनी पब्लिक हिअरिंग तो करीब करीब खत्म कर ली है । अभी और मीटिंगें हो रही हैं । पिछले ५, ६ और ७ सितम्बर को दिल्ली में मीटिंग हुई थी और हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल के आखीर तक बोनस कमीशन की रिपोर्ट आ जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि देरी का सहारा लेकर जितने मिल मालिक हैं वह जो बोनस के सवाल को आपस में तय कर लेते थे उसको करना उन्होंने बन्द कर दिया है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन्स इश्यू किये जायेंगे कि समझौते के आधार पर बोनस का तय होना जारी रहे ?

श्री र० कि० मालवीय : पालिसी तो गवर्नमेंट की यह है कि जब तक कमीशन अपनी रिपोर्ट नहीं देता तब तक जो डिस्प्यूट्स इंडिविजुअल कारखानों और सर्कल की हैं उनके बारे में जो प्रोसीजर अब तक चल रहा है यह जारी रहेगा। यानी कंसिलिएशन है या अगर जरूरत पड़े तो ट्राइब्यूनल्स के जरिये बोनस की डिस्प्यूट्स को तय किया जा सकता है, और वैसा हो भी रहा है ।

†**श्री वारियर** : क्या सरकार को विदित है कि कुछ स्थानों पर बोनस की गणना लाभ विभाजन के रूप में न हो कर स्थगित मजूरी के रूप में होती है, और यदि हां, तो क्या यह कमीशन इसकी भी जांच करेगा और सिफारिश करेगा ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : मैंने निर्देश पद अभी पढ़े हैं । यदि बोनस को उनमें स्थगित मजूरी कहा गया है, तो ऐसा ही होगा ।

†**श्री ओझा** : क्या इस कमीशन की रिपोर्ट का पर्याप्त प्रभाव रखने वाले न्यायाधिकरणों या मजूरी बोर्डों की सिफारिशों पर भी पड़ेगा ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : जहां तक बैंकों का प्रश्न है, इस कमीशन की नियुक्ति के समय न्यायाधिकरण काम कर रहे थे । अतः कुछ कठिनाई हुई । ७ अक्टूबर, १९६१ को बंगलौर सम्मेलन में सामान्य सिद्धान्त यह निश्चित किया गया था कि यह अनिवार्य नहीं है कि बैंकों को बोनस कमीशन के क्षेत्राधिकार में न लिया जाये । कमीशन के निर्देश पदों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है । यह सब पर लागू है ।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बोनस कमिशन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लेबरर्स के बारे में भी विचार करेगा या नहीं ?

श्री र० कि० मालवीय : जी हां ।

पाकिस्तानियों द्वारा सीमा पर हमले

+

श्री प्राकाशवीर शास्त्री :
श्री ति० रं० लास्कर :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :

---

†मूल अंग्रेजी में

*५६१. श्रीमती ज्योत्सना चंदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री बड़े :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलश्वर मीना :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से कुछ और हमले हुये ;

(ख) इन हमलों के परिणामस्वरूप यदि कोई धन जन की हानि हुई है तो कितनी ; और

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ विरोध पत्र आदि भी भेजे गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जून, जुलाई और अगस्त १९६३ में जो घटनायें हुई थीं उनके बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच जो समझौता हुआ है उसके अनुसार भारत-पाकिस्तान की सीमा पर जो घटनायें होती हैं उन पर पहले राज्य सरकारें ही विचार करती हैं । इस तरह की सभी घटनाओं का विरोध ज़िला अधिकारियों/राज्य सरकारों के स्तर पर किया जाता है । गम्भीर घटनाओं के बारे में भारत सरकार के जरिये राजनयिक स्तर पर भी कार्रवाई की जाती है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि पाकिस्तान और चीन का जो नया समझौता हुआ है उसके पश्चात् इस प्रकार की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सीमा पुलिस के अतिरिक्त सेना को भी इन घटनाओं की रोक थाम के लिए कुछ अधिकार दे दिये गये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : यह तो कहना मुश्किल है कि चीन के साथ पाकिस्तान का जो समझौता हुआ है उसके बाद ये घटनाएं घटी हैं । ये घटनाएं तो चली आ रही हैं शुरू से ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या उन में कोई वृद्धि हुई है ?

श्री दिनेश सिंह : कोई ऐसी खास वृद्धि तो हमारे खयाल में नहीं आयी है । लेकिन आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा सेना के बारे में, तो इस सदन को पहले कई मर्तबा यह बताया जा चुका है कि सीमा के कुछ हिस्से हमारी सेना के आपरेशनल केयर में हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि सीमा पर जो इस प्रकार की घटनाओं की वृद्धि होती चली जा रही है उसका एक कारण यह भी है कि राजस्थान और पंजाब से लगती हुई जो पाकिस्तान की सीमा है वहां पाकिस्तान ने सड़क आदि बना ली हैं और पहले से अधिक फौजी पड़ाव आदि डालने आरम्भ कर दिये हैं ? यदि हां, तो यह किस क्षेत्र में विशेषकर हैं और क्या सरकार इनकी ओर से जागरूक है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दिनेश सिंह : मैं ने अभी अर्ज किया कि कोई बहुत ज्यादा वृद्धि तो हमारे खयाल में नहीं आयी है । यह तो एसी सीमा है जो कि पूरी तरह से खुली हुई है, उस में कोई नेचुरल फ्रांटियर नहीं है । इसलिए अक्सर ऐसी बाते हो जाती हैं जो ला एंड आर्डर से सम्बन्ध रखती हैं, कभी कभी इधर से या उधर से आदमी जा कर जानवर आदि उठा लाते हैं, और कुछ आपसी झगड़े भी इस में आ जाते हैं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मेरा सवाल दूसरा था ।

अध्यक्ष महोदय : उनका सवाल यह था कि क्या बार्डर पर सड़कें ही बनायी जा रही हैं या और तैयारियां भी की जा रही हैं और क्या सरकार इस तरफ ध्यान रख रही है कि ये जो सड़कें बनायी जा रही हैं या जो और चीजे की जा रही हैं ये किस गरज से की जा रही हैं ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : और किस ओर ये सड़कें बनायी जा रही हैं ?

श्री दिनेश सिंह : ये सड़कें वगैरह जो बन रही हैं उनकी ओर हमारा ध्यान है ।

श्री नि० र० लास्कर : एक दिन माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान सीमांकन के मामले सहमत होने के कोई चिह्न प्रदर्शित नहीं कर रहा है । इस दृष्टि से और इस दृष्टि से भी कि भारत–पाकिस्तान सीमा वार्ता बार बार असफल रहती है सरकार कच्छार के सीमान्त जिला लाइतांतिला जैसे क्षत्रों के वासियों का जीवन शान्तिमय बनाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान ने सीमा विवादों को सुलझाने में जिम्मेदारी से काम नहीं लिया । कुछ होता है । फिर वे मिलते हैं, दोनों ओर के अधिकारी । छोटे छोटे झगड़े हैं । कभी वे मिलते हैं और किसी बात पर सहमत हो जाते हैं; कभी सहमत नहीं होते और विवाद काफी समय तक चलता रहता है ।

जहां तक इस का प्रश्न है कि हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं, हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सामान्य कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री प० ला० बारूपाल : माननीय मंत्री जी ने अभी यह बतलाया कि पाकिस्तान की ओर से सड़कें आदि बनायी जा रही हैं उनकी ओर उनका ध्यान है । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सीमा पर जो कमजोरी है उस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है या नहीं और अपनी तरफ से भी सड़कें आदि बनायी जा रही हैं या नहीं और दूसरी तैयारी भी हो रही है या नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: एक खास संस्था है बार्डर रोड्स आरगेनाज़ेशन, जिसने मेरा खयाल है १६०० मील सड़के बना ली हैं और जोरों से बना रहा है ।

†**श्री त्यागी :** सीमा के इस ओर कथित जासूसी कार्यवाही को ध्यान में रख कर क्या सरकार ने उस क्षेत्र में अपनी गुप्तचर व्यवस्था बढ़ा दी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** गुप्तचर विभाग अनेक स्थानों पर काम कर रहा है । मैं यह नहीं बता सकता कि वह कहां कहां काम कर रहा है और न ही यह बताना उचित होगा । परन्तु इसके लिये वे उत्तरदायी हैं मेरा ख्याल है कि व काफी प्रभावी रूप में काम कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या सरकार को जम्मू तथा काश्मीर के अखनूर व चम्ब क्षत्रों में मारे गये छापों की और उन से हुई जान व माल की हानि की जानकारी है ? क्या यह जानकारी प्राप्त करते समय इस बारे में भी मालूम किया जायेगा ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं इस क्षेत्र के बारे में एकदम ब्यौरा नहीं बता सकता परन्तु हम कायवाही कर रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या प्रधान मंत्री जी को विदित है कि सीमान्त सड़क संगठन राजस्थान में कोई कार्य नहीं कर रहा है और पाकिस्तानी लोग बिना किसी को पता चले ४० या ५० मील तक अादर हमारे इलाके में आ सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता कि सीमान्त सड़क संगठन ने राजस्थान में अभी तक कार्यारम्भ किया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान लन्दन के 'डेली एक्सप्रेस' के इस समाचार की ओर आकर्षित हुआ है कि काश्मीरी विस्थापितों से बने १०,००० गुरीला साम्यवादी चीन के साथ मिल कर काश्मीर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं और यदि हां, तो क्या सरकार पाकिस्तान तथा चीन के मेल का अनुमान लगा सकी है और क्या चीन भी पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा के नक्शे बना रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह हमें विदित नहीं है, परन्तु हमें यह पता है कि ऐसी कुछ कार्यवाही हो रही है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : हम उत्तर नहीं सुन सके ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार को उन सब बातों का पता नहीं है जो माननीय सदस्य ने बताई हैं, परन्तु सरकार को हो रही बहुत सी बातों का पता है ।

†**श्री रंगा** : आशा है कि सरकार सारे प्रश्न में कही गई बातों का ध्यान रखेगी ।

यह सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रयास पर विचार किया जा रहा है या किया जायेगा कि पाकिस्तान की हम से राजस्थान में मिलने वाली कई सौ मील लम्बी सीमा की उचित रक्षा की जायेगी और सतर्क रहने के लिए वहां आवश्यक सेना रखी जायेगी ताकि वह देख सके कि वहां क्या हो रहा है और यह कि पाकिस्तान की ओर से कोई घुसपैठ न हो ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने अभी कहा था कि सीमा सड़क संगठन राजस्थान में काम नहीं करता है । इस का अर्थ यह नहीं है कि राजस्थान में सड़क नहीं बनतीं । वह संगठन मुख्यकर हिमालय प्रदेश के लिए बनाया गया था और उन्होंने अच्छा कार्य किया है । राजस्थान सीमा के बारे में, रक्षण देने के लिए माननीय सदस्य ने जो भी कहा है, हम उससे भली भांति परिचित हैं । राजस्थान में सारी समस्या डाकुओं के आने व जाने की है या कुछ पशुओं को ले जाने की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, एक औचित्य के प्रश्न पर। पिछली बार प्रधान मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान और चीन के बीच कुछ गुटबंदी है। आज उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा और उनके कहने से मैं यह समझा हूं कि उन्हें बातों का पता नहीं है .....

†श्री दी० चं० शर्मा : यह क्या है ?

†अध्यक्ष महोदय : उनका सम्बन्ध प्रो० रंगा के प्रश्न से होना चाहिये जिसका उत्तर दे दिया गया है ।

जिस स्थिति की वह बात कर रहे हैं, वह हम काफी पीछे छोड़ चुके हैं । अब हम पीछे नहीं जा सकते । हमें आग बढ़ना चाहिये । उन्होंने प्रश्न पूछा और उसका उत्तर दे दिया गया । उस समय औचित्य का कोई प्रश्न नहीं उठाया गया । अब वह खड़े हो कर कहते हैं कि काफी समय पहिले उन्होंने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा था उसके सम्बन्ध में एक औचित्य का प्रश्न है ।

†श्री हेम बरुआ : मुझे विचार जुटाने में कुछ समय लगता है ।

†अध्यक्ष महोदय : सम्भव है कि उनके लिए यह अभी की बात हो, परन्तु मैं इसे काफी पीछे छोड़ आया हूं ।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने आसाम बार्डर पर और बंगाल की तरफ ट्रैंचिज खोद दी हैं और वे ट्रैंचिज अब भी कायम हैं और इस से आसाम में और उस बार्डर पर काफी अशांतता और भयानकता छाई हुई है ? क्या शासन ने पाकिस्तान को इन चिज के ट्रैंबारे में कुछ लिखा हुआ र ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां । किसी कद्र यह सच है कि ट्रैंचिज खोदी गई हैं उधर से और हमने उन को लिखा है और उन की तवज्जह इस तरफ दिलाई है ।

गोआ में श्रमिक विधियां

†*५६२. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सचहै कि अभी तक गोआ में सभी श्रमिक विधियां लागू नहीं की गई हैं ;

(ख) क्या मई, १९६३ में बन्दरगाह तथा गोदी मजदूरों की हड़ताल हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई समझौता हुआ ; और

(घ) समझौते की शर्तें क्या हैं ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया दे खए संख्या एल० टी० १६७७ । ६३]

(ख) से (घ). गोदी मजदूरों की हड़ताल २३ मई को शुरू हुई थी और ३ जून, १९६३ को समाप्त हो गई। करार की मुख्य शर्तें निम्न हैं :—

(१) मजदूर संघ गोदी मजदूर समूह योजना स्वीकार करें, (२) रूपभेद पारस्परिक विचार-विमर्श से किये जायेंगे, (३) मुकद्दमों की व्यवस्था एकदम समाप्त कर जायेगी, (४) ३१ मार्च, १९६३ से पहले ३ मास तक काम कर रहे मजदूरों की छंटनी नहीं की जायेगी, (५) हड़ताल करते के लिये किसी को शिकार नहीं बनाया जायेगा, (६) भारत के रक्षा नियम का खंडन करने के लिये पकड़े गये

†मूल अंग्रेजी में

मजदूरों को, जो लोग हिंसा के कामों और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिये पकड़े गये उन्हें छोड़कर, छोड़ा जायगा, (७) अंतिम निर्णय तक और वार्ताकाल में पूल सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारी की देख-रेख तथा नियंत्रण में रहेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या करार लागू हो गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मामला न्यायाधिकरण को भेज दिया गया है और यह लागू किया जायगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण से प्रतीत होता है कि विधि मंत्रालय गोआ में लागू करने के लिए कुछ मजदूर कानून बना रहा है, अर्थात् कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२, आदि । वे कब बनेंगे और कब लागू होंगे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं निश्चित तारीख तो नहीं बता सकती, परन्तु जैसे ही मंत्रालय इस बारे में अपना कार्य समाप्त करता है, सरकार इसे विनियम के रूप में जारी कर देगी ।

†**डा० गायतोण्डे** : पिछली बार यहां लोह अयस्क खान मजदूर कल्याण कर अधिनियम स्वीकार किया गया था । इस दृष्टि से कि गोआ में मजदूरों की हालत अन्य स्थानों की अपेक्षा ठीक नहीं है, यह अधिनियम गोआ में कब लागू किया जायगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यदि माननीय सदस्य पटल पर रख गये विवरण का उल्लेख कर रहे हैं तो उन्हें विदित होगा कि किस प्रकार के नियम लागू किये जाते हैं और वे विधियां कौन सी हैं जो गोआ प्रशासन के विचाराधीन हैं तथा जिनके लिये सिफारिश की प्रतीक्षा है और कौन सी विधियां ऐसी हैं जिन पर सरकार विनियमों में शामिल करने के लिये विचार कर रहीं है । कठिनाई यह है कि सभी विधियों को लागू करने के लिये हमारे पास व्यवस्था नहीं है और उचित व्यवस्था के होते ही, वे लागू कर दी जायेंगी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस दृष्टि से कि वृद्ध प्रधान मंत्री पर पंचवर्षीय योजना तथा कामराज योजना सहित बहुत सी बाह्य तथा आन्तरिक समस्याओं का भार है, क्या उनके मंत्रालय से गोआ, दमन तथा डीव का प्रशासन हटाकर गृह-कार्य मंत्रालय को देना उचित न होगा, क्योंकि फिर उन प्रोग्रामों को अच्छी तरह लागू किया जा सकेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह नीति का बड़ा मामला है और यह एक सुझाव है ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : गोदी मजदूर (रोजगार विनियमन) अधिनियम तथा भारतीय गोदी मजदूर अधिनियम को लागू करने के लिये विचार करने पर इतना समय क्यों लग रहा है जब कि गोआ में मजदूरों को बड़ी समस्या गोदी के बारे में मई में उत्पन्न हुई थी और विशेष कर जब से सब महीने निकल गये और सरकार इस पर इतना समय ले रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं पहले ही बता चुकी हूं कि हमें गोआ प्रशासन से परामर्श करना है और फिर भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श लेना है और फिर हमें प्रशासन के लिये उचित व्यवस्था करनी है । विलम्ब होने के ये ही करण हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : सरकार के यह विचारने का क्या कारण है कि कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम या श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम जैसे अधिनियम न तो अनिवार्य हैं और न ही गोआ की स्थितियों में लाग होते हैं ? इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : क्योंकि गोम्रा में कोई कोयला खान नहीं है ।

†डा० कोलाको : क्या आगामी दिसम्बर तक, जब गोम्रा में लोक-तन्त्रीय निर्वाचन होकर नई सरकार बनगी, गोम्रा में मजदूर कानूनों को लागू करना स्थगित करना उचित नहीं है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह केवल सुझाव है ।

†श्री काशी नाथ पांडे : क्या बन्दरगाह मजदूरों के हड़ताल करने से पहिले, कोई समझौता, व्यवस्था या किसी समझौते की कोशिश की गई थी, और यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० क० मालवीय) : जहां तक हम जानते हैं, समझौते की कोई कोशिश नहीं की गई ।

†डा० सरोजिनी महिषी : संकट की दृष्टि से जब सरकार गोम्रा में गोदी तथा बन्दरगाह मजदूरों की हड़ताल अवैध घोषित करने वाली थी, तो घोषणा में विलम्ब करने के क्या कारण थे ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हड़ताल समाप्त हो गई । हड़ताल केवल लगभग दस दिन चली ।

नाभिकीय औषधि संस्था

+

†*५६४. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बी० चं० शर्मा : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक नाभिकीय औषधि तथा सम्बद्ध विज्ञान संस्था ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) इस संस्था की क्या विशेषतायें हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हां ।

(ख) एक 'विकिरण इकाई' अगस्त, १९५६ में प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला, दिल्ली में स्थापित किया गया था आरम्भिक चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञानों की एक स्वतन्त्र संस्था ने जून, १९६१ से कार्य आरम्भ कर दिया है ।

(ग) संस्था की विशेष बातें ये हैं :—

(१) प्रतिरक्षा अभिरुचि वाली चिकित्सा अनुसंधान समस्याओं के लिये रेडियो आइसोटोप;

(२) गलगण्ड, विभिन्न प्रकार की थाइराइड ग्रंथियों और दिल तथा रक्त की बीमारियों के इलाज के लिये रेडियो आइसोटोप का प्रयोग ;

(३) विकिरण चिकित्सा के क्षेत्र में डाक्टरों और सम्बन्धित वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण;

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) विकिरण स्वच्छता की समस्याओं पर मंत्रालय को सलाह देना ।

(५) इलेक्ट्रोन-माइक्रोस्कोपी ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या संस्था का कार्य केवल अनुसंधान स्तर पर ही है या इसका काम आम जनता पर लागू किये जाने के लिये उपलब्ध है ?

†**श्री रघुरामैया** : वास्तव में हम इस संस्था को दिल्ली विश्वविद्यालय के लिये चला रहे हैं और वह विकिरण चिकित्सा के डिप्लोमें देता है । बहुत से डाक्टर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह ज्ञान सभी कार्यों के लिये उपलब्ध होगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस समय देश के विभिन्न भागों में जो सुविधायें उपलब्ध हैं या उपलब्ध होने की संभावना है उनको तथा अनुसंधान को किसी अन्य तरीके से अपनी सम्बद्ध संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराने का सरकार का कोई विचार है ?

†**श्री रघुरामैया** : इसमें भी आण्विक शक्ति आयोग का भी सहयोग है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं समझता हूं कि वे शांति के युग में आण्विक चिकित्सा का ही विचार करते हैं। क्या आण्विक चिकित्सा के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया जा रहा है जिसे आण्विक युद्ध होने की अवस्था में प्रयोग में लाया जा सके ?

†**श्री रघुरामैया** : हम कतिपय ऊंचाई तर पहुंचने वाले विमानों पर रेडियम धर्मिता तथा इससे सम्बन्धित विषयों के बारे में बहुत से प्रयोग कर रहे हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : मा० मंत्री ने बताया है कि कुछ हमारे लोग इस संस्था से परिचित हो चुके हैं और यह प्रशिक्षण कितनी अवधि का है तथा कितने लोगों ने प्रशिक्षण पूर्ण समाप्त कर लिया है ?

†**श्री रघुरामैया** : एक वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण है । मुझे खेद है कि मैं प्रशिक्षित लोगों की संख्या नहीं बता सकता ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : अभी मा० मंत्री ने जिन विषयों का उल्लेख किया, जो संस्था में पढ़ाये जाते हैं, उनमें क्या सभी विषयों में स्थानीय लोग उपलब्ध होते हैं और यदि नहीं तो इसे पूर्ण तथा स्वतन्त्र संस्था बनाने के लिये क्या कार्यवाई की जा रही है ?

†**श्री रघुरामैया** : इस समय यह डिप्लोमे देने के मामले में स्वतन्त्र संस्था है ।

दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध

\+

†*५६५. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध राजनयिक तथा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या अभी तक इनमें से कोई भी प्रतिबन्ध भारत द्वारा अन्य किसी देश के विरुद्ध भी लगाया गया है ; और

(ग) अभी तक कितने देशों ने प्रतिबन्ध अथवा इनमें से कुछ प्रतिबन्ध दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध लगायें हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**. (क) दक्षिण अफरीका में भारत तथा भारत-पाक उद्भव के लोगोंके साथ बर्ताव का प्रश्न पहले भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में १९४६ में उठाया गया था। उसी वर्ष के अन्दर भारतीय उच्चायुक्त को दक्षिण अफरीका से वापिस बुला लिया गया और मिशन १९५४ में हटा लिया गया। जुलाई, १९४६ में, दक्षिण अफ्रीका से माल मंगवाना तथा वहां माल भेजने पर भारत ने पाबन्दी लगा दी और १९५३ में इसको आगे बढ़ा कर दक्षिण पश्चिम अफ्रीकां के समर्पित राज्य क्षेत्र में लागू कर दिया गया, जिसका प्रशासन दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया जाता है।

तब से संयुक्तराष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने दक्षिण अफ्रीका सरकार की भेदभाव वाली नीति के सम्बन्ध में हुई चर्चाओं में सक्रिय भाग लिया है, जिसके द्वारा अन्त में महासभा के सत्रहवें सत्र में संकल्प पारित हो गया, जिसमें सदस्य राज्यों से कहा गया है कि वे दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध कुछ प्रतिबन्ध लगायें। उपरोक्त संकल्प के अनुसार भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक सम्बन्ध पूर्णतया समाप्त कर दिये हैं, दक्षिण अफ्रीकी झण्डों वाले सभी जहाजों के लिये अपने पत्तन बन्द कर दिये हैं, भारतीय विमानों और जहाजों को दक्षिण अफ्रीकी पत्तनों और हवाई अड्डों पर जाने से रोक दिया है तथा हवाई अड्डों के अधिकारियों को दक्षिण अफ्रीका सरकार के अथवा दक्षिण अफ्रीका की विधि के अन्तर्गत पंजीबद्ध समवायों के जहाजों को उतरने या गुजरने की सुविधायें देने से इंकार कर देने के लिये हिदायतें दे रखी हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ सभी व्यापारी सौदे रोक दिये गये हैं। इस प्रकार भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प को पूर्णतः क्रियान्वित किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जहां तक भारत सरकार को पता है, ३९ देशों में उपरोक्त नियुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के संकल्प द्वारा वांछित सभी या कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प की दक्षिण अफ्रीका द्वारा हठपूर्ण अवहेलना की दृष्टि से, सरकार ने इस नीति पर पुनर्विचार किया है और क्या उसने इस मामले में एक नवीन रवैया अपनाया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के आगामी सत्र में लाया जाएगा, और यदि हां, तो क्या उस प्रस्तावित संचार का संकेत मिल सकता है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जैसा मैंने बताया, गत वर्ष एक विशिष्टि संकल्प पारित हुआ था और इसे अधिकतर देशों ने क्रियान्वित किया है। हमें आशा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य सदस्य भी इसको क्रियान्वित करेंगे। इस प्रश्न पर निस्सन्देह राष्ट्र संघ में चर्चा होगी, और इस समय यह चलाना कठिन है कि हमारा क्या रुख होगा।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या सरकार को बताया गया है कि इस देश से जिन वस्तुओं का निर्यात दक्षिण अफ्रीका के लिये रोका गया है, इनमें से कुछ चीजें किन्हीं अन्य देशों की मार्फत वहां पहुंच जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दिनेश सिंह : कभी कभी ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, और हमने हमेशा ही अपने विनियमों की ओर ध्यान आकर्षित कराके उन सरकारों को कहा है ।

श्री ओंकारलाल बेरवा: कितने ऐसे देश हैं जो भारत की नीति का समर्थन तो करते हैं, लेकिन प्रतिबन्ध उन्होंने नहीं लगाये ?

श्री दिनेश सिंह: मैंने कहा है कि अभी ३६ ने तो प्रतिबन्ध लगा दिये हैं, बाकी लोगों ने पूरी तरह से नहीं लगाये हैं ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के सम्मेलन के प्रतिनिधि अफ्रीकी राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ से सिफारिश की है कि दक्षिण अफ्रीका को उस विश्व संघ से निकाल देना चाहिये । यदि हां, तो सरकार ने इस सिफारिश की क्रियान्विति की दशा में क्या कदम उठाये हैं ?

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सरकार अन्य राष्ट्र वर्गों के अनुसार काम करना चाहती है, जिन्होंने यह सुझाव दिया है । इसमें कुछ कठिनाइयां हैं, जो उन्होंने बताई हैं और अन्ततोगत्वा जो संकल्प पारित हुआ था, जहां तक मुझे मालूम है, दक्षिण अफ्रीका को निकालने का नहीं था बल्कि उसे उपस्थित न रहने देने का था । यही संकल्प पारित हुआ था और मैं समझता हूं कि दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि उसके बाद उपस्थित नहीं हुए ।

डा० गोविन्द दास : अभी माननीय मन्त्री ने कहा कि हमारे अतिरिक्त कुछ और देशों ने अब ये आर्थिक प्रतिबन्ध दक्षिण अफ्रीका पर लगाये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से प्रधान कौन से देश हैं और क्या और कुछ देशों से भी इस तरह की बातचीत चल रही है कि इस प्रकार के आर्थिक प्रतिबन्ध दक्षिण अफ्रीका पर लगाये जायें ?

श्री दिनेश सिंह : यू० एन० का रेजोल्यूशन है कि लोग इस तरह का प्रतिबन्ध लगायें । उसके अनुसार ३६ देशों ने इस वक्त लगा दिये हैं । और लोग हम आशा करते हैं कि लगायेंगे ।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या भारतीयों ने, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के लोगों ने समय समय पर दक्षिण अफ्रीका में अपने न्यायोचित अधिकारों के लिये संघर्ष करने में सरकार की मन्त्रणा मांगी है । यदि हां, तो दक्षिण अफ्रीका में उनके संगठनों को क्या सलाह दी गई है ?

†श्री दिनेश सिंह : यह अस्पष्ट सामान्य प्रश्न है । जब कभी मन्त्रणा मांगी गई होगी, विशिष्ट मामलों पर कुछ मन्त्रणा अवश्य दी गई होगी ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या कोई मन्त्रणा मांगी गई है और दी गई है ?

†श्री दिनेश सिंह : संयुक्त राष्ट्र संघ में साधारण प्रश्न इसी आधार पर है ?

†श्री हरि विष्णु कामत : मैं इस सरकार के परामर्श के बारे में पूछ रहा हूं ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : भूतकाल में, कभी कभी, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के लोगों या इन संगठनों ने हमारे साथ समपर्क रखा । मुझे पता नहीं कि हाल ही में कोई निश्चित राय मांगी गई है । हम जो कुछ करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से करते हैं । हम सीधे काम नहीं कर सकते । राष्ट्र संघ में कुछ प्रतिनिधि आ सकते हैं और हमारे लोगों तथा अन्य लोगों से परामर्श कर सकते हैं । किन्तु मैं नहीं समझता कि सरकार को कोई सीधी प्रार्थना की गई है या कोई राय मांगी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह समझा जाए कि भारत सरकार और वहां पर भारतीय संघों के बीच कोई सम्पर्क नहीं । स्थिति क्या है? उन्होंने कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही कार्रवाई करते हैं । क्या सरकार और वहां के भारतीय संघों के बीच सम्पर्क नहीं ?

†अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न बात है । उन्होंने कहा कि सीधे हमसे कोई राय मांगी नहीं गई न ही दी गई ।

†श्री हरि विष्णु कामत : उत्तर बड़ा असन्तोषजनक है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या ये प्रतिबन्ध खेलों के क्षेत्र पर भी लागू होते हैं ?

†श्री दिनेश सिंह : राजनयिक तथा आर्थिक सम्बन्धों के क्षेत्र में प्रतिबन्ध हैं । जहां तक खेलों का सम्बन्ध है, एक भिन्न निकाय इसका नियन्त्रण करता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विदेशी नौसैनिक अड्डे

†५५७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्द महासागर में विभिन्न राष्ट्रों के कितने नौसैनिक अड्डे इस समय कायम हैं या काम कर रहे हैं । ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : हिन्द महासागर में अन्य राष्ट्रों के २२ असैनिक अड्डे हैं ।

नागालैंड में चीन समर्थक इश्तहारों का वितरण

†*५६३. श्री प्र० के० देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल से १ जुलाई, १९६३ तक नागा विद्रोहियों ने नागालैण्ड में चीन समर्थक इश्तहार बांटे थे; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जांच से मालूम नहीं हुआ है कि विद्रोही नागाओं ने चीनी समर्थक इश्तहार बांटे हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोआ में विकास योजनायें

†*५६६. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री १९ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) गोआ मे विभिन्न विकास योजनाओं की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

†वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक विस्तृत विकास योजना बनाई गई है जिसमें कृषि, मत्स्य पालन, बन, पत्तन विद्युत् परियोजना, उद्योग, निर्माण, तथा सड़कों पुलों, आदि की मरम्मत का काम आ जाता है। तथा इसके अन्तर्गत सामुदायिक विकास खण्ड तथा सहकारी समितियों की स्थापना की है।

१९६४-६५ में इन योजनाओं पर व्यय लगभग ८६.२४ लाख रुपया तथा चालू वित्तीय वर्ष में २.५२ करोड़ रुपये का आय व्ययक उपबन्ध किया गया था जिसमें से १ करोड़ रुपया व्यय हो चुका है।

सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार प्रगति सन्तोषजनक देखी जा सकती है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१७६८/६३।]

तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन

†*५६७. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में तटस्थ राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन बुलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हा, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) सरकार का निकट भविष्य में तटस्थ देशों का शिखर सम्मेलन बुलाने का कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर में सेना में कमीशन

†*५६८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्मी मेडिकल कोर तथा आर्मी इंजीनियरिंग कोर में अर्हता प्राप्त युवकों को कमीशन प्राप्त अफसरों के रूप में भरती कराने के सेना आन्दोलन में राज्यों की सहायता मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिक्रिया सामान्यतः अपने पक्ष में है।

इजरायल के साथ राजनयिक संबंध

†*५६९. श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारस्परिक आधार पर इजरायल में एक भारतीय वाणिज्य दूतावास स्थापित करने के औचित्य अथवा आवश्यकता पर विचार किया है क्योंकि एक इजरायली वाणिज्य दूतावास कई वर्षों से भारत में काम कर रहा है ;

(ख) यदि हा, तो उस के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). भारत सरकार ने इजरायल में वाणिज्य दूतावास स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा है क्योंकि इसके औचित्य के लिए वहां पर पर्याप्त वाणिज्यिक काम नहीं है ।

नौसेना के लिये युद्धपोत

†*५७०. श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री बसुमतारी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपने देश में युद्धपोतों के निर्माण के सिलसिले में नौसेना का एक प्रतिनिधिमण्डल ब्रिटेन तथा स्वीडन गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधिमण्डल ने सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ग) सरकार ने उनके प्रतिवेदन को किस सीमा तक स्वीकार कर लिया है ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जी हां । प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है ।

आकाशवाणी द्वारा प्रयुक्त भाषा

†*५७१. श्री यशपाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी द्वारा प्रयुक्त भाषा को सरल बनाने पर विचार करने के लिये नियुक्त समिति की कितनी सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है ;

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई तिथि निश्चित कर दी गई है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्रालय के भार साधक मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) कोई नहीं । धीरे धीरे सभी सिफारिशें लागू की जा रही हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विजाग नौसैनिक अड्डा

†*५७२. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री बजराज सिंह कोटा :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजाग नौसैनिक अड्डे की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो काम कब तक आरम्भ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख). विशाखापटनम में बड़ा नौसैनिक अड्डा तथा डॉकयार्ड स्थापना की योजना को उपयुक्त प्रावस्था आश्रित कार्यक्रम के द्वारा सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। घाट बनाने की योजना तथा डिजाइन बना लिये गये हैं तथा काम के लिए टेंडर मंगाये गये हैं। वर्कशाप के नक्शे बनाये जा रहे हैं तथा आशा है कि अगले महीने टेंडर जारी कर दिये जायेंगे।

योजना आयोग में कर्मचारियों की स्थिति

*५७३. श्री भक्त दर्शन :
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० के० देव :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या योजना मंत्री २९ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग में काम के अनुसार कर्मचारियों की स्थिति तथा प्रबन्ध के सम्बन्ध में जो पुनर्विचार किया जा रहा था, उसका क्या परिणाम निकला; और

(ख) क्या सरकार सचिवालय का पुनर्गठन करने के बारे में विचार कर रही है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) साल के शुरू में योजना आयोग में कर्मचारियों की स्थिति और कार्य सम्बन्धी प्रबन्ध के बारे में एक पुनरीक्षण किया और अन्य बातों के साथ साथ निम्न निष्कर्ष निकाले गए :—

(१) असाधारण रूप में योजना आयोग का बहुत से विषयों से सम्बन्ध है। इनमें से बहुतों के लिए छोटी छोटी यूनिटें हैं। कुछ मामलों के बारे में योजना आयोग को अधिक सक्रिय होने के लिए इन यूनिटों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पड़ती है।

(२) कुछ मामलों में, नियोजन के किस्म को सुधारने तथा तात्कालिक समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से तीसरी योजना की रिपोर्ट पूरी होने के बाद नए कार्य हाथ में लिए गए हैं। काफी हद तक नए कार्यों को पूरा करने के लिए वर्तमान कर्मचारियों में से कर्मचारी लगाए गए।

(३) समुचित किस्म के कर्मचारियों को पाना मुश्किल था अतः स्वीकृत पदों में से काफी पद अभी भी खाली हैं और इन्हें भरने की कोशिश की जा रही है।

(४) प्रारम्भ किए गए हरकारा सेवा के परिणामस्वरूप योजना आयोग ने भारत सरकार में स्वीकृत सामान्य दर के आधार पर मिलने वाले चपरासियों की संख्या की अपेक्षा कम चपरासियों से अपना काम चलाया।

(५) काम की किस्म को सुधारने के लिए योजना आयोग सब कुछ कर रहा है और करेगा और संगठन में प्रत्येक व्यक्ति से अच्छे से अच्छा काम लेगा। सभी तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि योजना आयोग में अधिक स्टाफ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) चौथी योजना को तैयार करने के सम्बन्ध में शायद कर्मचारियों की स्थिति पर पुनः विचार करना होगा जिससे कि कुछ अनुभागों को सुदृढ़ किया जा सके।

(ख) जी हां।

आगरा के निकट भारतीय वायुसेना के विमान की दुर्घटना

†*५७४. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सरजू पांडेय :
श्री अ० व० राघवन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० कें० देव :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३ जून, १९६३ को अथवा उसके आसपास की किसी तिथि को भारतीय वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुये ; और

(ग) दुर्घटना के क्या कारण थे ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) हत . . . पांच
आहत . . . कोई नहीं।

(ग) जांच न्यायालय के आदेश दे दिए गए हैं। प्रतिवेदन पर अन्तिम फैसला हो जाने के बाद दुर्घटना के कारणों का पता लगेगा।

प्रेस के लिये आचार संहिता

†*५७५. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री गो० महन्ती :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रेस सलाहकार समिति द्वारा बनाई गई आचार संहिता का पालन किये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने प्रेस का सहयोग मांगा है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भारसाधक मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : जी हां।

ग्वालियर में सैनिकों के लिये बैरकें

*५७६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुरार, ग्वालियर में सैनिकों के लिये कुछ बैरकें बनवाई गई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्वालियर की बहुत सी बैरकें प्रयोग में आने से पहले ही मई के दूसरे सप्ताह में आंधी से गिर गईं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस लापरवाही की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिये कोई प्रयत्न किये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) बैरकें अभी बन रही थीं ।

(ख) बिना छतों की ९ अधूरी निर्माणाधीन बैरकों की, कुछ बिना पलास्टर की दीवारों के अंश, प्रचण्ड गति के तूफान के कारण, मई, १९६३ में गिर गए थे । वह अभी रिहाइश के लिए प्रयोग में नहीं आ रही थीं, क्योंकि वह अभी अधूरी थीं ।

(ग) चूंकि क्षति के अवसर पर बैरकें अभी ठेकेदारों के प्रभार में थीं, सरकार को कोई हानि नहीं उठानी पड़ी । ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं, कि इमारतों का निर्माण विस्तृत विवरण के अनुसार नहीं हो रहा था ।

हिन्द महासागर

†*५७७. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हेम राज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडोनेशिया की सरकार ने औपचारिक रूप से तथा सरकारी रूप से हिन्द महासागर का नाम 'इंडोनेशियन ओशन' रख दिया है ;

(ख) क्या इंडोनेशिया सरकार से इस बारे में कोई पत्र मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**विदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि इंडोनेशिया नैवल कमान ने यह घोषणा की है कि हिन्द महासागर का नाम इंडोनेशिया ओशन रख दिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय श्रम अनुसंधान संस्था

†*५७८. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम अनुसंधान संस्था ने काम आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर स्थापित है तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) इस संस्था के लिये फोर्ड फाउन्डेशन से कितनी सहायता मिलने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० भट्टाभिरामन) : (क) अभी नहीं ।

(ख) संस्था नई दिल्ली में स्थापित होगी । संस्था के मुख्य उद्देश्य दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—१६७६/६३।]

(ग) फोर्ड फाउन्डेशन ने अमरीका के कारनेल विश्वविद्यालय के औद्योगिक सम्पर्क स्कूल को ४,३२,००० डालर की स्वीकृति दी है जिससे विदेशी विशेषज्ञ सलाहकारों की व्यवस्था करके, कारनेल विश्वविद्यालय में संस्था के कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधा दे कर तथा संस्था के लिए पुस्तकों तथा उपकरण की व्यवस्था करके संस्था की सहायता की जा सके ।

नेफा में आदिम जातियों का कल्याण

†*५७६. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा आरम्भ किये गये कार्यक्रम के अधीन नेफा तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी तथा मैदानी इलाकों में आदिम जातियों के कल्याण के लिये कोई योजना लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसको किस सीमा तक लागू कर दिया गया है ?

†वैदेशिक-कार्य-मंत्री के सभा सचिव (श्री डा० एरिंग): (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में नेफा तथा नागालैंड की अधिकांश जनता आदिमजाति की है । इन क्षेत्रों के सभी खर्चे के लिए केन्द्र धन देता है तथा समस्त विकास कार्यक्रम आदिम जाति कल्याण के लिए होता है ।

आसाम, मनीपुर, तथा त्रिपुरा में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए केन्द्र द्वारा चालू योजनाओं के लिए विशेष उपलब्ध किए गए हैं ।

(ख) और (ग). आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा, नागालैंड तथा नेफा की योजनाओं तथा उनकी क्रियान्विति के ब्यौरे सभा पटल पर रखे जाते हैं । [पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—१६८०/६३ ।]

नौसेना के लिये जहाज

†१६११. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में भारतीय नौसेना के लिए विदेशों से (देशवार) कितने नये जहाज खरीदे गये थे ; और

(ख) प्रत्येक जहाज का क्या मूल्य है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) १९६२–६३ में विदेशों से नौसेना के लिये कोई नया जहाज नहीं खरीदा गया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बेकार स्नातक

†१६१२. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जुलाई, १९६३ को देश के काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में कितने बकार स्नातक हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: ३० जन, १९६३ को ६९,९५९ । ३१ जुलाई, १९६३ तक की जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आंकड़े आधे वर्ष के उपलब्ध नहीं हैं ।

सम्बलपुर में ट्रांसमीटर

†१६१३. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्बलपुर (उड़ीसा) में २० किलोवाट के मीडियम वेव ट्रांसमीटर के निर्माण की नवीनतम प्रगति क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)**: सम्बलपुर में २० किलोवाट मीडियम ट्रांसमीटर २६ मई, १९६३ को चालू हो गया था ।

उड़ीसा काम दलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध महिलायें

†१६१४. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

(क) ३० जून, १९६३ को उड़ीसा के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध महिलाओं की (स्नातकों और गैर-स्नातकों दोनों की) संख्या क्या है ; और

(ख) जिनको जनवरी-जन, १९६३ की अवधि में नौकरी दिलाई गयी, उनकी संख्या क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: (क) और (ख)

आवेदन करने वालों की श्रेणी	३० जून, १९६३ को चालू रजिस्टर में दर्ज हुई संख्या	जनवरी-जून के दौरान नौकरी प्राप्त करने वालों की संख्या
स्नातक	४६	३
मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट	११८	३०
मैट्रिक से नीचे (अशिक्षितो सहित)	१,८०८	५३०
कुल	१,९७२	५६३

†भूल अंग्रेजी में

राजस्थान के काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध महिलायें

†१६१५. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९६३ को राजस्थान के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध महिलाओं की स्नातकों और गैर-स्नातकों दोनों की संख्या क्या है ; और

(ख) जिनको जनवरी-जून १९६३ की अवधि में नौकरी दिलाई गयी, उनकी संख्या क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्रि (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) और (ख).

आवेदन करने वालों की संख्या	३० जून, १९६३ को चालू रजिस्टर पर दर्ज हुई संख्या	जनवरी-जून १९६३ के दौरान नौकरी प्राप्त करने वालों की संख्या
स्नातक	३०९	२२
मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट	१,८०७	१३२
मैट्रिक के नीचे (अशिक्षतों सहित)	२,७८९	२९१
कुल	४,९०५	४४५

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

†१६१६. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में इस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों क कर्मचारियों की संख्या क्या है ; और

(ख) ऐसे कितने व्यक्ति इस समय श्रेणी १ व श्रेणी २ के 'गजटेड' पद धारण किये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :

(क) ४६

(ख) श्रेणी १ १
श्रेणी २ २

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी

†१६१७. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में श्रेणी १ और श्रेणी २ के 'गजटेड' अधिकारियों की संख्या

†मूल अंग्रेजी में

क्या है ; और

(ख) उपरोक्त अधिकारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) श्रेणी १ ५५८

श्रेणी २ १०६७

(ख) श्रेणी १ ९

श्रेणी २ २५ ।

उड़ीसा में सैनिक स्कूल

१६१८. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर में सैनिक स्कूल की इमारत बनाने के लिए उड़ीसा सरकार को अनुदान अथवा ऋण के रूप में दिये जाने वाली राशि क्या है ;

(ख) वर्तमान सैनिक स्कूल में कितने छात्र दाखिल किये जा सकते हैं ;

(ग) क्या यह भी प्रस्थापना है कि भविष्य में और अधिक छात्रों को प्रवेश दिया जाय ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कोई नहीं ।

(ख) इस समय स्कूल में ३१० लड़के हैं जब कि उसमें ४३५ लड़के लिए जा सकते हैं ।

(ग) और (घ). जी हां, अगले शिक्षा वर्ष में १२५ और लड़के लिये जाने की योजना है, जो कि जनवरी, १९६४ से आरम्भ होगा ।

आकाशवाणी के स्थायी कर्मचारी

†१६१९. श्री लहरी सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वेतन आयोग की इस सिफारिश के अनुसार कि ८० प्रतिशत अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाय, आकाशवाणी के दस वर्ष की या इससे अधिक सेवा वाले कितने कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

महाराष्ट्र में बेकारी

†१६२०. श्री दे० शि० पाटिल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में महाराष्ट्र में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या थी ; और

(ख) इन बेरोजगारों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) ३१ दिसम्बर, १९६२ को काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज शिक्षित बेरोजगारों की संख्या ५९,८०८ थी ।

(ख) अनुसूचित जाति . ५८२३

अनुसूचित आदिम जाति . ४३४

महाराष्ट्र में ग्राम्य औद्योगिक परियोजनायें

†१६२१. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के प्रथम वर्ष में महाराष्ट्र राज्य में कितनी ग्राम्य औद्योगिक परियोजनायें चल रही थीं ; और

(ख) इसी अवधि में इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितना रुपया दिया गया ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) १९६२-६३ महाराष्ट्र में राज्य को चार ग्राम्य उद्योग परियोजनायें आवंटित की गई हैं ।

(ख) १९६२–६३ में राज्य सरकार को १ लाख रुपये की धनराशि दी गई थी और १९६३–६४ के लिये कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिये १२ लाख रुपये की धन राशि निर्धारित की गई है ।

गोआ में तैनात किये गये केन्द्रीय सेवा के अधिकारी

†१६२२. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के कितने अधिकारी तैनात किये गये हैं और वे किन पदों पर लगे हुए हैं;

(ख) गोआ प्रशासन में विशेष रूप से शान्ति और व्यवस्था विभाग में वरिष्ठ पदों पर कितने गोआनी लोग लगे हुए हैं; और

(ग) गोआ की स्वतंत्रता के पश्चात् कितने गोआनी अधिकारी पदच्युत किये गये हैं, सेवोन्मुक्त किये गये हैं अथवा सेवानिवृत्त किये गये हैं; और

(घ) स्वतंत्रता के पश्चात् कितने अधिकारियों ने अपने पदों से भारावमुक्त किये जाने की प्रार्थना की हैं ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी—३ :

(१) मुख्य सचिव;

(२) विकास आयुक्त;

(३) सचिव, उद्योग तथा श्रम;

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी—२

(१) पुलिस का वरिष्ठ अधीक्षक;

(२) पुलिस का सहायक अधीक्षक;

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सेवा के अधिकारी—४

(१) लेखा निदेशक;

(२) वित्त सचिव;

(३) मन्त्रणादाता, आयात निर्यात व्यापार नियंत्रण;

(४) मन्त्रणादाता, सीमाशुल्क ।

(ख) ९ गोआनी वरिष्ठ पदों पर हैं, उन में से ४ के अधिकार में शान्ति तथा व्यवस्था है ।

(ग) स्वतंत्रता के पश्चात् १ गोआनी अधिकारी पदच्युत किया गया है, ७० अस्वस्थता के कारण सेवानिवृत्त हुए हैं और ९० वार्धक्य के कारण सेवानिवृत्त हुए हैं ।

(घ) स्वतंत्रता के पश्चात् १६७ अधिकारियों को उनकी अपनी प्रार्थना पर उनके पदों से भारावमुक्त किया गया था ।

भारतीय सेना अधिकारी

†१६२३. **श्री प्र० के० देव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सेना अधिकारी इथोपिया में सैनिक अकादमी के चलाने के कार्य में इथोपिया सरकार की सहायता करने के लिये वहां भेजे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके नियोजन की शर्तें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) इथोपिया की शाही सरकार की प्रार्थना पर, भारत सरकार ने ५ सेना अधिकारियों का एक दल इथोपिया को भेजा है । ये लोग हेल सेलासी १ सैनिक अकादमी में कमांडेंट तथा शिक्षकों के रूप में नियुक्त कर लिये गये हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें इन अधिकारियों के नियोजन की मुख्य-मुख्य शर्तें दी हुई हैं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १६८१/६३]**

भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में नाइजीरिया के लोग

†१६२४. **श्री प्र० के० देव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षण के लिये नाइजीरिया के कुछ युवसैनिकों को दाखिला दिया जा रहा हैं; और

(ख) क्या नाइजीरिया से कुछ नौसेना युवसैनिक तथा वायुसेना युवसैनिक भी प्रशिक्षण के लिये आ रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी, हां । भारतीय सैनिक अकादमी में इस समय ३५ हैं ।

(ख) इस समय नाइजीरिया के ८ नौसेना युवसैनिक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी खड़कवासला, में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और वायु सेना उड्डयन कालेज, जोधपुर में ६ युवसैनिक हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जवानों के लिये कानूनी सहायता

†१६२५. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा की रक्षा करने वाले जवानों के परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिये कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) भारत की वकील परिषद् ने न्यायालय की उस मुकदमेबाजी के सम्बन्ध में जिसमें कि सैनिक कर्मचारी अथवा उनके आश्रित उलझे हुए हैं सैनिक कर्मचारियों को निःशुल्क कानूनी सलाह देने के लिये एक योजना बनाई है।

(ख) (१) योजना के अधीन भारत की वकील परिषद् ने केवल उच्च न्यायालयों की ही नहीं अपितु जिला न्यायालयों की भी भारत में सभी वकील परिषदों को निदेश जारी कर दिये हैं जिनमें उन से कहा गया है कि वे भारत की सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों की रक्षा के लिये निःशुल्क कानूनी सहायता के कार्य के सम्बन्ध में प्रबन्ध करने, निदेश देने और पर्यवेक्षण करने के लिये कानूनी सहायता तथा प्रतिरक्षा समितियां बनायें।

(२) प्रत्येक वकील परिषद् अपने न्यायालय अथवा न्यायालयों के प्रधान अधिष्ठाता के साथ ऐसी व्यवस्था करेगी जिस से कि, ऐसे किसी भी मामले के सम्बन्ध में जिससे कि सेनाओं का एक कर्मचारी सम्बन्धित है, सैनिक कर्मचारी को दिये गये किसी भी नोटिस अथवा आदेशिका की एक प्रतिलिपि साथ ही साथ वकील परिषद् को अथवा, परिषद् द्वारा नियुक्त की गई, वैधिक सहायता समिति के अध्यक्ष को दी जायेगी।

(३) परिषद् अथवा कानूनी सहायता समिति ऐसे सभी वकीलों की एक सूची तैयार करेगी जोकि निःशुल्क वैधिक सहायता देने के लिये तैयार हैं और फिर सेनाओं के स्थानीय कमांडर से सम्पर्क स्थापित करेगी और उसे ऐसी समिति के बन जाने की सूचना देगी जिससे कि जब कभी किसी सैनिक कर्मचारी को कानूनी सलाह अथवा सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो वह समिति को इसकी सूचना देगा जोकि इस प्रयोजन के लिये एक अधिवक्ता के नाम का सुझाव उस को देगी। तब जिस अधिवक्ता का नाम बताया गया है उसके साथ सहायता के प्रार्थी का सम्पर्क स्थापित हो जायेगा।

(४) यह सुनिश्चित करने के लिये कि सहायता की एक प्रार्थना पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है, जहां कहीं भी सम्भव होगा समिति कुछ ऐसे व्यक्तियों अथवा अभिकरण को नियुक्त अथवा नामनिर्देशित करेगी जोकि ऐसी प्रार्थनाओं के सम्बन्ध में कार्य करने के लिये किसी निर्दिष्ट समय पर किसी विशेष स्थान पर उपलब्ध होंगे।

उत्कृष्ट फिल्मों का निर्माण

†१६२६. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कृष्ट फिल्मों का निर्माण करने के मार्गोपायों पर चर्चा करने के हेतु विचार-गोष्ठियों का आयोजन करने के लिये हाल ही में फिल्म उद्योग को एक सुझाव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विचार-गोष्ठियों का आयोजन करने के लिये सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है ।

†सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां । सूचना और प्रसारण मंत्री ने एक अौपचारिक बैठक में यह सुझाव दिया था ।

(ख) अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये विदेशी मुद्रा

†१६२७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारियों के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के अनुमान लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ग) उन्हें किस प्रकार पूरी करने का विचार है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिरक्षा तैयारियों के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को बताना लोक हित में नहीं होगा ।

(ग) विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को जहां तक सम्भव हो सके आंशिक रूप से हमारे अपने संसाधनों से और आंशिक रूप से विदेशी मित्र देशों की सहायता से पूरा करने का विचार है ।

कोडइकनाल में उत्तुंग प्रयोगशाला[1]

†१६२८. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में कोडइकनाल में उत्तुंग प्रयोगशाला का निर्माण करने की योजना में कोई परिवर्तन किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या योजना और प्राक्कलन तैयार किये जा चुके हैं ; और

(ग) निर्माण के कब प्रारम्भ होने की संभावना है ?

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी नहीं । कोडइकनाल में एक उत्तुंग अन्तरिक्ष रश्मि प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय अभी स्थिर है ।

(ख) उपयोगकर्त्ताओं की आवश्यकतायें निश्चित कर ली गई हैं। प्रयोगशाला के लिये अपेक्षित भूमि मद्रास सरकार के माध्यम से अर्जित कर ली गई है और भवन का डिजाइन तैयार करने के लिय वास्तुशिल्पी नियुक्त कर दिये गये हैं ।

(ग) यह आशा की जाती है कि प्रयोगशाला के भवन का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में किसी समय अथवा अधिक से अधिक अगले वर्ष के प्रारम्भिक भाग में किसी समय प्रारम्भ हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]High Altitude Laboratory.

केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली में अग्निकांड

†१६२९. **श्री प्र० च० बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय, नई देहली के साउथ ब्लाक में आग लग गई थी जोकि गृह-कार्य मंत्रालय के एक भंडार कक्ष से प्रारम्भ हुई थी और जिससे सेना मुख्यालय के कुछ कागजात नष्ट हो गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस अग्निकांड में किस प्रकार के कागजात नष्ट हुये थे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) जी, हां परन्तु जिस भंडार-कक्ष में आग लग गई थी वह सेना मुख्यालय के अधिकार में है और उसमें कोई फाइलें अथवा अभिलेख नहीं रखे हुये थे। पुरानी पत्रिकाओं की केवल कुछ प्रतियां अग्नि से नष्ट हुई थीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

नागा

†१६३०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार महीनों में कुछ नागाओं को इस अपराध के लिये पकड़ा गया है कि उनके पास सैनिक वर्दियां और बिना लाइसेंस के हथियार और गोलाबारूद पकड़े गये थे तथा कुछ ऐसी धनराशि मिली थी जिसका लेखा नहीं था ;. और

(ख) यदि हां, तो ऐसे नागाओं की संख्या कितनी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) और (ख). १ मार्च से लेकर ३० जून, १९६३ तक १९५ विद्रोही नागाओं को इस अपराध के लिये पकड़ा गया था कि उनके पास बिना लाइसेंस वाले हथियार, कोला बारूद, दस्तावेज, उपकरण और सैनिक कपड़े पाये गये थे ।

जम्मू में पाकिस्तानियों द्वारा छापा

†१६३१. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ जून, १९६३ को अथवा इसके लगभग कुछ सशस्त्र पाकिस्तानी जम्मू के निकट युद्ध विराम रेखा को पार करके सेंठ ग्राम में घुस आये थे और उन्होंने एक ग्रामीण को मार दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां। मई २७/२८ की रात्रि को चार पाकिस्तानी राइफलों और एक कुल्हाड़े से सज्जित होकर ग्राम सेंठ, थाना खोर, जिला जम्मू के एक निवासी के घर में घुस गये, उसे कुल्हाड़े से मार दिया और

†मूल अंग्रेजी में

कुछ गोलियां छोड़ने के पश्चात् भाग गये। यह घटना जम्मू और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई, युद्ध विराम रेखा पर नहीं।

(ख) जम्मू जिले के पुलिस अधीक्षक ने उस स्थान का दौरा किया और जांच के लिये थाना खोर में एक मामला दर्ज कर लिया गया था।

गोआ में हिन्दी शिक्षण

†१६३२. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ, दमन दीव और माही के निवासियों और बच्चों को हिन्दी पढ़ाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : १९६२-६३ के शिक्षा वर्ष से गोआ, दमन और दीव के प्राइमरी स्कूलों में हिन्दी ऐच्छिक विषय के रूप में और सैकेन्डरी तथा हाई स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है। प्राइमरी स्कूलों के कोई १३,००० विद्यार्थी और सैकेन्डरी स्कूलों के करीब १५,००० विद्यार्थी हिन्दी पढ़ रहे हैं। गोआ में दो गैर-सरकारी संस्थायें लोगों में हिन्दी पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न कर रही हैं इस संस्थाओं के नाम हैं :—राष्ट्रभाषा सभा, पंजिम और गोआ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, मारगोआ।

२. माही क्षेत्र के सैकेन्डरी स्कूलों में छठे से ग्यारहवें स्टेन्डर्ड तक हिन्दी ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। करीब ४०३ विद्यार्थियों ने हिन्दी ली है। विद्यार्थियों और आम लोगों के फायदे के लिये वहां का शिक्षा विभाग कक्षायें लगाता है।

नेफा में सुधार

†१६३३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री सरजू पांडेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में लागू किये गये सुधार किस प्रकार के हैं ; और

(ख) उन सुधारों को कार्यरूप में लाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). नेफा के सम्पूर्ण विकास कार्यक्रम का लोगों के प्रतिदिन के जीवन में सुधार पर प्रभाव पड़ा है। जनजातीय लड़ाइयों, कुलवैरों और परम्परागत कठिन शारीरिक दंडों के उन्मूलन तथा अफीम, घसता और कुछ सामन्तीय भू-धृति पद्धतियों की समस्याओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। ब्यौरे सभा-पटल पर रख दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखे गये। कृपया देखिये संख्या एल० टी०-१६८२/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

रिजर्व बैंक, कानपुर के कर्मचारी

†१६३४. { श्री गो० महन्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून के प्रथम सप्ताह में रिजर्व बैंक, कानपुर के कर्मचारियों और नियोजकों के बीच कोई झगड़ा हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) और (ख). जून के प्रथम सप्ताह में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध निकाय के साथ कोई भी औपचारिक औद्योगिक विवाद नहीं खड़ा हुआ था तथापि, यह समाचार मिले हैं कि बैंक के कानपुर कार्यालय के प्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष के विरुद्ध अपनी अभिकथित परिवदनाओं को व्यक्त करने के लिये कर्मचारी संघों ने ६ जून, १९६३ को एक प्रदर्शन किया था।

तथापि, जून १९६३ के द्वितीय सप्ताह में, रिजर्व बैंक आफ इंडिया कर्मचारी संघ ने प्रादेशिक श्रम आयुक्त, कानपुर के सम्मुख कुछ प्रश्न रखें। क्योंकि ये प्रश्न पूर्णतः प्रशासनिक थे अतः संघ को यह सलाह दी गई थी कि औद्योगिक संबंध निकाय से हस्तक्षेप करने के लिये प्रार्थना करने से पूर्व वह समस्त प्रशासकीय उपायों को करे। तदनुसार, संबंधित कर्मचारियों ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया के समुपयुक्त प्राधिकारियों से परित्राण के लिये अपील की है।

नेशनल एसेम्बली में पाकिस्तान के मंत्री का वक्तव्य

†१६३५. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान १९ जून, १९६३ को पाकिस्तान नेशनल एसेम्बली की बैठक में पाकिस्तान के प्रतिरक्षा सभा सचिव (पार्लियामेंटरी सेक्रटरी फार डिफेंस) द्वारा अभिव्यक्त किये गये इन विचारों की ओर दिलाया गया है, अर्थात् "पाकिस्तान काश्मीर पर आक्रमण नहीं कर रहा क्योंकि हो सकता है कि इस दौरान हम पूर्वी पाकिस्तान से हाथ धो बैठें" और "यद्यपि पूर्वी क्षेत्र आक्रमणीय था परन्तु यदि भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को हड़पने का प्रयत्न नहीं किया तो वह इस कारण कि उसके पश्चिमी क्षेत्रों का पाकिस्तानी सेना अतिक्रमण कर देगी" ;

(ख) इन अभिव्यक्तियों के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) जैसाकि पाकिस्तान के प्रतिरक्षा सभा-सचिव द्वारा संकेत किया गया है, हमारे पश्चिमी क्षेत्रों को पाकिस्तानी सेना द्वारा अतिक्रमण किये जाने से बचाने के लिये क्या उचित व्यवस्था कर ली गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) वक्तव्य में यह जो आक्षेप लगाया गया है कि भारत पूर्वी पाकिस्तान को हड़पने का प्रयत्न कर सकता है वह शरारतभरा और निराधार है । यह सुविख्यात है कि भारत किसी भी पड़ौसी के क्षेत्र की लालसा नहीं करता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान से विद्रोही नागाओं का प्रवेश

†१६३६. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले महीने के लगभग अन्त में विद्रोही नागाओं का दूसरा जत्था पूर्वी पाकिस्तान में से होकर नागालैंड में पुनः प्रवेश कर गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि वे लगभग उसी मार्ग पर आये थे जिसे कि पहले दल ने पूर्वी पाकिस्तान से नागालैंड लौटते समय अपनाया था ;

(ग) क्या इस दूसरे समूह के लौटने से उस पूर्ण दल की संख्या पूरी हो जाती है जो कि एक वर्ष पहले पूर्वी पाकिस्तान में भागकर घुस गया था ; और

(घ) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में उनके एक वर्ष के प्रवास में उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण तथा बहुत से हथियार प्राप्त कर लिये हैं ?

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :(क) और (ख). यह सच नहीं है कि मई, १९६३ के लगभग अन्त में विद्रोही नागाओं का एक जत्था पूर्वी पाकिस्तान से होकर नागालैंड में पुनः प्रवेश कर गया ।

प्राप्त समाचारों के अनुसार फरवरी/मार्च, १९६३ के लगभग १७० विद्रोही नागा लोग नागालैंड को वापस लौटे थे जो कि दो दलों में भिन्न-भिन्न मार्गों से होकर आये थे ।

(ग) उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि जो विद्रोही नागा मई, १९६२ में पूर्वी पाकिस्तान को चले गये थे वे सभी अब नागालैंड को वापस लौट आये हैं ।

(घ) यद्यपि समाचारों से यह पता चलता है कि विद्रोही नागाओं ने और अधिक हथियार प्राप्त कर लिये हैं और कुछ प्रशिक्षण भी लिया है, परन्तु अभी तक इसकी पुष्टि करने के लिये कोई जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी पाकिस्तान द्वारा कलकत्ता बन्दरगाह का उपयोग

†१६३७. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० के० देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झंझावात से चटगांव बन्दरगाह को क्षति पहुंचने के कारण सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की कलकत्ता बन्दरगाह का उपयोग करने की अनुमति दी थी ?

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी, हां। पाकिस्तान सरकार ने हमसे औपचारिक रूप से यह प्रार्थना की थी कि हाल ही में आये झंझावात से हुई क्षति के कारण जिस अल्पकालीन अवधि में चटगांव बन्दरगाह अस्तव्यस्त अवस्था में रहेगा उसके दौरान सामान्य विदेशी नौभांड को प्राप्त करने के लिये कलकत्ता बन्दरगाह की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति उनको दी जाय। हम इन सुविधाओं को देने के लिये सहमत हो गये, जिनके ब्यौरों के संबंध में उनके अधिकारियों द्वारा हमारे कलकत्ता स्थित अधिकारियों से बातचीत की जानी थी। अभी तक पाकिस्तान ने हमारे प्रस्ताव से लाभ नहीं उठाया है।

हज यात्री

†१६३८. श्री प्र० के० देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश से मक्का को जाने वाले हज यात्रियों की संख्या पर कोई सीमा लगा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो वह कितनी है ; और

(ग) १९६२–६३ में गये हज यात्रियों की संख्या कितनी है ?

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). विदेशी मुद्रा संसाधनों, यात्रा सुविधाओं आदि की उपलब्धि के अनुसार हज यात्रियों की संख्या प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है।

(ग) १५,१३५ (शिशुओं को मिलाकर)।

भारत–चीन सीमा विवाद

†१६३९. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के चीन के साथ विवाद में जिन देशों ने अब तक भारत के पक्ष के समर्थन में अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उनकी संख्या तथा नाम क्या हैं ?

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : भारत के साथ चीन के विवाद में अभी तक ६३ देशों ने भारत के पक्ष के लिये अपनी सहानुभूति अथवा समर्थन की भावनायें व्यक्त की हैं। उनके नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखि ो संख्या एल० टी०—१६८३/१९६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

कोलम्बो सम्मेलन के छः देशों ने कोलम्बो प्रस्तावों में अपना रुख प्रगट किया है जिसे कि भारत ने सम्पूर्णतया स्वीकार कर लिया है और जिस पर चीन अभी तक भी भारी संकोच कर रहा है जिसका प्रभाव कि प्रस्तावों को ठुकराने के बराबर है।

सोवियत रूस को मिलाकर अन्य अनेक देशों ने इस मामले में चीन के रुख की आलोचना की है।

विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिये "पैट्रियाट"

१६४०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय राजदूतावासों एवं उनके प्रमुख अधिकारियों को एक परिपत्र भेजा गया है, जिस में उन से पूछा गया है कि दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक "पैट्रियाट" की कितनी प्रतियां उन के लिये अपेक्षित हैं ;

(ख) क्या किन्हीं विदेश स्थित भारतीय दूतावासों से इस परिपत्र के उत्तर भी प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कहा-कहां से और उन उत्तरों में क्या लिखा हुआ है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) भारतीय राजदूतावासों और उन के मुख्य अधिकारियों को ऐसा कोई परिपत्र (सर्कुलर) नहीं भेजा गया था जिस में उन से यह पूछा गया हो कि उन्हें "पैट्रियाट" की कितनी प्रतियों की जरूरत होगी। जैसा कि सामान्य तरीका है। शुरू-शुरू में भारतीय मिशनों को इस अखबार की एक-एक प्रति भेजी गई थी और उन से कहा गया था कि यदि वे अखबार को नियमित रूप से न लेना चाहें तो बन्द कर दें। मंत्रालय जब किसी ऐसे पत्र की ओर मिशनों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है जिस में कि उनकी दिलचस्पी हो सकती हो तो वह यही तरीका अपनाता है जो बहुत पहले से चला आ रहा है। इस मामले में भी ऐसा ही किया गया था।

(ख) और (ग). प्रश्न के भाग (क) का जहां तक संबंध है, यह सवाल उठता ही नहीं क्योंकि मिशनों से यह नहीं पूछा था कि उन्हें "पैट्रियाट" की कितनी प्रतियों की जरूरत होगी। हां, अब तक २६ ने "पैट्रियाट" लेना बंद कर दिया है।

एमरजेंसी कमीशन

†१६४१. **श्री हेम राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार एमरजेंसी कमीशन ट्रेनिंग के लिए कितने व्यक्तियों का चुनाव किया गया है ;

(ख) राज्यवार तब से कितने व्यक्ति ट्रेनिंग में शामिल हो गये हैं ; और

(ग) कितने व्यक्तियों ने राज्यवार ट्रेनिंग में शामिल होने के बाद त्यागपत्र दे दिया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :** (क) ३०-८-१९६३ को सूचना के अनुसार. ७.१४६ व्यक्तियों का चुनाव किया गया तथा ट्रेनिंग के लिये उनको भेजा गया। इसकी राज्यवार संख्या उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त भाग (क) के वर्णित संख्या में से ६.९३६ ट्रेनिंग में शामिल हुए। १७-८-१९६३ को जो ट्रेनिंग में आये उन ६,३३९ व्यक्तियों के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध हैं जो नीचे दिए जाते हैं :—

राज्य	ट्रेनिंग में शामिल हुए व्यक्ति
आंध्र प्रदेश	१८१
आसाम	८२
बिहार	१०६
बंगाल	१८८
दिल्ली	५२४
गुजरात	२५
हिमाचल प्रदेश	६३
जम्मू तथा काश्मीर	१३५
केरल	२२२
मध्य प्रदेश	१३५
मद्रास	२९५
महाराष्ट्र	३६८
मनीपुर	४
मैसूर	२३७
नागालैंड	५
उड़ीसा	१६
पंजाब	२,३४१
पांडीचेरी	४
राजस्थान	२४८
उत्तर प्रदेश	१,१५८
गोआ	१
त्रिपुरा	१
जोड़	६,३३९

(ग) १७-८-१९६३ तक प्राप्त सूचना के अनुसार ट्रेनिंग में शामिल होने के बाद त्याग पत्र देने वाले व्यक्तियों के राज्यवार आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

राज्य	ट्रेनिंग में शामिल होने के बाद त्याग-पत्र देने वालों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	२५
आसाम	४
बिहार	७
बंगाल	१४
दिल्ली	२७
गुजरात	२
हिमाचल प्रदेश	—
जम्मू तथा काश्मीर	७
केरल	१२
मध्य प्रदेश	१०
मद्रास	३२
महाराष्ट्र	२१
मनीपुर	—
मैसूर	१४
नागालैंड	—
उड़ीसा	१
पंजाब	५६
पांडिचेरी	—
राजस्थान	१०
उत्तर प्रदेश	३४
गोआ	—
त्रिपुरा	—
जोड़	२७६

३०-८-१९६३ तक त्याग पत्र देने वालों की संख्या ३०९ है परन्तु इनका राज्य वार विभाजन मालूम नहीं है।

सी० ओ० डी० कानपुर

†१६४२. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० ओ० डी० कानपुर में वर्क्स कमेटी के चुनाव नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दो वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है ;

(ग) इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) शीघ्र चुनाव कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) से (घ). औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम १९५७ में निर्धारित सी० ओ० डी० कानपुर की वर्क्स कमेटी के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की दो वर्ष की अवधि दिसम्बर, १९६२ में समाप्त हो गई थी। सेंट्रल आर्डनेंस डिपो, कानपुर के असैनिक कर्मचारी २८-११-६२ से सेना अधिनियम के अन्तर्गत आ गये थे और इस लिए यह कानूनी तौर पर आवश्यक नहीं था कि वर्क्स कमेटी बनाई जाये। परन्तु पुरानी कमेटी काम करती रही थी।

यद्यपि कानूनी तौर पर आवश्यक नहीं था परन्तु फिर भी डिपो में वर्क्स कमेटी के लिए नये चुनाव कराने के प्रश्न की जांच की गई और यह तर्क पाया गया कि सी० ओ० डी० कानपुर की वर्क्स कमेटी में उपरोक्त नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया में नये चुनाव कराये जायें और इस संबन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

औद्योगिक कर्मचारियों को 'अर्जित छुट्टी'

†१६४३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा स्थापनाओं में काम करने वाले औद्योगिक कर्मचारियों को 'अर्जित छुट्टी' देने के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) शीघ्र निर्णय करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) क्या वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पर यह सिफारिश १ जुलाई, १९५९ से लागू होगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) जी हां।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार की सभी स्थापनाओं में काम करने वाले सभी औद्योगिक कर्मचारियों को 'अर्जित छुट्टी' देने के बारे में वेतन आयोग की सिफारिश विचाराधीन है। यह एक सामान्य प्रश्न है और इस पर प्रतिरक्षा स्थापनाओं के कर्मचारियों के बारे में ही अलग से निर्णय नहीं लिया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) वेतन आयोग ने यह सिफारिश नहीं की है कि इसको किसी विशेष तिथि से लागू किया जाना चाहिये । मुख्य मामले पर अन्तिम निर्णय लिये जाने के बाद इस मामले पर भी विचार किया जायेगा ।

अखबारी कागज के कोटे का आवंटन

†१६४४. **श्री शिव मूर्ति स्वामी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने समाचार पत्रों (दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा त्रैमासिक) को प्रकाशन के लिए अखबारी कागज का कौटा मिल रहा है ;

(ख) प्रादेशिक भाषाओं को अखबारी कागज़ के संभरण के बारे में क्या सिद्धान्त अपनाया गया है;

(ग) क्या भाषा के समाचार पत्रों की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो निकट भविष्य में उन की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सख्या २५—आई० टी० सी० (पी० एन०)/६३, दिनांक ३० मार्च, १९६३ में सभी समाचार पत्रों को अखबारी कागज के आवंटन के सिद्धान्त दिए गए हैं।

(ग) जी हां ।

(घ) भारतीय भाषा समाचार पत्र संस्था के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है कि ऐसे छोटे समाचार पत्रों, जो ५ मीट्रिक टन लेने के अधिकारी हैं, को सीधा लाइसेंस दिया जाना चाहिये । तथा कितने अखबारी काग़ज का पूरा कोटा जितने के वह अधिकारी हैं, दिया जाना चाहिए । सार्वजनिक सूचना की घोषणा में अखबारी कागज के आवंटन क आधार में परिवर्तन के सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि अखबारी काग़ज के लिए विदेशी मुद्रा का सीमित आवंटन किया गया है ।

शॉट गन के लिये कारतूस

†१६४५. **श्री हेम राज :**
श्री कृष्ण पाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्पोर्टिंग राइफलों (आखेट राइफलों) तथा शॉट गनों (छर्रे वाली बन्दूकों) के लिये देश में कारतूस आदि की कितनी आवश्यकता है ;

(ख) भारत में कितनी मात्रा का उत्पादन होता है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कितनी मात्रा का आयात किया जाता है और उस में कितनी विदेशी मुद्रा लगती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). आयुध कारखानों में निर्मित स्पोर्टिंग राइफलों तथा शॉट गनों के लिये कारतूस आदि की किस्मों के बारे में स्थिति संलग्न विवरण में दिखाई गई है ।

विवरण

क्रम संख्या	मद	१९६२ में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर वार्षिक असैनिक आवश्यकतायें (अनुमानतः)	१९६२–६३ में असैनिकों के लिये आयुध कारखानों में उत्पादित कुल मात्रा
१	१२ बोर शॉट गन (छर्रेदार बन्दूक) के कारतूस	१२० लाख गोलियां (राउण्ड)	३८.१६ लाख गोलियां (राउण्ड)
२	२२ राइफल की गोली	३० लाख गोलियां (राउण्ड)	२०.६३ लाख गोलियां (राउण्ड)
३	८ एम० एम० /.३१५ राइफल की गोली	अधिक नहीं	१० लाख गोलियां (राउण्ड)*

*असैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला उत्पादन दिसम्बर, १९६२ से बन्द है । आयुध कारखानों की क्षमता देश की सारी मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त थी ।

(ग) १९६२–६३ में गोली आदि के आयात की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित थे :—

गोला–बारूद की किस्म	आयातित मात्रा	आयात का मूल्य
(१) शांट गन (छर्रेदार बन्दूकों) के कारतूस	११.७० लाख (राउण्ड)	२,२९,००० रुपये
(२) राइफल तथा अन्य कारतूस	२.५४	५४,००० रुपये

आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा की ठीक राशि तत्काल ही उपललब्ध नहीं है ।

कृषि उत्पादन पर भूमि सुधारों का प्रभाव

†१६४६. **श्री श० ना० चतुर्वदी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि उत्पादिकता पर भूमि सुधारों के प्रभाव का कोई ठीक ठीक निर्धारण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पटाभिरामन)**: (क) और (ख). पिछले १५ वर्षों में देश के सभी भागों में भूमि सुधार तथा अनेक विकासोन्मुख उपाय किये गये हैं। भूमि सुधार के उपायों तथा विकास कार्यक्रमों के प्रभावों को अलग अलग बताना तो बहुत ही कठिन है। इसलिये कृषि उत्पादकता पर भूमि सुधारों के प्रभाव के ठीक-ठीक निर्धारण के लिये देशव्यापी जांच करना संभव नहीं हो सका है। योजना आयोग की अनुसन्धान कार्यक्रम समिति द्वारा पुरोनिधान किये गये भूमि सुधार सम्बन्धी कुछ सर्वेक्षणों ने कृषि उत्पादन पर ऐसे उपायों का प्रभाव का उल्लेख किया है; जैसे कि :—

(१) हैदराबाद में जमींदारी उन्मूलन के प्रभाव—डा० ए० एम० खुसरो

(२) सौराष्ट्र में भमि सुधारों के प्रभाव—प्रो० आर० आर० मिश्र

(३) पश्चिम बंगाल में भूमि सुधरों के प्रभाव—सर्वश्री एस० के० बसु तथा भट्टाचार्य।

इन सर्वेक्षणों को कुछ समय पूर्व प्रकाशित किया गया था।

भूतपूर्व सैनिकों के वेतन-क्रम

†१६४७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १२ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५०७ आर्मी बेस वर्कशाप, कनकीनर्हि, के पेंशन पाने वाले तथा पेंशन न पाने वाले बाकी के भूतपूर्व सैनिकों का वेतन पुनरक्षित वेतन क्रमों में अन्तिम रूप से निर्धारित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)**: (क) ९७ में से ८८ मामलों में अन्तिम रूप से वेतन निर्धारित कर दिया गया है।

(ख) बाकी के ९ मामलों में सेवा के ब्योरों की सम्बन्धित प्रशासनिक तथा लेखापरीक्षा प्राधिकारों द्वारा पड़ताल की जा रही है। अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होते ही इस मामलों को भी अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

वायुयान के लिये उत्पादन एकक

†१६४८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डमडम, पश्चिम बंगाल में वायुयान के लिये एक उत्पादन एकक खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या ग्लाइडर तथा पेट्रोल इंजन बनाने तथा इंजनों का पुनरुद्धार करने वाला एक संगठन पहले ही चल रहा है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरमैया)**: (क) जी नहीं।

(ख) डमडम में सरकार के अधीन ऐसा कोई संगठन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) डमडम में ऐसे किसी संगठन की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है ।

टैंकों का निर्माण

१६४९. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में टैंकों के निर्माण के लिये फ्रांसीसी प्रस्ताव आया है और वहां के विशेषज्ञ शीघ्र ही दिल्ली आने वाले हैं;

(ख) भारत सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसके निर्माण में लगभग कितना रूपया लग जायेगा, इसमें विदेशी मुद्रा कितनी होगी और उपरोक्त कारखाने के निर्माण की शर्तें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). टैंक की लागत, सम्बद्ध विदेशीय मुद्रा इत्यादि का गणन, फ्रांसीसी-दल से बात-चीत के दौरान में किया जाएगा । यह आधार-सामग्री प्राप्त होने पर ही कोई निश्चय किया जाएगा ।

रासायनिक उद्योगों के मजदूर

१६५०. **श्री बाल कृष्ण सिंह :**
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केमिकल कारखानों में जहरीली गैस के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से मजदूरों के बचाव के लिये सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) केमिकल कारखानों में जहरीली गैस के कारण होने वाली दुर्घटना से मजदूरों के बचाव के लिये कारखाना अधिनियम, १९४८ और उसके अधीन राज्य सरकारों द्वारा बनाए गये नियमों में पर्याप्त व्यवस्था है ।

(ख) कारखाना आधनियम, १९४८ के अधीन केमिकल कारखानों के लिये आदर्श नियम बनाए गए थे और उन्हें राज्य सरकारों को अनुपालन के लिये भेज दिया गया था । ९ राज्य सरकारें इन नियमों का आवश्यक संशोधनों सहित अनुपालन कर रही हैं । इन नियमों में गृह-व्यवस्था; खाद्य संग्रहण; राज रासायनिक पदार्थों के अनुचित प्रयोग कर रोक; औजारों के परीक्षण; रासायनिक पदार्थों को पैक करने और उनके संग्रहण व परिवहन; आग से बचाव; विस्फोट-क्षतिमय; गैस, वाष्प, धुंआ या धूल, संक्षारक या विषैले पदार्थों से क्षतिभय; व्यक्तियों के इलाज; वैयक्तिक संरक्षी उपकरण; बचाव के साधन; डाक्टरी परीक्षा आदि की व्यवस्था है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता के लिये ट्रांसमिटर

†१६५१. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वायस आफ अमेरिका के साथ कलकत्ता में एक शक्तिशाली ट्रांसमिटर सेट के सम्बन्ध में बातचीत में यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है; और

(ख) बातचीत करने का भार किसे सौंपा गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) अमरीकी दूतावास के साथ अभी बातचीत चल रही है ।

(ख) बातचीत करने का भार वैदेशिक सचिव को सौंपा गया है ।

पारपत्र कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

१६५२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री कछवाय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा लखनऊ स्थित प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयों में हिन्दी के पत्रों का उत्तर हिन्दी में भेजने की व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ख) क्या इन कार्यालयों में हिन्दी कार्य के लिये हिन्दी ज्ञाता कर्मचारियों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा उन्हें हिन्दी टाइपराइटर दे दिए गये हैं ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

सैनिक मेडिकल कोर

†१६५३. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १५ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल० एम० एस० डाक्टरों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर निर्णय कर लिये गये हैं; और

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ के भाग १ में दी हुई अनुज्ञप्तिधारी अर्हताओं को सैनिक मेडिकल कोर में कमिशन दिये जाने के लिये मान्यता दे दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ की तीसरी अनुसूची के भाग १ में दी हुई अनुज्ञप्तिधारी अर्हताओं को सैनिक मेडिकल कोर में कमिशन दिये जाने के लिये मान्यता नहीं दी गई है। इस समय इस बारे में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

'नाट' लड़ाकू जेट

†१६५४. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड द्वारा "नाट" लड़ाकू विमानों के निर्माण में काफी कमी आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). कुछ अत्यावश्यक रूपभेदों को स्थान देने के लिये "नाट" वायुयानों का निर्माण धीमा कर दिया गया था।

(ग) रूपभेदों को पूरा करने के लिये सरकार हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को प्रत्येक संभव सहायता दे रही है और इस सम्बन्ध में की जा रही प्रगति पर लगातार निगाह रखे हुए हैं।

उड़ीसा में सैनिक प्रशिक्षण स्कूल

†१६५५. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तीसरी योजनावधि के दौरान उड़ीसा में एक सैनिक प्रशिक्षण स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सैनिक भूमि का बकाया किराया

†१६५६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक भूमि का बहुत सारा किराया बकाया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ३१ मार्च, १९६२ तथा ३१ मार्च, १९६३ को बकाया राशि कितनी थी तथा इन वर्षों में कुल संग्रहण की तुलना में इसकी प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) क्या सरकार सम्बन्धित विभाग के कार्यकरण की जांच करवाने का विचार रखती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) नहीं ।

पांडिचेरी के लिये 'प्रकृष्ट न्यायाधिकरण'

†१६५७. **श्री उमानाथ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी के "प्रकृष्ट न्यायाधिकरण" को पांडिचेरी का उच्च न्यायालय बनाने तथा एक न्यायिक आयुक्त नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). सरकार पांडिचेरी में एक न्यायिक आयुक्त का न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव की जांच कर रही है । मामला अभी विचाराधीन है ।

कपड़ा उद्योग के लिये कर्मचारी भविष्य निधि योजना

†१६५८. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन अंशदान ६¼ से ८ प्रतिशत तक बढ़ा दिये जाने पर कपड़ा उद्योग की भुगतान क्षमता का पता लगाने के लिये, एक प्रविधिक समिति नियुक्त की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब बनाये जाने की संभावना है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) नहीं । कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के अधीन केन्द्रीय सरकार से यह अपेक्षित है कि वह किसी संस्थापन अथवा संस्थापनों के वर्ग पर अंशदान की बढ़ी हुई ८ परसेंट की दर लागू करने से पहले ऐसी जांच करवाये जो वह उचित समझती हो । विगत विगतकाल में प्रविधिक समिति द्वारा जांच विलम्बकारी तथा मेंहगी सिद्ध हुई है । निस्संदेह, अंशदान की दर ६¼ से ८ परसेंट बढ़ाने से पहले कपड़ा उद्योग द्वारा उसका भुगतान कर सकने की क्षमता सुनिश्चित की जायेगी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोरखपुर में खनिकों का होस्टल

†१६५९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिकों के जिस होस्टल में गोरखपुर के मजदूर रहते हैं उसकी दशा की जांच करने के लिये एक समिति बनाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश-पद तथा उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) हां । एक समिति बना दी गई है ।

(ख) समिति के निर्देश-पद तथा सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

निर्देश-पद : (१) ऐसे विस्तृत प्रस्ताव तैयार करना जिस से कि भारत सरकार खनिकों के वर्तमान होस्टलों को अपने हाथ में ले सके और कोयला खान कल्याण आयुक्त द्वारा उनका प्रशासन कर सके तथा जब-तब आवश्यकता हो इस प्रकार के नये होस्टल बना भी सके और उनका प्रशासन कर सके ।

(२) गोरखपुर के श्रमिकों को उन के स्थान पर भेजने की पुरानी पद्धति की जांच करना और यह सुनिश्चित करने के लिये मार्गोपाय बताना कि जो श्रमिक स्थायी तौर पर खपना चाहते हैं उन्हें वापिस उन के स्थान पर न भेजा जाए तथा इस संबंध में श्रमिकों में कोई भेदभाव न किया जाए ।

(३) इस बात की जांच करना कि गोरखपुर डिपो द्वारा भर्ती किये गये व्यक्तियों के रोजगार का स्तर कैसे सुरक्षित बनाये रखा जा सकता है ।

(४) कोयला खनन उद्योग में खनिकों की टोलियों के सरदारों की वर्तमान पद्धति (कोयला खान विनियमों के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अर्हताप्राप्त खनन सरदारों से पूर्णतः अलग) की जांच करना और पद्धति में यदि कोई परिवर्तन आवश्यक समझे जाते हों तो उनकी सिफारिश करना ।

सदस्यों के नाम :

श्री आर० एल० मेहता, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय — **अध्यक्ष**

सदस्य

श्री आर० लाल, भारतीय खनन संस्था	कोयला खानों के मालिकों के प्रतिनिधि
श्री डी० सी० सिंघी, भारतीय खनन संघ	
श्री एल० जे० पाठक, भारतीय कोयला खान मालिक संघ	
श्री एफ० मेकनील, मध्य प्रदेश और विदर्भ खनन संघ	

†मूल अंग्रेजी में

श्री आर० एन० शर्मा, सदस्य, विधान सभा, भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस
डा० (श्रीमती) सीता परमानन्द, संसद् सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस
श्री टी० बी० विट्ठल राव, अखिल भारतीय कार्मिक संघ
श्री एस० के० रुद्रा, एच० एम० एस०
} कोयला खानों के श्रमिकों के प्रतिनिधि

श्री भाग सिंह, कोयला खान कल्याण आयुक्त, धनवाद।

श्री आर० सी० सक्सेना, अवर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय। सचिव।

चीनी वायुयान द्वारा भारतीय वायुक्षेत्र का अतिक्रमण

१६६०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १९ अगस्त, १९६३ के तारांकित **प्रश्न** संख्या १२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत ६ मई, १९६३ को जो चीनी वायुयान भारतीय वायु-क्षेत्र का अतिक्रमण कर के साठ मील तक घुस आया था, वह किस स्थान तक भारतीय सीमा में आया था ; और

(ख) वह चीनी विमान कितनी देर तक भारतीय सीमा के अन्दर रहा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख). अतिक्रमण के सरकार को प्राप्य विस्तरण, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के पत्र दिनांक २१ मई, १९६३ में दिए गए हैं, जो १६ अगस्त, १९६३ को लोक-सभा पटल पर रखे गए ; वाईट पेपर संख्या ९ के पृष्ठों, ७५ तथा ७६ पर छापा गया है।

आसाम में सैनिक स्कूल

†१६६१. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में इस समय कोई सैनिक स्कूल काम कर रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसकी शीघ्र स्थापना के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) जी नहीं।

(ख) आसाम सरकार अपने राज्य में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने पर सहमत हो गई है और स्कूल के लिये स्थान तथा अन्य विस्तृत ब्यौरा तैयार करने का कार्य राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियत एक विशेष समिति को सौंप दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला

†१६६२. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला इस समस्या पर विचार कर रही है कि सैनिकों को ऊंचाई वाले स्थानों पर वर्तमान परम्परागत दूभर तरीकों के बजाय अन्य रूप में आक्सीजन कैसे सप्लाई की जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली की प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला में ऊंचे स्थानों पर सैनिकों द्वारा प्रयुक्त करने के लिये आक्सीजन की सप्लाई के रासायनिक स्त्रोत के विकास का अनुसंधान किया जा रहा है। आक्सीजन के उद्भव के विभिन्न रसायनों की सहायता से कार्य संचालन स्थितियां बनाई जा रही हैं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा खर्च न की गई रकम

†१६६३ **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा १९५७–५८ से प्रत्येक वर्ष के अंत में खर्च न होने अथवा व्यपगत होने के कारण कितनी रकमें लौटाई गई हैं ; और

(ख) इसके लिये प्रत्येक मामले में क्या क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या १६८४/६३**]।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

सरकार द्वारा तेल की नीति का कथित पुनरीक्षण

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें :

सरकार द्वारा तेल नीति का तथाकथित पुनरीक्षण जिससे गैर सरकारी शोधनशालाओं को अपनी क्षमता में विकास करने की अनुमति मिल सके।

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : मुझे प्रसन्नता है कि मुझे सभा में सरकार की तेल नीति की व्याख्या करने का अवसर मिला है।

आपातकाल से उत्पन्न स्थिति के फलस्वरूप पैट्रोल के उत्पादों के संभरण तथा मांग से उत्पन्न स्थिति का पुनर्निर्धारण करने के उपरांत भारत सरकार ने जनवरी १९६३ को

---

†मूल अंग्रेजी में

]श्री अलगेशन]

यह निर्णय किया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक गौहाटी, बरौनी और कोयाली परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि की जाये। सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं का भी ४ लाख टन क्षमता बढ़ाने तथा मैसर्ज फिलिप्स एण्ड कम्पनी के प्रस्ताव का लाभ उठाते हुए कोचीन में २५ लाख की क्षमता वाली एक अन्य शोधनशाला खोलने की अनुमति दी यह परियोजना सहकारिता के आधार पर होगी जिसमें सरकार के ५१ प्रतिशत अंश होंगे। दक्षिण में एक अन्य शोधनशाला की स्थापना के प्रश्न पर विचार करते हुए तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में शोधनशालाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया कि यह मामला योजना आयोग को सौंप दिया जाये जिससे कि समस्या के सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके।

इस संबंध में मैं अपने पूर्वाधिकारी श्री के० दे० मालवीय द्वारा २७ फरवरी, १९६३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४० के उत्तर का भी उल्लेख करना चाहता हूं।

गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के विस्तार के संबंध में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था :

> "गैर सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं के अधिकतम क्षमता में काम करने की अनुमति दे दी गयी है। यह क्षमता उनको लायसेंस दी गयी क्षमता से अधिक है। जहां तक शोधनशालाओं के और अधिक विस्तार करने का संबंध है, पैट्रोल उत्पादकों की बढ़ती हुई मांग तथा उसका सामना करने के उपायों पर विचार किया जा रहा है।"

योजना आयोग इस प्रश्न पर, तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादों की मांग का निर्धारण कर रहा है। मद्रास और कलकत्ता क्षेत्र में नयी शोधनशालाओं की स्थापना तथा कोचीन शोधनशाला की क्षमता बढ़ा कर १० लाख करनें पर गौर किया जा रहा है क्योंकि इनसे इन क्षत्रों की मांगें पूरी होंगी। १९६६ तथा तत्पश्चात् १९७१ में विभिन्न क्षेत्रों में पैट्रोल उत्पादों की कितनी कमी। आधिक्य रहेगा। इस संबंध में विचार किया जा रहा है। उक्त अध्ययनों के परिणाम ज्ञात होने पर ही सरकार इन प्रश्नों पर अपना निर्णय दे सकेगी।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकारी क्षेत्र की शोधनशालायें बढ़ती हुई मांग पूरा करने में समर्थ हैं?

†**श्री अलगेशन** : मैं अपने वक्तव्य में बता चुका हूं कि सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं के उत्पादन पर विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को ध्यान में रख कर विचार किया जा रहा है।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** (गोंडिया): क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं में किये गये विस्तार से उत्तरी व दक्षिणी खण्ड के सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं के व्यवसाय पर आघात नहीं होगा?

†**श्री अलगेशन** : यह प्रश्न बहुत संगत है, विस्तार की योजनाओं पर विचार करते समय इस पर विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह (छपरा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् १९६५-६६ के अन्त तक सरकार को तेल की कितनी आवश्यकता होगी, और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार क्या सोच रही है? जो प्राइवेट कम्पनियां हैं उनको प्रोत्साहित करने से क्या सरकार का काम चल जायेगा या सरकारी कम्पनियों को प्रोत्साहन देने से काम चलेगा ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) उसूल तो यह है कि यह बात देखी जाती है कि कितनी हमारी जरूरत होगी । जाहिर है, हम चाहते हैं कि जहां तक मुमकिन हो हम पब्लिक सेक्टर की रिफाइनरीज से उसे पूरा करें। हम यह नहीं चाहते कि प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरीज इतनी हो जायें कि पब्लिक सेक्टर दब जाय। लेकिन इस बात पर भी गौर करना है कि कितनी जरूरत होगी और कितना हम पैदा कर सकते हैं। उस वक्त यह भय हो सकता है कि हम और क्या तरीका निकालें, उसको पूरा करने का।

श्री बालकृष्ण सिंह (चन्दौली) : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल साफ करने वाले गैर-सरकारी कारखाने जो इस वक्त देश में चल रहे हैं उनके कारण करीब करीब ११ करोड़ रु० प्रतिवर्ष की विदेशी मुद्रा का घाटा होता है, और अब यह उत्पादनक्षमता बढ़ाने की अनुमति देने के बाद इस विदेशी मुद्रा का घाटा १५ करोड़ रु० प्रति वर्ष हो जायेगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कोई और इजाजत नहीं दी गई है, मालम नहीं किस का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं।

†**श्री राजेश्वर पटेल** (हाजीपुर) : सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं को ४ लाख टन क्षमता बढ़ाने की अनुमति क्यों दी ?

†**श्री अलगेशन** : प्रश्न पर आपातकाल की दृष्टि से विचार किया था तथा यह समझा गया कि यदि इतनी क्षमता का विस्तार बिना अधिक पूंजी विनियोग के हो जाये तो इसकी अनुमति दी जाये।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : गैर-सरकारी क्षेत्र की शोधनशालायें अपनी दुगुनी क्षमता पर कार्य कर रही हैं। उनकी क्षमता में वृद्धि करने के पूर्व क्या उनकी मूल विशेष रियायतें जो उन्हें पहिले मिली हुई थीं वह हटा ली गयीं या उनमें कोई कमी की गयी ?

†**श्री अलगेशन** : जब यह बढ़ाई हुई क्षमता मंजूर की गयी तो उनकी कुछ विशेष रियायतों को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि इन शोधनशालाओं को अपनी क्षमता के विस्तार करने की अनुमति दी गयी तथापि उनके उत्पादों की देश में ही आवश्यकता थी। यदि उनका उत्पादन देश में न हो पाता तो हमें विदेशी मुद्रा व्यय करनी होती।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** (तिरुवेल्ला): गैर सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं का प्रश्न योजना आयोग को कब भेजा गया? क्या वित्त मंत्रालय, समायोजन मंत्रालय तथा योजना मंत्रालय ने खान तथा ईंधन मंत्रालय को गैर-सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं का अधिकतम विस्तार करने की सलाह दी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन :** योजना आयोग इस प्रश्न पर जनवरी महीने से विचार कर रहा है। अंतिम बैठक मई में हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कि सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं को हानि पहुँचे।

†**श्री राम सहाय पांडेय** (गुना): क्या यह सच है कि ४ लाख टन एक्सपेंशन के बाद भी बर्मा शैल और कालटक्स रिफाइनरीज ने और आगे एक्सपेंशन के लिये सरकार के लिये सरकार को एप्रोच किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है, और यदि हां तो क्या और कब ?

†**श्री अलगेशन :** इसके बाद भी दो कम्पनियों ने विकास के लिये प्रस्ताव रखे। तथापि वे प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** (रत्नगिरि) : क्या सचिव उत्पादन समिति ने १९६२ में यह निर्णय किया था कि बम्बई और विशाखापटनम् की शोधनशालाओं के साथ किये गय समझौते में इस प्रकार संशोधन किया जाये कि वह औद्योगिक विकास और विनियम अधिनियम के अधीन आ जाये।

†**श्री अलगेशन :** हम इन कम्पनियों से वार्ता कर रहे हैं जिससे कि ये सारे समझौते समाप्त हो जायेंगे तथा उन्हें औद्योगिक विकास और विनियम अधिनियम के अधीन लाभ होगा।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि भूतपूर्व तेल तथा ईंधन मंत्री ने योजना आयोग से यह सिफारिश की थी कि गैर-सरकारी शोधनशालाओं की क्षमता बढ़ायी जाये, मैं जानना चाहता हूं कि गैर सरकारी क्षेत्र से साझा करने की इस नीति के बदलने तथा सरकारी क्षेत्र को अधिक कोटा देने की नीति को अपनाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य ने प्रश्नों का एक पुलिंदा पेश कर दिया है। तथापि मैं यह बताना चाहता हूं कि हम आज भी भूतपूर्व मंत्री की नीति पर ही चल रहे हैं। वे चाहते थे कि तेल के लिये सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाये। यदि सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने पर देश की मांग अल्पाधिक रूप से पूरी हो जायेगी तो गैर-सरकारी शोधनशालाओं को अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तथापि इस बात पर विचार किया जा रहा है स्थितियों से बाध्य होने पर ही हम गैर-सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं को विकास की अनुमति दे सकते हैं।

पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह का पता लगना

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह का पता लगना"।

†**श्री जवाहरलाल नहरू :** आज प्रातः माननीय सदस्यों ने समाचार पत्रों में वह समाचार पढ़ा होगा जिसे कल रात पाकिस्तान रेडियो ने प्रसारित किया था कि पाकिस्तान में भारत के

---

†मूल अंग्रेजी में

उच्चायुक्त के वायु सलाहकार तथा तीन अन्य कर्मचारियों को पाकिस्तान की सरकार ने अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया। वस्तुतः हमें इस समाचार के संबंध में पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय से कोई सूचना नहीं मिली।

तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान सरकार का यह कार्य यहां हुई घटनाओं के प्रतिकार स्वरूप ही किया गया है। यहां जो कुछ हुआ वह इस प्रकार है :

अभी कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान उच्चायुक्त के तीन कर्मचारी, अर्थात् उच्चायुक्त के वायु सलाहकार का वैयक्तिक सहायक, उसके ड्राइवर तथा अर्दली को दिल्ली पुलिस ने एक भारतीय नागरिक के साथ ३ सितम्बर को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी उस भारतीय से कुछ दस्तावेज वापस मांग रहे थे जिन्हें वर्गीकृत सैनिक महत्व के पत्र कहा गया है। पूछताछ के दौरान उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्हें ये पत्र उच्चायुक्त के वायु सलाहकार ने दिये थे जो उसे भारतीय नागरिक से प्राप्त हुये थे।

पाकिस्तानियों को ३ सितम्बर की रात को, पाकिस्तान उच्चायुक्त के प्रथम सचिव द्वारा पहिचान लिये जाने पर छोड़ दिया गया। भारतीय नागरिक अभी हिरासत में है। ५ सितम्बर को विदेशकार्य मंत्रालय के सचिव श्री एम० जे० देसाई ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त से भेंट की और कहा कि भारत सरकार भारतीय नागरिक पर मुकदमा चलायेगी। पाकिस्तान उच्चायुक्त को यह सुझाव दिया गया कि उनकी सरकार इन व्यक्तियों को तत्काल वापस बुला लेना चाहेगी पेश्तर इसके कि हम कोई औपचारिक कार्यवाही करें।

पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने यह कहा कि यह मामला पांच छः दिनों तक गोपनीय रखा जाये, जिससे कि वे अपने सरकार से अनुदेश प्राप्त कर सके।

७ सितम्बर को वायु सलाहकार के व्यक्तिगत सहायक, ड्राइवर और चपरासी पाकिस्तान चले गये। पाकिस्तान उच्चायुक्त ने उनके चले जाने की सूचना वैदेशिक कार्य मंत्रालय को दे दी।

पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने इतवार के दिन वैदेशिक कार्य विभाग के सचिव से बातचीत की और कहा कि उनके वायु सलाहकार का कुछ सामान विदेश से आने पर उच्चायुक्त को दे दिया जाये जिससे कि वे उसे वायु सलाहकार को भेज सकें जो कि उस समय दिल्ली में नहीं होंगे। भारतीय नागरिक एक अधिकारी है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : वह किस मंत्रालय के अधिकारी हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रतिरक्षा मंत्रालय के।

†**श्री रंगा** : उनका पद क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह पाइलट आफीसर हैं।

†**श्री कपूर सिंह** : उनका नाम क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता तथापि उनका मामला किसी न्यायालय के सम्मुख आयेगा। तब सदस्यों को उनका नाम पता हो जायेगा। उन्होंने यह बयान दिया है कि परिवार तथा स्थितियों के दवाब के कारण वे इस जाल में फंस गये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : क्या मैं जान सकती हूं कि इस महोदय का कलकत्ता के जासूस गिरोह से भी संबंध था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कलकत्ता में भी एक व्यक्ति तथाकथित जासूसी में पकड़ा गया है। उसका नाम इजाजुल इस्लाम है तथापि उसने अ० क० मुकर्जी का छद्म नाम धारण किया था। तथापि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। इजाजुल इस्लाम से पूछताछ की जा रही है तथा मामले की जांच की जा रही है।

†**श्री हेम बरूअ** : इसके पूर्व शिलांग स्थित पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त तथा उपद्रवी नागाओं के षढ़यंत्र का पता लगा था। इस संवाद को दबा देने से पाकिस्तान को ढाका स्थित भारतीय उच्चायुक्त के कुछ अधिकारियों को निकालने का अवसर मिल गया। सरकार ने इस संवाद को छिपा कर हमारे दुश्मनों को हमें बदनाम करने का अवसर क्यों दिया ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सूचना को छिपाने की कोई बात नहीं है। कार्यवाही करने के बावजूद भी पूरे विवरण ज्ञात करने में दो या तीन दिन लग जाते हैं। इस मामले में तो हमसे पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने हमसे पांच दिनों का समय मांगा था। निसन्देह पाकिस्तान ने प्रतिकारात्मक कार्यवाही की तथापि इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। निसन्देह उन्हें कुछ करने का मौका मिल गया। उन्हें यह सूचना ३ सितम्बर को दी गयी। यह जानबूझकर किया गया। उन्हें यह सूचना दे दी गयी थी। इस कारण उन्होंने एक या दो व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की। वे ऐसा दो या तीन दिनों बाद भी किया जा सकता था।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या यह सैनिक कागजात काश्मीर के संबंध में थे ? तथा क्या सैनिक अधिकारी को सैनिक न्यायालय ने गिरफ्तार किया है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : मैं उन दस्तावेजों के बारे में सही सही नहीं जानता हूं केवल इतना कह सकता हूं कि वे वर्गीकृत दस्तावेज थे। उस पर असैनिक न्यायालय द्वारा मकदमा चलाया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : आपातकाल में प्रतिरक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों पर भी सैनिक अधिनियम लागू होता है। तब यह बात उस अधिकारी पर लागू नहीं होती ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। जैसे ही उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया उसे हिरासत में ले लिया गया। उसे मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया अभी तक इतना ही हुआ है।

†**श्री राम सेवक यादव** : रक्षा मंत्रालय का जो अफसर है जिसको हिन्दुस्तान की तरफ से गिरफ्तार किया गया है, जो जांच पड़ताल की गई है उससे क्या यह पता चलता है कि इस मामले से और भी लोग हिन्दुस्तान के, रक्षा विभाग से संबंधित हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक जो ब्यान उसने दिया है और जिसको मैंने देखा है, उसने इस बात का उसमें कोई जिक्र नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी।

श्री बागड़ी : प्रधान मंत्री जी से पहले इसका हिन्दी में अनुवाद करा दीजिये, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात आपको इस वक्त तक कह देनी चाहिये थी। आप किसी साथी से भी पूछ सकते थे। जहां तक मैं जानता हूं आप इतनी अंग्रेजी तो समझ भी सकते हैं।

†**श्री बागड़ी** : अगर कानून के तहत मुझे यह अधिकार नहीं मिलता है कि हिन्दी में अगर मेरा सवाल हो तो उसका जवाब भी हिन्दी में ही दिया जाये, तो फिर मैं किसी साथी की मदद लेने को तैयार हूं। लेकिन अगर मुझे यह अधिकार पहुंचता है तो क्यों नहीं उसी भाषा में जवाब...

†**अध्यक्ष महोदय** : आर्डर, आर्डर। आप बैठ जायें।

†**श्री बागड़ी** : मेरी बात सुन लीजिये। अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। हम यहां पर बैठ कर सारे देश के मसाइल को सोचते हैं और उन पर बहस करते हैं। सिर्फ चन्द अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही इस बात को सोचें और बाकी जो हिन्दी जानने वाले हैं, वे न सोचें, अगर यह कहा जाता है, तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। प्रधान मंत्री कोई विलायत के रहने वाले तो हैं नहीं...

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें। ऐसा कोई कानूनी अधिकार मेरे पास नहीं है जिस का मुझे कम से कम इल्म हो कि मैं किसी को मजबूर कर सकता होऊं कि वह एक जबान में या दूसरी जवान में ही बोले। सवाल जिस जवान में पहले माननीय सदस्य ने दिया होता है, उसी जवान में जब ब दिया जाता है। हमने एक प्रेक्टिस जरूर शुरू की है कि जिस भाषा में सवाल हो, कोशिश की जाये अगर मिनिस्टर साहब दे सकते हैं तो उसी जवान में दें।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : सार तो बता दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : तीन आदमी पकड़े गये थे और उनको पाकिस्तान भेज दिया गया है। चौथा अफसर जो डिफेंस मिनिस्ट्री का था, उसको गिरफ्तार करके हवालात में बन्द कर दिया गया है और सिविल आथोरिटीज जो हैं, वे उसकी तहकीकात कर रही हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान की धारा ३४४ के मुताबिक अंग्रेजी का घटता स्थान है और हिन्दी वहां लिखा है लेकिन मैं मातृभाषा कहूंगा, उसका बढ़ता स्थान है। इस धारा के अनुसार प्रधान मंत्री को तो यहां अंग्रेजी बोलनी ही नहीं चाहिये, धारा ३४४ संविधा की जो है, उसके अनुसार।

अध्यक्ष महोदय : इस धारा का जो अर्थ मैं निकालता हूं यह है कि वह धारा मुझे किसी तरह का अधिकार नहीं देती कि मैं मजबूर करके किसी को कहूं कि आप अंग्रेजी में बोल नहीं सकते हैं।

क्या बागड़ी साहब सवाल करना चाहते हैं ?

श्री बागड़ी : अगर हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री मेरे सवाल का जवाब हिन्दी में....

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय: बहस की जरूरत नहीं है। सवाल करना चाहते हैं या नहीं ? अगर नहीं करना चाहते हैं तो मैं दूसरे मैम्बर साहब को बुलाऊं (**अन्तर्बाधा**) क्या यह बहस चलती जायेगी ? आप बैठ जाइये।

श्री बागड़ी : मैं बैठ जाऊंगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर प्रधान मंत्री जी हिन्दी में कह दें, तो आपको क्या एतराज है ?

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी ने कहा था कि सार बता दीजिये। सार बता दिया गया है। लेकिन आप फिर भी जिद पर चलते जाते हैं। मैंने आप से कह दिया है कि मैं किसी माननीय सदस्य को मजबूर नहीं कर सकता किसी एक भाषा में बोलने के लिये, जो कानून इस वक्त है, उसके मुताबिक।

श्री बागड़ी : पूछ लो अगर जवाब देने को तैयार हों। मजबूर न करो।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : क्या यह सच है कि इन तलाशियों के दौरान यह पता लगा कि इस देश में ८९ पाकिस्तानियों का गुप्त गिरोह काम कर रहा है तो क्या कारण है कि हमारा जासूसी विभाग उन्हें नहीं पकड़ पाया ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इस संबंध में कोई अधिक जानकारी नहीं है। हम इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। तथापि ऐसा लगता है कि यह षड़यंत्र काफी व्यापक स्तर पर है।

श्री यशपाल सिंह : इन लोगों को जहां पनाह मिलती है, जो इनको ठहराते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अगर वे जान कर ठहराते हैं और मदद देने के लिये ठहराते हैं तब तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। अगर लाइल्मी में करें, तब कार्रवाई की गुंजाइश दिखाई नहीं देती।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या यह सच है कि राजनयिक संरक्षण और विशेषाधिकारों के नाम पर षड़यंत्र खूब चलता है ? यदि हां तो इस बात के लिये क्या कार्यवाही की गयी है कि इन बातों का समय पर पता लगा लिया जाये जिससे कि यह जानकारी बाहर न भेजी जा सके।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जासूसी का सामना करने की बातें गोपनीय होती हैं। तथा उनको प्रकाशित करने पर उनका सारा महत्व समाप्त हो जाता है।

यदि हमारे देश में कोई ऐसी बातें हो भी तो उन्हें शोर मचाकर प्रगट न किया जाये। जहां तक राजनयिक नियुक्ति का सम्बन्ध है इस मामले में वे वायु सलाहकार को प्राप्त थीं न कि उसके ड्राइवर और चपरासी को।

†**श्री सरजू पाण्डेय** (रसड़ा) : ये तीन पाकिस्तानी जो वापिस किये गये हैं यहां से, ये ओरिजनली हिन्दुस्तान के रहने वाले थे या पाकिस्तान के रहने वाले थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह तो मुझे मालूम नहीं है कि उनका पुराना इतिहास क्या है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशगाबाद) : क्या पाकिस्तान और चीन के बीच हुई अभी हाल की दुरभि संधि से क्या इस बात की संभावना है कि चीन और पाकिस्तान संयुक्त रूप से एक जासूसी गिरोह का संचालन कर रहे हैं, तथा चीन युद्ध आरम्भ करने के पूर्व राजनैतिक सम्बन्धों को जोड़ देना चाहता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं। मुझे इस संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं है।

श्री बड़े : आज के समाचारपत्रों में आया है कि कुछ रोज़ तक इस इन्फार्मेशन को सीक्रेट रख कर, बाद में तीन जनों को पाकिस्तान जाने दिया। क्या यह बात सच है कि इन लोगों ने कुछ सिनेमा एक्ट्रेसिस के नाम भी दिये हैं ? यदि हां, तो उसके वास्ते भी शासन कुछ इनक्वायरी कर रहा है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उनको जाने क्यों दिया गया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं कुछ समझा नहीं हूं कि क्या इनक्वायरी करें। उन्होंने नाम कुछ और दिये हैं।

श्री बड़े : कुछ रोज़ के लिये इस बात को सीक्रेट रखा जाये, ऐसी बिनती क्या पाकिस्तान एम्बेसी ने की थी ? उसके बाद, सीक्रेट रखने के बाद तीन जनों को पाकिस्तान भेज दिया। स्टेटमेंट में क्या यह नहीं है कि और भी कुछ लोग हैं वहां जो इस में आते हैं और क्या उन्होंने सिनेमा एक्ट्रेसिस का नाम भी लिया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मैंने स्टेटमेंट को देखा है, कोई और नाम नहीं लिए हैं। उनको जाने इसलिये दिया कि आम तौर से दस्तूर होता है कि दूसरी गवर्नमेंट को इत्तिला करें जब ऐसी बात होती है। उनको हमने इत्तिला की। यह मुनासिब समझा गया खास कर उसके लिये कि जो डिप्लोमेटिक प्रिवलेज इनज्वाय करते हैं, गवर्नमेंट उसको वापिस बुला ले या खुद जाना चाहें तो जाने दिया जाए उन्हें। जो चपड़ासी है उसकी कोई हैसियत नहीं थी। उनको जाने कि दिया गया और न जाने देने की कोई वजह नहीं समझी गई।

श्री बड़े : मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं आया है। क्या इन लोगों ने सिनेमा एक्ट्रेसिस के नाम भी लिये थे ?

श्री जवहरलाल नेहरू : कोई नाम लिये हों, ऐसा मुझे मालूम नहीं है।

†**श्री कपूर सिंह** : प्रधान मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान एयर एडवाइज़र ने विदेश से कुछ वस्तुएं मंगवाई थीं। ये वस्तुए क्या थीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने तो केवल यह कहा कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने प्रार्थना की थी कि कुछ वस्तुएं आ रही जिन्हें लेने के उपरान्त जाने के लिये उसने अनुमति मांगी थी।

†**श्री सोलांकी** (कैरा) : क्या हम ने पाकिस्तान को इस बारे में विरोधपत्र भेजा है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमने उससे कुछ अधिक किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई** : दिल्ली कलकत्ता और बम्बई में विदेशों के गुप्तचरों के जन्म को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार संतुष्ट है कि हमारा गुप्तचर विभाग काफी सशक्त है और जो हमारे राष्ट्रजन देश को बेचने पर तुले हुए हैं क्या उनके विरुद्ध ऐसी कड़ी कार्यवाही की जाएगी कि अन्य लोग सबक सीख सकें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारा गुप्तचर विभाग काफी सशक्त है। यह कहना सारासर कठिन है कि वह १०० प्रतिशत अच्छा है। इस में सुधार हो रहा है और दूसरे लोगों का भी मत है कि इसका काम काफी अच्छा है।

†**श्री नाथ पाई** : प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा नेफा प्रतिवेदन पर दिये गये वक्तव्य से पता लगता है कि हमारा गुप्तचर विभाग निर्बल था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन्होंने सैनिक गुप्तचर विभाग का उल्लेख किया था। हमारा असैनिक गुप्तचर विभाग काफी अच्छा है।.. (अन्तर्बाधा)

†**श्री शा० ना० चतुर्वे** (फिरोजाबाद) : पाकिस्तान ने जवानी समझ मांग कर प्रचार सम्बन्धी लाभ प्राप्त कर लिया है। पाकिस्तान को इस प्रचार की रियायतें कब तक दी जाती रहेंगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। हमें राजनयिक प्रक्रिया की सामान्य शिष्टता तो दिखानी थी। इससे केवल यही हुआ है कि वे २४ घंटे पूर्व कार्यवाही कर सके हैं।

†**श्री प्रकाशबीर शास्त्री** (बिजनोर) : प्रधान मंत्री जी ने अभी कलकत्ते के श्री अजीजुल इसलाम का नाम बतलाया, जिन्होंने अपना नाम बदल कर ए० के० मुकर्जी रख दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल सरकार से उन के पास इसी तरह की कोई सूचना आई है जिस में बतलाया गया है कि चीबीस परगना डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कुछ इंडियन पुलिस सर्विस के आदमी भी इसी प्रकार की कार्यवाइयों में पकड़े गये, जिनका पाकिस्तान की सीक्रेट पुलिस सर्विस से कुछ सम्बन्ध था ? यदि हां, तो उन के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं, मैंने बजाते खुद ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी।

सभा के कार्य के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : पत्र सभा पटल पर रखे जायें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : मैंने स्वर्णकारों के बारे में. ध्यान दिलाने की सूचना दी थी किन्तु अपने अनुमति नहीं दी। स्वर्णकार प्रति दिन सत्याग्रह कर रहे हैं। विधि तथा व्यवस्था हमारे अधीन है और स्वर्ण नियन्त्रण आदेश में परिवर्तन के बारे में कांग्रेस दल में चर्चा हो रही है। तो फिर इस सूचना को अनुमति न देने का क्या कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा उनसे निवेदन है कि वे मुझ से मिलें तब इस पर बातचीत हो सकती है। यदि वे मुझे संतुष्ट कर दें तो मैं निर्णय बदलने के लिये तैयार हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक अर्ज सुन लें थोड़ी सी। यह सुनारों वाला मसला बड़ा अहम है।

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने एक और माननीय सदस्य से कहा है कि वे अपन मामले को रेज़ न करें तो मैं आप से कैसे कहूंगा कि आप रेज़ करें ?

श्री बागड़ी : उनको तो आप ने पैनेल का मेम्बर बतलाया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पैनेल की मेम्बर हैं तो मैं आप को भी उतना ही जिम्मेदार समझता हूं। अब हाउस खुद समझ ले कि माननीय सदस्य अंग्रेज़ी समझते हैं या नहीं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय सेना के सैनिकों के शवों को प्राप्त करने और उनके दाह संस्कार के बारे में भारत सरकार और चीन सरकार के बीच पत्र-व्यवहार

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं भारतीय सेना के सैनिकों के शवों को प्राप्त करने और उनके दाह संस्कार के बारे में भारत सरकार और चीन सरकार के बीच हुआ निम्नलिखित पत्र व्यवहार सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) पेकिंग के वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा चीन स्थित दूतावास को दिया गया दिनांक १३ अगस्त, १९६३ का ज्ञापन।

(दो) नई दिल्ली के वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा भारत चीनी दूतावास को दिया गया दिनांक १४ अगस्त, १९६३ का ज्ञापन।

(तीन) पेकिंग के वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा चीन स्थित भारतीय दूतावास को दिया गया दिनांक १५ अगस्त, १९६३ का ज्ञापन।

(चार) नई दिल्ली के वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा भारत स्थित चीनी दूतावास को दिया गया दिनांक २० अगस्त, १९६३ का ज्ञापन।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी–१६७४/६३]।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री और योजना उपमंत्री (श्री वे० रा० पट्टाभिरामन)** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४०२ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (सोलहवां संशोधन) योजना, १९६३, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।)

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी–१६७५/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : मैं वर्तमान सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और २ सितम्बर, १९६३ को सभा को दी गई अन्तिम रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :

(१) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।

(२) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे सभा को यह बताना है कि राज्य सभा से यह संदेश प्राप्त है कि राज्य सभा अपनी ४ सितम्बर, १९६३ की बैठक में प्रौद्योगिकीय संस्थायें (संशोधन) बिल, १९६३ से जो लोक-सभा द्वारा १३ अगस्त, १९६३ को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

"हमारी प्रतिरक्षा की तैयारी" पर ववतव्य

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : मैं प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कितना लम्बा है ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : लगभग १२ पृष्ठ हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा की क्या राय है ?

†**कुछ सदस्य** : यह पढ़ा जाये ।

श्री बागड़ी : रोहतक के फ्लड के बारे में मैंने कालिंग अटेंशन नोटिस दिया था। वहां मिलिटरी भेजी गई है और हालत बहुत खराब है। इसलिये इस पर विचार किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस तरह से बोले वगैर नहीं रह सकते ? आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस तरह दखल न दें और रुकावट न डालें ? मैंने आप से बहुत दफे कहा ।

श्री बागड़ी : रुकावट नहीं डाली, मैंने तो अर्ज किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप की मंशा नहीं होती यहां रुकावट डालने की, मगर असर उसका यही होता है कि रुकावट पड़ जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कछवाय (देवास) : पब्लिसिटी कैसे मिले ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सभा की यह इच्छा है तो वक्तव्य पढा जाये ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : सभा प्रधान मंत्री के १९ अगस्त के वक्तव्य को सुन चुकी है जिसमें कहा गया था कि हमारी सारी उत्तरी सीमा के साथ-साथ चीनियों का भारी जमघट हो गया है । तिब्बत में चीनियों की सेना में ही विशेष वृद्धि नहीं हुई बल्कि वे उत्तरी सीमाके सामरिक स्थलों पर इतने अधिक निकट भारी सख्या में एकश हो गये हैं कि जितने निकट वे पहले कभी नहीं आए । वे निरंतर युद्ध कालीन भंडार और सम्भरण व्यवस्था का नियंत्रण कर रहे हैं और सीमा के निकट बैरकें, तोपों के मचानों, भंडारों, सड़कों, हवाई अड्डों के निर्माण की कार्यवाही कर रहे हैं । । जैसा प्रधान मंत्री ने कहा चीनियों का उद्देश्य जानना कठिन है । किन्तु लोगों और युद्ध सामग्री का ऐसा जमघट भारत पर और आक्रमण करने के लिए हो सकता है ।

पाकिस्तान में भी कुछ गति विधि हुई है जिसका उल्लेख प्रधान मंत्री ने १३ अगस्त के वक्तव्य में किया था । यद्यपि पाकिस्तान को मालूम है कि हमारी प्रतिरक्षात्मक तैयारियां उत्तरी सीमा के खतरे के कारण है किन्तु वे निराधार प्रचार कर रहे हैं कि हमारी तैयारियों से पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरा है । हमें हाल ही में पता लगा है कि पाकिस्तान की सेनाएं असम और पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं पर एकत्र हुई हैं ।

एक साथ होने वाली ऐसी गतिविधियां पाकिस्तान सरकार और जनवादी चीन के किसी करार का परिणाम है अथवा नहीं यह तो वहीं जानें । किन्तु मैं स्थिति का यथा तथ्य वर्णन कर रहा हूं ताकि सभा को ठीक पता लग जाए कि देश को किस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है ।

हम ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया है कि हम किसी देश पर आक्रमण नहीं करना चाहते और पड़ोसियों के साथ शांति पूर्ण ढंग में मत भेद के मामले को निबटाना चाहते हैं । जहां तक चीन के साथ सीमा विवाद का सम्बन्ध है । यद्यपि चीन ने हम पर आक्रमण कर के और गत अक्तूबर-नवम्बर में भारी हमले करके हमारे लिए संकट उपस्थित कर दिया था तथापि हम ने तटस्थ देशों के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था जिन्होंने कोलम्बो में बैठक की थी ताकि उन प्रस्तावों के आधार पर युद्ध-विराम हो जाए और चीन भी उन्हें स्वीकार करले और इस प्रकार शान्ति की स्थापना होने पर हम सीमा के बारे मतभेद पर चर्चा कर सकें और मतभेद को शांति पूर्वक निबटा सकें । जैसा प्रधान मंत्री ने कहा हमने चीन की सरकार को यह भी बताया है कि यदि आपस में बातचीत से मतभेद दूर नहीं हो सकते तो मामला हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को भेजने या मान्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार एक दूसरे की सहमति से मध्यस्थता द्वारा निबटाने के लिए भी तैयार है । पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने पुनः "युद्ध न करने" की संधि की पेशकश की है और कहा है कि हम उस से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं अपने मतभेद को शान्तिपूर्वक निबटाना चाहते हैं । किन्तु शत्रुता के वर्तमान वातावरण में इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए कि मतभेद दूर करने के हेतु शांतिपूर्वक वार्ता का उपयुक्त वातावरण पैदा होने तक इस आक्रमण के खतरे से देश की रक्षा की तैयारी करना चाहते हैं क्योंकि हमारा गत वर्ष का अनुभव है कि हमारे उत्तरी पड़ोसी ने हम पर अकारण बड़ा हमला कर दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यशवन्तराव चह्वाण]

प्रतिरक्षा की तैयारी के सम्बन्ध में पहला काम सशस्त्र सेनाओं का विस्तार करना है । मैं ने पहले सभा को बताया था कि हमारी छै डिवीजन बढ़ाने की योजना है । मुझे अब यह बताते हुए हर्ष होता है कि हम ने ३ डिवीजन सेना बढ़ा ली है । शेष डिवीज़न निर्धारित समय के अनुसार स्थापित किये जा रहे हैं ।

इन डिवीज़नों का निर्माण करने के लिए अधिकारियों और अन्य सैनिकों की बड़े पैमाने पर भर्ती करनी है । अन्य सैनिकों की भर्ती क्रमगत कार्यक्रम के अनुसार हो रही है और हमारा काम काफी अधिक संतोषजनक रहा है ।

आपातकाल के बाद से ३,१७५ अधिकारी भर्ती किये गये हैं और इस महीने के अन्त २,६७७ कमीशन अधिकारी पदोन्नत हो जाएंगे । अगले वर्ष के प्रारम्भ में हमारे पास ८००० कमीशन अधिकारी होंगे ।

इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि प्रविधिक शाखाओं में भर्ती में काफी कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं । १९६३-६४ में हम जितने चिकित्सा अधिकारी भर्ती करना चाहते थे उन में से ४० प्रतिशत भर्ती कर सके हैं । किन्तु खेद है कि इंजीनियरों की भर्ती असन्तोषजनक रही है । इंजीनियरों और चिकित्सकों के सेना की भर्ती के लिये आकर्षित करने के लिए हम ने कई योजनाएं लागू की हैं ; जैसे

†**श्री नाथ पाई** : प्रश्न काल में आप ने कहा था कि भर्ती संतोषजनक है ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मैं ने कहा था कि मैं पूरा सन्तुष्ठ नहीं हूं ।

(१) असैनिक सेवा के काल की गणना ।

(२) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता, पूर्व पद का अधिकार और वेतन तथा अन्य अधिकारों का संरक्षण । हमने राज्य सरकारों से यही रियायतें देने के लिए कहा है ।

(३) सरकार ने घोषणा की है कि जिन इंजीनियरों और चिकित्सकों को आपातकाल में सीधे भर्ती किया जायेगा उनके लिए केन्द्रीय सरकार की इंजीनियरिंग और चिकित्सा सेवाओं में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के ५० प्रतिशत स्थायी पद सुरक्षित रखे जायेंगे । राज्य सरकारों से भी ऐसा करने के लिए कहा गया है ।

(४) हम ने इंजीनियरिंग और चिकित्सा के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश योजना बनाई है जिस के अन्तर्गत इन कालेजों में अन्तिम वर्ष के छात्रों अस्थायी छोटी सेवा के लिये कमीशन दिये जायेंगे । परीक्षा पास करने के बाद उन्हें थोड़े समय के लिए नियमित कमीशन दिया जाएगा ।

आशा है कि इस प्रकार के प्रोत्साहन से चिकित्सा और इंजीनियरिंग अधिकारियों की भर्ती में काफी सुधार हो जायेगा ।

प्रविधिक कर्मचारियों की भर्ती में तो कठिनाइयां हैं किन्तु अन्य भर्ती निर्धारित कार्य-क्रम के अनुसार हो रही है ।

सेना को तेजी से बढ़ाने के लिये अधिकारियों और सैनिकों को प्रशिक्षण सुविधायें भी देनी हैं । गत अक्तूबर / नवम्बर में देहरादून सैनिक अकादमी में १८०० अधिकारियों के प्रशिक्षण की

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यवस्था थी। आपातकाल के उपरांत पूना और मद्रास में भी अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल खोले गये हैं जिनमें से प्रत्येक ४५० अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है । अब उन में से प्रत्येक में १५०० अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाने वाला है । नौगांव के सैनिक स्कूल में पहले अधिकारी बनने वाले २३० प्रशिक्षार्थी जूनियर कमीशन अधिकारियों और अन्य सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यवस्था थी अब उसमें ६५० प्रशिक्षार्थियों की व्यवस्था की जा रही है। इस से अधिक संख्या में जूनियर कमीशन अधिकारी और अन्य सैन्य पदाधिकारी अधिकारी पद के लिये प्रशिक्षित किये जा सकेंग और सेना को अनुभवी प्रशिक्षित अधिकारी मिल सकेंगे। हम ने बड़ौदा में भी सैनिक इंजीनियरिंग का स्कूल खोला है जिसमें ८०० प्रशिक्षार्थी शिक्षा पा सकेंगे । उच्च तुलना युद्ध कला स्कूल की क्षमता भी १९६३ की गर्मियों से दुगनी कर दी गई है ।

अन्य सैन्य पदों की बढ़ी हुई भर्ती के प्रशिक्षण हेतु १५ नये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इसके साथ ही वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमता को भी दुगना किया जा रहा है।

मैंने कुछ ही प्रशिक्षण संस्थाओं के विस्तार का उल्लेख किया है किन्तु सेना और हवाई सेना के सभी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में अधिक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही नयी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम में सुधार किया गया है।

सेना को जैसा काम सौंपा गया है उसके अनुसार संघटन व्यवस्था में उपयुक्त सुधार किया जा रहा है। पौट्रिक कामों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप इन्फेन्ट्री डिवीजन की संघटन व्यवस्था में सुधार किया गया है। नये केन्द्रीय कमान की स्थापना की गई है। विभिन्न स्तरों पर कमांडरों को उनके उत्तरदायित्व बताये गये हैं ताकि कमान के कामों की श्रंखला अव्यवस्थित न हो ।

अपनी तैयारी के अन्य पहलुओं का उल्लेख करने से पूव मैं सभा को बताना चाहता हूं कि नेफा की लड़ाई में हुई हार की जांच के आधार पर सुधारक कार्यवाही की गई है। नेफा जांच का मुख्य उद्देश्य सैनिक पाठ सीखना था हमने ये पाठ सीखे हैं और सुधारक कार्य किये गये हैं

उदाहरण के लिये चीन ने जिस प्रकार का युद्ध किया था उसके अनुरूप सभी दर्जे के अधिकारियों को सूचना और प्रशिक्षण दिया गया है कि यदि चीन फिर आक्रमण करे तो उन्हें किस प्रकार के युद्ध का सामना करना होगा। व्यक्तिगत और सामूहिक पौट्रिक प्रशिक्षण बढ़ा दिया गया है ।

जिन क्षेत्रों में सेनाओं को काम करना है उनके लिए उनकी शारीरिक अनुकूलता में काफी सुधार हो गया है। वहां की जलवायु के अनुकूल बनने के वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है और यह प्रक्रिया योजना के अनुसार चल रही है। सभी स्तरों के अधिकारियों की शारीरिक योग्यता पर बल दिया जा रहा है और उनके किसी पद के उपयुक्त होने और अधिक उच्च कमान संभालने के बारे में इस बात को अधिक महत्व दिया जाता है। युद्ध क्षेत्र और उसके पीछे के क्षेत्र में वास्तविक परिस्थितियों में युद्ध करने का सामान्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

साज सामान की न केवल नई सेनाओं के लिये व्यवस्था करनी है बल्कि सारी सेना को ही आधुनिक शस्त्रास्त्र मुहैया करने हैं और विदेशी मुद्रा की कमी और औद्योगिक क्षमता की सीमा में उन्हें

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

पहाड़ी क्षेत्र के युद्ध के लिये सभी प्रकार का साज सामान देना है। यद्यपि कुछ वस्तुओं की अब भी कमी है तथापि शस्त्रास्त्र, गोलाबारूद, साज सामान, बर्फ में पहने जाने वाले वस्त्र, कम्बलों, बूटों और अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में स्थिति में काफी सुधार हो गया है। देश की निर्माण शक्ति में सुधार किया जा रहा है और उच्च उतुंग पर लड़ते हुए सेनाओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके सम्बन्ध में गहन अध्ययन किया जा रहा है।

सेना को उपलब्ध साजसामान की मात्रा और गुण प्रकार में सुधार के लिये गत वर्ष से कठोर प्रयत्न किये जा रहे हैं। देश में शस्त्रास्त्र के उत्पादन की क्षमता तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी कम है। अतः विदेशी संसाधनों से शस्त्रास्त्र मंगाने की आवश्यकता है। सभा को पता है कि बहुत से मित्र देश हमें सहायता देने के लिये तैयार हैं। अमरीका की सरकार ने जितनी सहायता का बचन दिया था उसमें आधी से अधिक प्राप्त हो गई है और शेष शीघ्र ही मिलने वाली है। इसी तरह इंगलैंड ने जिस सहायता का बचन दिया था उसमें से अधिकांश मिल चुकी है। हमें अन्य देशों जैसे रूस, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, न्यूज़ीलैंड, रोडेशिया पश्चिम जमनी और युगोस्लाविया से भी विभिन्न प्रकार की सहायता मिली है।

अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये और उसे सुदृढ़ बनाने के लिये सशस्त्र सेनाओं के निर्माण हेतु हमारे निर्णय पर हमें उचित समय पर जो सहायता मिली है उसके लिए हम इन सब देशों के आभारी हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि हमें जो सहायता मिली है हम उसे काफी जल्दी उपयोग में नहीं ला सके युद्ध क्षेत्र में सेनाओं को नहीं पहुंचा सके। यह बात सच नहीं है। युद्ध क्षेत्र में पहुंची सेनाओं को साजसामान भेजने से पूर्व हमें ध्यानपूर्वक उनके युद्ध करने का पता लगाना था और एसे साजसामान के प्रयोग के लिये सेनाओं को प्रशिक्षण देना था क्योंकि कुछ शस्त्रास्त्र नये थे। यह प्रक्रिया कई मास पहले पूरी हो चुकी है और उन्हें अतिशीघ्र सामान भेजा जा रहा है।

सभा इस से सहमत होगी कि अन्त में हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं को संभरण के लिये अपने ही प्रयत्नों पर निर्भर करना होगा। इसके लिये यह आवश्यक है कि हम अपने प्रतिरक्षा उद्योगों को आधुनिक बनाएं और उनका विस्तार करें। इस प्रसंग में मैं सभा को तीन चार महत्वपूर्ण दिशाओं में अपने प्रयत्नों के परिणाम बताना चाहता हूं।

हमने वर्तमान युद्ध सामग्री के कारखानों की क्षमता बढ़ाने की ओर काफी ध्यान दिया है। आपात काल से पूर्व के उत्पादन की तुलना में अब दुगना उत्पादन होने लगा है। हमारे युद्ध सामग्री के कारखानों में श्रमिकों ने अधिक समय तक काम कर के देशभक्ति का प्रदर्शन किया है उसी से यह सफलता मिली है ?

हमने वर्तमान युद्ध सामग्री के कारखानों का सर्वेक्षण किया है और जो मशीनें पुरानी हो गई है उन्हें बदलने के लिये कार्यवाही की जा रही है। औजार कक्षों को आधुनिक ढंग पर बनाया गया है और उठाने धरने की सुविधाओं में सुधार किया गया है। वर्तमान कारखानों में कुछ नई चीजों का उत्पादन भी होने लगा है।

सभा को बिदित है कि हमने दुर्गापुर राइफल फैक्टरी में सभी अटोमेटिक बंदूक बनानी आरम्भ की हैं। यद्यपि इसके उत्पादन के लिय १९६० से प्रयत्न किये जा रहे थे तथापि बाद में यह देखा गया कि उपभोक्ता ऐसे मूलभूत शस्त्रों का सर्वोत्तम उपयोग कर सके इसके लिये

इसमें काफी सुधार करना होगा। सभा को यह बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि अफसरों के कठोर श्रम और प्रयत्नों के बाद ऐसा शस्त्र विकसित किया गया है जो प्रयोगकर्ता के लिये अत्यंत संतोषजनक है। वास्तव में जो बंदूक अब बनाई जा रही है वह कई पहलुओं में अन्य देशों में बनी बन्दूकों से अच्छी है। भारतीय सेवा के लिये इस शस्त्र का विकास और निर्माण साधारण सफलता नहीं है

हमारी मुख्य आवश्यकता यह है कि सेना को ऐसे हल्के शस्त्रास्त्र दिये जाएं जिसमें अधिक शक्ति हो। इसके लिये हमने ६ नये युद्ध सामग्री कारखानों की स्थापना की योजना बनाई थी। हमने अपनी ओर से भूमि के अर्जन योजना तैयार करने, निर्माण कार्य का अनुमान तैयार करने और पानी बिजली तथा अन्य वस्तुओं के संभरण का कार्य आरम्भ किया है। निर्माण कार्य को तेज़ करने के लिये राज्य सरकारों को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। तो भी मुझे विदित है कि जो प्रगति हुई है वह सर्वथा संतोषजनक नहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि यह अनिश्चित है कि संभरण कहां से होगा और किस प्रकार के संयंत्र मिलेंगे। अभी हमें अमरीका से आश्वासन मिला है कि हमें छोटे शस्त्रास्त्र के कारखाने का संयंत्र देंगे। एक दूसरे कारखाने के संयंत्र के लिये हमें इंगलैंड की सरकार से वित्तीय सहायता का आश्वासन मिला है। अन्य चार कारखानों के लिये सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं यदि पूरी सहायता प्राप्त करने में हम असफल रहे तो अपने सीमित प्रविधिक और वित्तीय संसाधनों को इन आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा देंगे।

मिग विमान के कारखाने के लिये भूमि अर्जित कर ली गई और बिजली पानी, प्रविधिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, रेलवे साइडिंग आदि के काम में काफी प्रगति की जा चुकी है। ये कारखाने रूसी विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किये जा रहे हैं। सभा को पता ही है कि हमने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप मिग-२१ में कुछ सुधारों के सुझाव दिये हैं।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन के अन्य क्षत्रों में विस्तार और आधुनिकीकरण का काम हो रहा है। इस काम को तेजी से करने के लिये हम सचेष्ठ हैं।

युद्ध क्षेत्र में सेनाएं रखने के लिए संचार के साधनों का विकास करना आवश्यक है। इस क्षेत्र में भूमिगत संचार व्यवस्था के विकास का कार्यक्रम बनाया गया है जिससे सशस्त्र सेनाओं की मांग को प्राथमिकता दी जा रही है। सीमा सड़क विकास बोर्ड इन अधिकांश सड़कों का निर्माण कर रहा है। १९६३ के अरम्भ तक इस बोर्ड ने १६०० मील भूमि सड़क के लिये तैयार कर ली थी ६०० मील लम्बी सड़क बना ली थी और लगभग २७०० मील का सर्वेक्षण कर लिया था। बोर्ड ने अभी एक कार्यक्रम बनाया है जिसके अनुसार ३००० मील लम्बी नयी सड़क बनाई जायेंगी, और ३०० मील लम्बी सड़क को पक्का किया जायेगा। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस क्षेत्र को जा कर देखा है और यह देखा है कि वहां क्या काम हो रहा है।

इस समय आगे के क्षेत्र में सेनाएं विमान द्वारा भेजी जाती हैं। यदि मैं माननीय सदस्यों को दिखा सकूं कि कहां कहां हवाई अड्डे और सामान गिराने के अड्डे हैं तो सभा भी मेरी तरह इस कार्य और सरकार की प्रशंसा करेगी जो भारतीय वायु बल के विमान चालकों ने कर दिखाया है। वे लोग जैसा, प्रदेश की दुर्गमता और अन्य कठिनाइयों से नहीं घबराये।

]श्री मशवन्त राव चव्हाण]

युद्ध व्यय की दृष्टि से सीमा क्षेत्र में परिवहन के विमानों को बढ़ाने के लिये हमें अमरीका रूस और कनाडा से और अधिक विमान मिल रहे हैं। गत नवम्बर, में अमरीका की सरकार ने उदारभाव से सी० १३० विमान की सेवायें हमें प्रदान की थीं। इन विमानों के चालकों ने सेवा सेना और साजसामान को वहां पहुंचाने में जिस तत्परता के साथ काम किया वह प्रशंसनीय है। हमारी युद्ध कला और विमान द्वारा सैनिक तथा साज सामान भेजने की क्षमता में वृद्धि हो गई है और उन देशों द्वारा अपने विमान वापस ले जाने की अनुमति देना संभव हो गया है।

मैंने सभा के सामने उस तैयारी का लेखा जोखा रखने का प्रयत्न किया है जिससे हम सीमा पर आक्रमण का मुकाबला कर सकेंगे। हम सशस्त्र सेनाओं को बढ़ा रहे हैं, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, साजसामान के आधुनिक रूप दे रहे हैं पौद्रिक क्षमता को बढ़ाने के लिये साजसामान को नया रूप दे रहे हैं। बढ़ी हुई सशस्त्र सेना की सहायता के लिये हमने प्रतिरक्षा उद्योगों के अधुनिकीकरण और बिस्तार का कार्यक्रम बनाया गया है और नयी उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है। यद्यपि मित्र राष्ट्रों से हमें सहायता मिल रही है तो भी यह काम बहुत बड़ा है और जिन सीमाओं में हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं वह सराहनीय है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा कामों को सुदृढ़ करने के लिये पूरी शक्ति और दृढ़ता से काम किया जायेगा। हम इस बात के प्रति सचेत हैं कि देश के लोग प्रतिरक्षा उपायों के सामान बनाने के लिये कुर्बानी कर रहे हैं।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा की तैयारी का महत्वपूर्ण पहलू है लोगों में साहस पैदा करना। गत कुछ महीनों मैंने सीमा क्षेत्र में नियुक्त सशस्त्र सेना और वायु सेना के दलों को देखा है। हमारे जवान अत्यंत दुर्गम प्रदेशों में तैनात हैं। और अत्यन्त क्रूर जलवाय में काम कर रहे हैं। हमारे विमान चालक अत्यंत खतरनाक काम कर रहे हैं। मुझे इस बात पर गर्व होता है कि जहां कहीं मैं उन्हें मिला उन्हें बहुत साहसी, विश्वस्त और दृढ़ निश्चयी पाया है। हमें उस दृढ़ निश्चयी जवान के हाथों को मजबूत बनाने के लिये यहां सब कछ करना है जो हिमाच्छादित प्रदेश में अकेला देश की सीमा पर पहरा दे रहा है। और जो आक्रमण के समय उसका मुकाबला करेगा। उसे इससे बहुत साहस और शक्ति मिलेगी जब वह जानेगा उस के देशवासी उसके हाथ और दिल को मजबत करने के लिए यथा संभसव हर प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं एक स्पष्टी करण चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : मैं केवल एक जानकारी चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी एक लम्बा वक्तव्य पढ़ा गया है। इसका ज़िक्र करने के कई मौके मिलेंगे। इस समय तो हमें इसकी चर्चा म ही अधिक समय नहीं व्यय करना चाहिये। अत: माननीय सदस्य अपने आपको नियंत्रण में रखें।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इसकी प्रतियां उपलब्ध होंगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को इसकी प्रतियां भिजवाऊंगा ताकि वे इसका अध्ययन कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : मैं आप से सहमत हूं। लेकिन जब नेफा का प्रश्न आएगा तो मैं उस समय प्रश्न पूछना भी चाहूंगा । मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि कछ समय पहले हमें बताया गया था कि सेवा निवृत जनरल थोराट थिमय्या और राजिन्दर सिंह जी प्रतिरक्षा मंत्री और सेनाध्यक्षों को मंत्रणा दिया करेंगे । क्या इस वक्तव्य को तैयार करते समय उनकी सलाह ली गई थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मामला इस समय नहीं उठता है । यह भिन्न बात है । वे माननीय मंत्री से पूछ सकते हैं और आशा है कि माननीय मंत्री उन्हें वह जानकारी दे देंगे ।

†**श्री नाथ पाई** : (राजापुर) : चूंकि यह नई प्रथा है । आप हमें अपनी प्रतिक्रिया तो प्रकट करने देंगे । इन मामलों में सभा को जानकारी देने की प्रथा जो नए प्रतिरक्षा मंत्री ने आरम्भ की है हम उस का बहुत स्वागत करते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं प्रकट कर सकते ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अपनी प्रतिक्रियाएं समय आने पर प्रकट की जा सकती हैं । क्या प्रत्येक सदस्य को प्रतिक्रिया देने की अनुमति दूं ।

†**श्री नाथ पाई** : सबको नहीं । कुछ लोगों को।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह संभव होगा ?

†**श्री रामेश्वरानन्द** : (करनाल) : प्रतिरक्षा मंत्री जी का यह जो वक्तव्य है. यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसकी हमें भी हिन्दी में कापी मिलनी चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री शर्मा साहिब क्या चाहते हैं ?

श्री दी० चं० शर्मा : (गुरदासपुर) : मैं ने उसी विषय पर ध्यान दिलाने की सूचना दी थी । परन्तु आप ने मुझे बोलने के लिये कहा नहीं । दूसरे. सीमान्त क्षेत्रों में देशद्रोहियों को कार्यवाइयों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे ट्र ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका वक्तव्य से कोई संबंध नहीं है । मैं इस समय इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री हनुमन्तैया** : (बंगलौर) : युद्ध की कार्यवाही का सहायता के लिए भारत अलैक्ट्रोनिक्स में क्या किया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर उस समय चर्चा की जा सकती है जब हम अन्य चीजों पर चर्चा करें।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि और खाद्य नीति के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा क्रमशः श्री स० मो० बनर्जी और श्री यशपाल सिंह द्वारा ५ सितम्बर, १९६३ को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्तावों पर आगे चर्चा करेगी :—

(१) "कि यह सभा देश में सब खाद्यान्नों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों में असाधारण वृद्धि पर विचार करती है।

(२) "कि भारत सरकार की खाद्य नीति पर बिचार किया जाय"

श्री बकटासुब्बय्या ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : (होशंगाबाद) : और कितते घण्टे चर्चा होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : २ घण्टे और ३० मिनट खत्म हो गए हैं और दो घण्टे और ३० मिनट बाकी हैं।

†**श्री रामसहाय पाण्डे** (गुना) : इस के लिए अधिक समय दिया जाये ।

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : यदि सभा और समय चाहती है तो हम देने के लिए तैयार हैं।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (अडोनी) : खाद्य उत्पादन और खाद्यानों के मूल्यों में वृद्धि के महत्वपूर्ण प्रश्न देश के सामने हैं।

[**डा० सरोजिनी महिषी** पीठासीन हुईं]

हमें खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न की कीमतों के प्रश्न पर इकट्ठे रूप से विचार करना चाहिये हमें इस बात की हर कोशिश करनी चाहिये कि उत्पादन बढ़े और किसान को उचित दाम मिलें। हमारे देश म साधारण किसान का उत्पादन विश्व केसभी किसानों से कम है और प्रगतिशील किसान का उत्पादन दुनिया के सभी किसानों से अधिक है। ये दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं। सिंचाई, कृषि और सामुदायिक विकास पर काफी धन व्यय करने पर भी प्रति एकड़ उत्पादन में हम पीछ हैं। इस कठिनाई को दूर करना चाहिए।

साधारण किसान के पास कई चीजें नहीं हैं। वित्त की कमी है। वैज्ञानिक जानकारी कम है जो कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्राप्त कर सकते। उसको आधुनिक औजार उचित मूल्यों पर नहीं मिल सकते। अच्छे बीज और उर्वरक समय पर नहीं मिल सकते।। जब तक बुनियादी चीजें किसान को नहीं मिलतीं, तबतक उत्पादन नहीं बढ़गा और कीमतें नहीं कम होंगी।

यह बहुत अच्छी बात है कि खाद्य और कृषि मंत्रालय, सामुदायिक विकास मंत्रालय और सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय का कृषि उत्पादन के सम्बन्ध समन्वय म समन्वय होगा।

हमें छोटे से छोटे किसान की धन, औजारों, बीज और उर्वरक आदि से सहायता करनी चाहिए। किसानों को सहकारी समितियों द्वारा आसानी से वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। हमें गहन खेती द्वारा उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : सभानेत्री महोदया, आज हम जिन दो विषयों पर विचार कर रहे हैं उनका एक दूसरे से सम्बन्ध है । आज भारत की खाद्य समस्या और रोजमर्रा के उपयोग की चीजों के बढ़ते हुए दाम, ये दो समस्यायें हमारे सामने हैं ।

पहले तो मैं भारत सरकार की खाद्य नीति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । मुझे इस बात का खेद है कि हमारी मौजूदा सरकार के आते ही खाद्य समस्या आरम्भ हो गई । अगर आप मुझे आज्ञा दें तो यह कहना सही होगा कि वह खाद्य समस्या का गोलमाल और अब तक इसे सुचारु रूप से न चला सकने की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है और इसका एकमात्र कारण यह है कि खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में जो भी आंकड़े भारत सरकार के पास आते हैं वे वास्तविक उत्पादन पर आधारित नहीं होते । मेरा अपना अनुभव है कि जिन आंकड़ों के आधार पर स्कीमें बनायी जाती हैं और यह दिखलाया जाता है कि खाद्य उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो रही है वे आंकड़े बिल्कुल निराधार होते हैं । इन आंकड़ों का आरम्भ इस प्रकार होता है कि तहसील-दार या जिलाधीश गांव के पटवारी को यह आदेश देते हैं कि ये आंकड़े इतने समय के अन्दर तैयार हो जाने चाहियें । वह अपने घर बैठ कर खसरे में जो फसलों का इन्दराज होता है उसी के आधार पर आंकड़े भर कर भेज देता है । और वे ही आंकड़े जिले के बाद राज्य सरकार को और राज्य सरकार के बाद केन्द्रीय सरकार को भेज दिए जाते हैं । जहां तक आंकड़ों का और खाद्य समस्या का सम्बन्ध है, यह तो हमारे स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ ही, बल्कि उससे पूर्व से ही जब कि प्रावीजनल गवर्नमेंट बनी थी, एक गम्भीर मसला हो गया है । इन आंकड़ों को गलत मानने के लिये मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । जिस समय स्वर्गीय श्री रफी अहमद इस मंत्रालय के मंत्री थे और खाद्य पदार्थों पर से कंट्रोल हटाना चाहते थे तो यह आवाज उठी थी कि यदि ऐसा किया गया तो शहरों के रहने वाले हजारों और करोड़ों लोग भूखों मर जाएंगे । लेकिन रफी साहब ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कंट्रोल हटा दिया लेकिन उसका परिणाम अच्छा ही हुआ और कोई भी भूखों नहीं मरा । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने अपनी खाद्य नीति गलत आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की है और इस काम के लिये कर्मचारियों की एक बड़ी फौज रखी गई है ।

क्या कारण है कि जब देश में पचासी प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषकों की है फिर भी देश आज आजादी प्राप्त होने के १६ साल बाद भी अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता । यह हमारे लिए लज्जा की बात है और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये हमारे प्रधान मंत्री जी के शब्द हैं । अभी पंजाब के दौरे में उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मुझे इस बात की लज्जा है कि अब भी हम को अन्न बाहर से मंगाना पड़ रहा है । और हमारा देश इस काबिल नहीं है कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्न पैदा कर सके ।

इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि कृषकों को वे सुविधायें जिनसे उनका उत्पादन बढ़ सकता है नहीं दी जा रही हैं ।

इसके बाद मैं आपका ध्यान कोआपरेटिव आन्दोलन की तरफ ले जाना चाहता हूं । इसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि इससे उत्पादन बढ़ा है । एक मर्तबा बहुत पैसा खर्च करके रूरल क्रैडिट सर्वे रिपोर्ट आयी, उसके बाद मेहता जी की रिपोर्ट आयी और इनपर विचार किया गया । हम प्राइमरी सोसाइटीज़ के द्वारा ऋण तो कृषकों को देते हैं पर उनके उत्पादन की बिक्री का ठीक व्यवस्था नहीं हो पाती और इस कारण उनका उचित दाम नहीं मिल पाता । चुनाचे एक स्कीम यह आयी कि मार्केटिंग को क्रेडिट के साथ लिंक किया जाए । लेकिन मेरा स्वयं का

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

अनुभव यह है, क्योंकि में दस बरस से डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का प्रबन्ध संचालक हूं, कि, इस स्कीम द्वारा कृषक को मार्केटिंग की सुविधा नहीं मिली बल्कि जो पहले से मध्य श्रेणी के लोग मौजूद थे उनमें एक यह कोआपरेटिव सोसाइटी और मध्य श्रेणी की संस्था बन गई। मार्केटिंग में यह दिखलाया गया कि जो भी उत्पादन एक सहकारी समिति के सदस्य का हो उसको वह मार्केटिंग सोसाइटी को दे और उसके द्वारा उसका उत्पादन खरीदा जाएगा। परन्तु होता यह है कि उन कृषकों को सुविधायें नहीं मिलतीं। मार्केटिंग सोसाइटीज़ ज्यादातर तहसील के सेंटर पर होती हैं और कृषक लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और होता यह है कि चूंकि कानून अनिवार्य तौर पर यह बना दिया गया है कि उनका उत्पादन ऐसी समितियों में जाए, इसलिये कागज पर उसको दिखला देते हैं कि हमने उत्पादन को डील किया और एक रुपया नौ आना सैकड़ा का कमीशन उन से चार्ज किया जाता है। तो इन मार्केटिंग समितियों से प्राइमरी सोसाइटीज के जो कृषक मेम्बर हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिला परन्तु उन के ऊपर एक रुपया नौ आना सैकड़ा ब्याज बढ़ा दिया गया।

एक बात मुझे और कहनी है। अभी जो व्यवस्था है सहकारी समितियों की उनके अनुसार जो रुपया कृषकों को उधार दिया जाता है उस पर उनको साढ़े नौ या पौने दस प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। उसका कारण यह है कि दो परसेंट में तो कर्जा प्रांतीय बैंक को रिजर्व बैंक से मिलता है, फिर वह सेंट्रल बैंक्स को देते हैं और प्राइमरी मेम्बर तक पहुंचते पहुंचते वह ब्याज साढ़े नौ प्रतिशत हो जाता है। इस पर ध्यान देन चाहिये। इतना ज्यादा ब्याज होने का कोई कारण नहीं है जबकि प्रत्येक राज्य में शेयर पारटिसिपेशन समितियों तक आ गया है। बीच में सेंट्रल बैंक और दूसरी संस्थाओं के कारण कृषक तक रुपया पहुंचने में इतना ब्याज बढ़ जाता है यह उचित नहीं है।

एक चीज और है। भाव में बढ़ोत्तरी का प्रश्न केवल गल्ला उत्पादक का नहीं है। बल्कि इस का सम्बन्ध रोजमर्रा की इस्तेमाल की वस्तुओं से भी है। इसका एक कारण यह है कि जो कर केन्द्रीय सरकार द्वारा या प्रान्तीय सरकारों द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं उनके कारण उत्पादन व्यय बढ़ता चला जा रहा है। इसमें किसी तरह का अनुपात नहीं रखा जा रहा है। मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात बतलाऊं। हर कृषक चाहे वह दो बीघा का हो या एक बीघा का है, अगर वह पांच रुपया मालगुजारी देता है तो उस पर हमारी जो अभी केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था हुई है उसके अनुसार अनिवार्य बचत योजना लादी गई है। हमारी प्रान्तीय सरकार ने पहले से ही प्रत्येक कृषक पर २५ प्रतिशत लगान में बृद्धि कर दी है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो कर बढ़ाए जा रहे हैं इनका बहुत असर चीजों के दामों की बढ़ोत्तरी पर पड़ता है। यह खाद्य व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो सकती अगर हम इस बात की कोशिश न करें कि कृषक को यंत्र अथवा रासायनिक खाद अथवा और उसके उपयोग की चीजें सस्ते दामों पर दी जायें, और उनको जो कर्जा कोआपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा दिया जाता है उसका ब्याज कम कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा और वर्तमान व्यवस्था बनी रही तो समाजवादी अर्थ-व्यवस्था कभी भी संभल नहीं सकती। यह तभी सम्भव होगा जब हम रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजों के दाम नीचे लावेंगे।

अन्त में मैं आप की आज्ञा से यह कहना चाहता हू कि यह केवल विरोधी दल की ही राय नहीं है, बल्कि आज ही कांग्रेस के एक बड़े जिम्मेदार आदमी का वक्तव्य अखबार में निकला है, जिस में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की खाद्य और दामों के बारे में जो नीति है उस के कारण

उपभोक्ताओं को १,८०,००० रुपया बीच के लोग, प्रतिवर्ष खाए जा रहे हैं। यह एक ऐसी गम्भीर समस्या हो गई है कि भारत सरकार की खाद्य-व्यवस्था तो एक काजल की कोठरी सी बनी जा रही है और मुझे डर है कि जैसे इस काजल की कोठरी में और लोगों को कालिख लगी, वैसे ही हमारे मौजूदा खाद्य मंत्री, सरदार स्वर्ण सिंह, जिन्होंने और भी मंत्रालयों में कुशलतापूर्वक काम किया है, भी इस कालिख के फन्दे में न फंस जायें। इस लिए खाद्य और बढ़ते हुये दामों के मसले को हल करने के लिये सरकार को विशेष तौर पर नीचे से कृषकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिये, क्योंकि ऊपर के आंकड़ों के आधार पर यह व्यवस्था कभी संभल नहीं सकती है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : सभापति जी, जहां तक फूड प्राइसिज़ और फूड पालिसी का सवाल है, जिन के बारे में हाउस के सामने यह मोशन रखा गया है, यह एक बहुत ही बड़ा और अहम मसला है। अहम ही नहीं, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि हमारे लिये और हमारे देश के लिए यह ज़िन्दगी और मौत का सवाल है। अगर इस मसले का सही हल नहीं होता है, तो, अभी तक जो उन्नति हम ने की है और जो आगे करने जा रहे हैं, उस सब के ऊपर पानी फिर जायगा।

खाने की चीजों की कीमतों के बढ़ जाने का सवाल बार-बार इस सदन में भी और बाहर भी उठाया जाता है, और जैसा कि ज़िक्र किया गया है, शहर के भाई ही इस को ज्यादा उठाते हैं। मुझे इस से कोई शिकायत नहीं है कि वे इन मसलों और इन बातों को क्यों उठाते हैं, क्योंकि अगर उन को कोई तकलीफ़ होगी, तो अपनी बातों को कहने का उन को हक है। लेकिन इस मौके पर मैं सिर्फ़ यह कहना चाहूंगा कि अगर वे शिकायत इसलिए करते हैं कि कीमतें जो बढ़ती हैं, इस के ज़िम्मेदार किसान हैं, तो मैं निहायत अदब से उन को कहना चाहूंगा कि उन का यह ख़याल ग़लत है। किसान इस बात का ज़िम्मेदार नहीं है। अगर कोई इस का ज़िम्मेदार है, तो वह मिडलमैन है, बीच का व्यापारी है, जो कि किसान को भी एक्स्प्लायट करता है और कन्ज्यूमर को भी एक्स्प्लायट करता है। उस का इल्ज़ाम किसान पर लगाना सही नहीं होगा।

अगर उन्हें यह भी ख़याल है कि गांवों में किसानों की हालत बहुत अच्छी है, तो उन का यह ख़याल भी गलत है। अगर वे गांवों में जा कर देखेंगे, तो उन को मालूम होगा कि गांवों में करीब करीब साठ फ़ीसदी आदमी ऐसे रहते हैं, जिन को एक वक्त भी पेट-भर खाना नहीं मिलता है। बंगाल के एक माननीय सदस्य ने इस सदन में यह शिकायत की कि वहां के आदमियों को दो स्क्वेयर मील्ज़ नहीं मिलते हैं। मैं उन को कहूंगा कि वह हमारे गांवों में, हमारे देहात में, आ कर देखें कि कितने आदमी ऐसे हैं, जिन को दो स्क्वेयर मील्ज़ नहीं मिलते हैं—बल्कि एक स्क्वेयर मील भी नहीं मिलता है।

इस वक्त इतना मौका तो नहीं है कि मैं आंकड़े वग़ैरह दूं और बताऊं कि हमारी क्या पैदावार है और क्या आमदनी है, लेकिन मैं सिर्फ़ यह कहना चाहता हूं कि भुखमरी और ग़रीबी गांवों में बहुत ज्यादा है। हम ऐसी किसी किस्म की भावना अपने दिलों में नहीं रखते कि शहर वालों को, कन्ज्यूमर्ज़ को, एक्स्प्लायट करें। इस बारे में जो भी ज़िम्मेदारी है, वह मिडलमैन की है।

बहरहाल अब सवाल यह है कि यह समस्या कैसे हल हो और क्या यह हल हो भी सकती है या नहीं। इस के बारे में मुझे अर्ज़ करना है कि यह समस्या हल हो सकती है, इस का हल मौजूद है, बशर्तेकि हम सही तरीके से चलें और अपनी पालिसी बदलें। मुझ से पहले एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे मुल्क में काफ़ी प्राग्रेसिव फ़ार्मर्ज़ ऐसे मौजूद हैं, जिन का पर-एकड़ यील्ड किसी तरीके से और मुल्कों की यील्ड से कम नहीं है और वह उन के मुकाबले में अच्छी-ख़ासी

[श्री सुरेन्द्रपाल सिंह]

मालूम होती है । सवाल यह उठता है कि जब हमारे बीच में ऐसे किसान हैं, जो इतनी यील्ड पैदा कर सकते हैं, तो और क्यों नहीं कर सकते । इस सिलसिले में मैं आप को अपनी बात कहना चाहता हूं । मैं भी खेती करता हूं और किसान हूं । मैं दावे से कहना चाहता हूं कि मेरी जो पर-एकड़ यील्ड है, वह मेरे इलाके की औसत से, ऐवेरेज से, दुगनी या तिगुनी है । सवाल यह उठता है कि जब मैं कर सकता हूं और मुझ जैसे और कर सकते हैं, तो और किसान क्यों नहीं कर सकते हैं ।

इस सवाल का जवाब यही है कि खेती का उत्पादन करने के लिए जो साधारण उपाय और सहूलियतें हैं, वे सब उन के लिए मुहैया नहीं हैं । जो किसान अच्छी खेती कर रहे हैं, कामयाब हैं, वे खुशकिस्मती से गवर्नमेंट के ऊपर कतई निर्भर नहीं हैं । तमाम साधन उन के हाथ में हैं और जो काम उन को करना होता है, वह कर देते हैं । लिहाज़ा उन की पैदावार अच्छी है । बकिया जो किसान हैं, उन को वे साधन नहीं मिल पाते हैं । मैं गवर्नमेंट से यह इल्तजा करूंगा कि जितना टाइम और शक्ति वह योजनाओं और स्कीमों और कागजी काम पर लगाती है, अगर इन बातों को छोड़ कर वह उतना समय और शक्ति इस मामले को सीधे सुलझाने की कोशिश करे और किसानों के लिए जो तीन चार बातें जरूरी हैं, उन को देने की कोशिश करे, तो यह समस्या हल हो सकती है ।

इस मामले का हल होना इसलिए भी मुश्किल है कि इस बारे में हमारी सरकार के यहां कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे किसी मुफ़लिस के घर का इन्तज़ाम करना हो—कहा जाता है कि बड़ी कमी है, पैदावार कम है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वग़ैरह । यह मुफ़लिसी तभी दूर हो सकती है कि जब खेती की पैदावार बढ़े । उस को बढ़ाने के तरीके क्या हैं, यही मैं अर्ज़ करना चाहता हूं ।

खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए सब से पहली बात यह है कि किसान और काश्तकार को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उस में मैं सब से ऊंचा दर्जा प्राइस इन्सेन्टिव को देता हूं । मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ने इस को कुबूल कर लिया है और प्राइस सपोर्ट की पालिसी अख़्यार कर ली है, जिस की रू से वह किसानों को इमदाद पहुंचायेगी । लेकिन उस के बारे में मैं सिर्फ़ यह कहना चाहता हूं कि उस ने कीमतों को तय करने का जो तरीका रखा है, वह ऐसा अजीबो-ग़रीब है कि न मालूम क्या फ़ार्मूला है, क्या तरीका है, जिस की बिना पर वह गन्ने, गहूं या किसी दूसरी चीज़ की कीमत को निर्धारित करती है । पाटिल साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम ने देखा कि बाजार में गेहूं की कीमत तेरह या चौदह रुपये चल रही है, तो हम ने उस की कीमत तेरह रुपये कर दी । तो यह तो कोई तरीका नहीं है । उन्होंने किसी साइंटिफिक तरीके से यह मालूम करने की कोशिश नहीं की कि उस की कास्ट आफ़ प्रोडक्शन क्या है, उस को पैदा करने में किसान का कितना ख़र्च होता है और उस को निकालने के बाद उस को अपनी चीज़ की सही कीमत मिलती है या नहीं । मेरा ख़याल है कि इस समय जो कुछ भी प्राइस सपोर्ट की पालिसी है, वह ठीक है, लेकिन इस को रिवाइज़ कर के, इस पर दोबारा सोच-विचार कर के, किसानों के लिए उस की पैदावार की ऐसी कीमत तय होनी चाहिए, जो कि उस के लिए रीम्यूनरेटिव हो, अच्छी हो और उस की आमदनी बढ़ाये, जो कि अब नहीं है ।

किसान के लिए दूसरी ज़रूरी चीज़ इरिगेशन और पानी की फ़ैसिलिटी हैं । इस के बारे में कहने के लिए तो काफ़ी बातें हैं, जिस में काफ़ी वक्त लगेगा । मैं आप को वैस्ट्रन यू० पी०, उत्तर

प्रदेश के पश्चिमी जिलों की, मिसाल देना चाहता हूं । हमारे यहां आबपाशी नहरों और ट्यूबवैल्ज़ से होती है, लेकिन नहरों और ट्यूबवैल्ज़ की जो कमांड मुकर्रर की जाती है, इरिगेशन के लिए कमांडिड एरिया मुकर्रर किया जाता है, वह एक ऐसे पुराने फ़ार्मूले के आधार पर किया जाता है, जो कि आज से चालीस साल पहले तय हुआ था---सर विलियम स्टैम्प के ज़माने में, जब कि पानी की मांग बहुत कम थी और सरकार यह चाहती थी कि रकबा ज्यादा से ज्यादा घेर लें, ताकि अगर थोड़ी-बहुत भी किसान आबपाशी कर ले, तो इकट्ठा हो कर उन को कम से कम पूरी आमदनी हो जाये । अब वह नक्शा नहीं है । अब हालत यह है कि पानी की मांग इतनी ज्यादा है कि सरकार के पास पानी देने के लिए नहीं है । फिर भी वह ट्यूबवैल्ज़ और नहरों की कमांड उसी फार्मले पर कायम करती है कि एक एक ट्यूबवैल पर ८००, ९०० और १,००० एकड़ रकबा रखती है, जब कि मेरा दावा है कि अगर किसान पूरी आबपाशी करना चाहें, तो शायद दो तीन सौ एकड़ भी नहीं कर पायेंगे ।

यही नक्शा नहरों का है । पानी के लिहाज़ से कमांड ज्यादा है । सरकार पानी नहीं दे पाती है और फिर कहती है कि हम ने इरिगेशन का पोटेंशल इतना इन्क्रीज़ कर दिया है कि किसान यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाते । किसान यूटिलाइज़ कहां से करें, जब पानी ही नहीं है ? सरकार ने एक पानी दिया और कह दिया कि तुरहारी आबपाशी हो गई । अब चाहे उस को दूसरा पानी मिले या न मिले, चाहे उस को कितना भी नुक्सान हो, लेकिन सरकार के काग़ज़ में दर्ज हो गया कि आबपाशी हो गई और रिकार्ड चला गया कि हम ने इतनी आबपाशी कर दी । इस से काम नहीं चलता है । ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हैं और इन को ग़ौर से देखना चाहिए और मेरा सुझाव यह है कि जितने ट्यूबवैल्ज़ हैं, उन सब का रकबा अगर ज्यादा नहीं, तो कम से कम आधा कम कर देना चाहिए और उस जगह पर एक एक ट्यूबवैल और दे देना चाहिए । जहां तक नहरों का सवाल है, कुलावों के डायामीटर बढ़ा देने चाहिए, ताकि पानी का डिसचार्ज बढ़ाया जा सके और पानी के साधनों में वृद्धि हो सके । अगर यह नहीं होगा, तो ये स्कीमें केवल काग़ज़ पर ही रहेंगी, लेकिन पैदावार कतई नहीं हो पायेगी और न इस से आगे बढ़ेगी ।

तीसरी ज़रूरी चीज़ है फ़र्टलाइज़र, जिस के बारे में यहां काफ़ी कहा जा चुका है । फ़र्टेलाइज़र का इस्तेमाल करना निहायत ज़रूरी है, बड़ा अच्छा है, यह मैं भी मानता हूं, लेकिन उस के साथ साथ गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़रूरी है । फ़र्टिलाइज़र के बारे में गवर्नमेंट की तरफ़ से बहुत प्रापेगेंडा हुआ है कि इस को इस्तेमाल किया जाये । मेरी ज़ाती राय यह है कि फ़र्टलाइज़र का ज्यादा इस्तेमाल करना और उस को बैलेंस न करना गलत है, जहां उस का अकेले का इस्तेमाल हो चुका है, वही नुक्सान हुआ है । गवर्नमेंट की तमाम मशीनरी यह प्रापेगेंडा कर रही है कि फ़र्टलाइज़र इस्तेमाल करो । लेकिन ये कोई नहीं कहता कि साथ साथ देसी खाद का प्रयोग भी ज़रूरी है । अपनी आंखों देखी बात मैं आप को बताता हूं । जहां कई साल से फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल किये जा रहे हैं, कई सालों से और आर्गेनिक मैन्योर का उसके साथ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है वहां पर नतीजा यह हो रहा है कि जमीन ऊसर हो गई है, खराब हय गई है, पैदावार गिर गई है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, वहां साथ साथ गांवों के लोगों को इसके बारे में शिक्षित करना भी बहुत जरूरी है कि फ़र्टिलाइज़र्स के साथ साथ आर्गनिक मैन्योर या फार्म यार्ड मैन्योर का इस्तेमाल करना भी बहुत आवशयक है । यह चीज़ आज नहीं की जा रही है । उनको सिर्फ यही कहा जाता है कि फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल करो ।

[श्री सुरेन्द्रपाल सिंह]

जहां फर्टिलाइजर्ज़ का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, वहां यह देखना भी बहुत जरूरी है कि समय पर किसानों को यह मिले और इस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह अच्छा हो। इसके साथ साथ इस का सही इस्तेमाल हो, गलत इस्तेमाल न हो।

किसानों को रुपये पैसे की जो जरूरतें हैं, वे कैसे पूरी हो सकती हैं, इसकी तरफ भी आप का ध्यान जाना चाहिए। इस वक्त गवर्नमेंट जो उनको रुपया दे रही है लोन के तौर पर या तकावी के तौर पर या कोआप्रेटिव सोसाइटी से उस के तमाम आकड़ों को देखने से पता चलता है कि किसान की छः परसेंट ही जरूरतें इस जरिये से पूरी होती हैं। बाकी जरूरतें को पूरा करने के लिए उस को दूसरों के पास जाना पड़ता है और रुपया उधार लेना पड़ता है। जो मनीलैंडर वगैरह हैं, वे उस को इंटिरेस्ट बहुत ज्यादा लेते हैं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट कोशिश करके उस को कम से कम दर पर रुपया उधार दे और उसकी जितनी जरूरियात हैं, उन सब के लिए उस को रुपया मिलना चाहिये। चूंकि जो रुपया उस को मिलता है वह काफी नहीं मिलता है, कम मिलता है, इस वास्ते उस का गलत इस्तेमाल हो जाता है। साथ ही साथ रुपया उस को वक्त पर नहीं मिलता है। उस को रुपया वक्त पर और उस की जरूरत के मुताबिक मिलना चाहिए। सूद उस रुपया पर वही लगना चाहिये जो व्यापारियों से लिया जाता है।

अब अलीगढ़ के पैकेज़ प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे मंत्री महोदय जबाब दे देंगे कि जो कुछ किया जाना चाहिये, वे सब हम वहां कर रहे हैं, अभी हाल ही में में वहां गया था वहां पर मैंने एग्रिकल्चरल बोर्ड की मीटिंग एटेंड की थी। उस का मैम्बर हूं। वहां पर वहां के मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। वहां पर जा कर और घूम कर मैंने देखा है मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। स्वयं गांवों में हम लोग गए और किसानों ने मुंह दर मुंह शिकायत की कि हम फर्टिलाइजर्ज़ का इस्तेमाल कैसे कर लें, पानी नहीं मिलता है, पानी के साधन कतई नहीं बढ़ाये गये हैं जो हालत यहां पहले थी, वही आज भी है। लेकिन फर्टिलाइजर्ज़ पर वहां बहुत जोर दिया जाता है। स्कीम के जो चालक थे उन से मैंने सवाल किया कि ग्रीन मैन्योर और कम्पोस्ट मैन्योर का क्या आपने इंतज़ाम किया है। आप सुन कर ताज्जुब करेंगे जो जबाब उन्होंने मुझे उस का दिया। उन्होंने कहा कि इस मसले को आप यहां न उठायें यह चीज़ हमारी स्कीम के कतई खिलाफ है। हमारी तवज्जह ग्रीन मैन्योर या आग्रेनिक मंन्योर्ज़ के बारे में कतई नहीं है क्योंकि हमारा ख्याल है कि फर्टिलाइजर्ज़ का इस्तेमाल ही काफी है। मैं मानता हूं कि पांच साल तक तो उत्पादन काफी हो जाएगा लेकिन पांच साल के बाद ज़मीन का क्या हाल होगा, क्या आपने इस पर बिचार किया है। एग्रिकलचर पैकेज प्रोग्राम जहां चल भी रहे हैं, वहां भी इस की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। आपको चाहिये कि आप बैलैंस्ड प्रोग्राम बनायें। आज ज़ोर इस बात पर ही दिया जाता है कि किसी तरह से उत्पादन बढ़े। आज इंटिरेस्ट इसी बात में है कि पांच साल के अन्दर जिस किसी तरीके से भी हो, पैदावार बढ़ा कर दिखा दी जाए, बाद में चाहे ज़िला जहन्नुम में जाये या कहीं जाए।

अब एक आखिरी बात मैं इम्प्लेमेंटस के बारे में कहना चाहता हूं। आजकल इन की बहुत चर्चा होती है। कहा जाता है कि इम्प्रूब्ड इम्पलेमेंटस होने चाहिये, साइंटिफिक होने चाहिये और इस काम पर रुपया भी काफी खर्च हो रहा है, मैं इस के खिलाफ नहीं हूं कि इम्प्लेमेंटस अच्छे न बनाये जायें या इस क्षेत्र में रिसर्च न किया जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट के दिमाग में आज यह है कि किसानों को फक्त नय नय नमूने के हल देते ही खेती की पैदावार बढ़ जाएगी यह गलत ख्याल है। जैसी कंडिशन्ज़ इस वक्त हैं, उनके रहते हुये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसी देसी हल से पैदावार

दुगुनी और तिगुनी बढ़ सकती है। इम्प्लेमेंटस को आप जरूर अच्छा करें लेकिन इन के इस्तेमाल का वक्त बाद में आयेगा। अभी तक तो बहुत सी बंसिक चीज़ें हैं जो कि हम पूरी नहीं कर सके हैं और उन को हमें पूरा करना चाहिये। उस के बाद हम इम्प्लेमेंटस के बारे में सोच सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इन के बनाने पर अधिक रुपया खर्च न किया जाए। रिसर्च होता रहे, लेकिन ये ज्यादा बनाये न जायें जब वकत आएगा तब काम में ये आ जायेंगे।

श्री प० ला० बरूपाल (गंगानगर) : आज इस सदन में खाद्य समस्या और कीमतों के संबंध में जो विचार-वमर्श हो रहा है, उस में अपने विचार प्रकट करने के लिए मुझे समय दिया है, उस के लिए मैं आप का आभारी हूं।

मेरा निवेदन है कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने विशेष तौर से कोई अधिक प्रयत्न नहीं किया है। मैं जिस इलाके से आता हूं वह कृषि प्रधान इलाका है। गंगानगर में करोड़ों रुपया खर्च करके भारत सरकार ने एक कृषि फार्म की स्थापना की है। उस क्षेत्र की हालत यह है कि आज घग्गर नदी की बाढ़ आती है। आज के समाचारपत्रों से मालूम हुआ है कि ६०,००० एक्ड़ भूमि इस वक्त भी वहां जलमग्न है। मैं गंगानगर का नाम इसलिए ले रहा हूं कि यह भी विषय खाद्य उत्पादन से सम्बंध रखता है। अब आप देखें कि अगर प्रति एक्ड़ पैदावार बीस मन भी होती हो तो सत्तर हज़ार एक्ड़ में चौदह लाख मन अनाज पैदा होता। अगर मार्किट रेट सोलह रुपया मन आंका जाए तो २ करोड़ २४ लाख रुपये का एक वर्ष में नुक्सान हुआ। बाढ़ से सैंड़कों जनधन आदि को जो नुक्सान पहुंचता है, वह अलग है। राजस्थान सरकार ने इस बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिए साढ़े छः करोड़ रुपये की एक योजना भारत सरकार के पास भेजी है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना नुक्सान होने पर भी उस योजना की ओर भारत सरकार की तरफ से विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। आप देखें कि अगर एक वर्ष में २ करोड़ २४ लाख रुपये की इनकम का नुक्सान होता है तो तीन वर्ष में ६ करोड़ ७२ लाख रुपये का नुक्सान हुआ। इतना भारी नुक्सान होने के बाबजूद भी इतने कम खर्च की योजना को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही। इस घग्गर नदी की बाढ़ से किसानों की बहुत बरबादी होती है और मैं प्रार्थना करता हूं कि उस बरबादी को रोकने के लिए शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न किया जाए। इस में जितनी शिथिलता बरती जाएगी, उतना ही ज्यादा देश का तथा किसानों का नुक्सान होगा।

राजस्थान का जो राजस्व डिपार्टमेंट है वह बहुत ही भ्रष्ट है, जिस तरह के भ्रष्ट तरीके उस डिपार्टमेंट में बरते जाते हैं, उस के खिलाफ कई आन्दोलन भी किए गए हैं, आवेदनपत्र भी दिये गये हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो भ्रष्ट अफसर हैं, उनको उस में क्यों रखा जाता है। ज़मीन की एलाटमेंट की जो नीति है वह भी हमारी सरकार की ठीक नहीं है। वहां पर डबल एलाटमेंट कर दिये जाते हैं। एक आदमी के पास भूमि होती है, जिस पर उस का कब्ज़ा होता है, लेकिन उसके बाबजूद भी राजस्व डिपार्टमेंट के भ्रष्ट अफसर, रिश्वत ले कर के ही वही जमीन दूसरों को दे देते हैं। इस का नतीजा यह हो रहा है कि प्रतिदिन कत्ल आदि जुर्म बढ़ते जाते हैं। गंगानगर के आंकड़े आप मंगा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा कत्ल अगर होते हैं, तो गंगानगर के इलाके में होते हैं और दूसरा नम्बर फिरोज़पुर का आएगा। फिर किसानों को अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। वहां पर भी रिश्वत देनी पड़ती है। इस तरह से किसानों का लाखों रुपया बरबाद हो जाता हैं। राजस्व विभाग जो वहां के मुख्य मंत्री हैं, उनके हाथ में है, जिनको बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रटर बताया जाता है, जिनको बहुत ही कुशल मुख्य मंत्री कहा जाता है। एक कुशल मुख्य मंत्री के नीचे जब कोई भ्रष्ट डिपार्टमेंट होता है और किसानों की यह हालत होती है तो आंखों में आंसू आये बिना नहीं रहते हैं। एक अर्से से मैं चुप बैठा हूं और कांग्रेस

[श्री प० ला० बारूपाल]

की आलोचना मैंने नहीं की है परन्तु दम घुट कर रह जाता है। मैं समझता हूं कि जो वास्तविक स्थिति किसानों की है उसको अगर मैं आपके सामने नहीं रखता हूं, जिन्होंने मुझे यहां भेजा है अगर उन की बात को यहां नहीं कहता हूं तो उनके प्रति मैं अन्याय करूंगा, उनको धोखा दूंगा। साथ ही में प्रार्थना करता हूं कि घग्गर नदी की बाढ़ को रोकने का जल्दी से जल्दी प्रयत्न किया जाना चाहिये और राजस्थान गवर्नमेंट ने जो साढ़े छः करोड़ की स्कीम भेजी है, उसको शीघ्र मंजूरी दे कर काम चालू किया जाना चाहिये ताकि किसानों को बरबादी से बचाया जा सके। जब बाढ़ आ जाती है, तब फसल जलमग्न हो जाती है तो न केवल उसकी बरबादी ही होती है बल्कि लोगों को न छः महीने तक मजदूरी मिलती है और न ही कोई दूसरा धंधा करने को रह जाता है। जब फसल नष्ट हो जाती है तो उनके पशुओं को भी खाने को नहीं मिलता है।

यहां पर कई बातें की जाती हैं कि फलां फलां जगहें हैं, जहां पर लोगों की आमदनी बहुत कम है, लोगों को खाने को नहीं मिलता है, गरीबी बहुत अधिक है इत्यादि मैं आपको जैसलमेर और बीकानेर की बात बतलाना चाहता हूं। वहां पर लोगों को तीन तीन दिन तक खाने को नसीब नहीं होता है। कुछ भाई कहते हैं कि लोग गोबर में से अनाज के दाने निकाल कर खाते हैं, लेकिन सभानेत्री महोदया आप शायद अनभिज्ञ होंगी इस बात से कि मैं जिस बीकानेर और पुराने जैसलमेर के इलाके की बात कह रहा हूं वहां पर जब अकाल पड़ जाता है और अभी भी अकाल पड़ा हुआ है तो कम पानी होने की वजह से वहां भ्रुट हो जाता है और उसके पास से जो भी निकलता है उसका शरीर कांटों से लथपथ हो जाता है। उनकी शूलिया हाथों में लगती हैं तो फोड़े हो जाते हैं। उसमें से दाने निकालते समय। फिर उस भ्रुट की रोटी वह खाते हैं। इतना ही नहीं, अकाल के अन्दर अखाद्य अनाज होते हैं उनको भी लोग खाते हैं। इसी तरह से अन्द्रायन जिस को हम तूंबा कहते हैं, जो कि कड़वा होता है, उसको गाय वगैरह खाती हैं। उस गाय के गोबर से तूंबा के बीज निकलते हैं उन को दूसरे बीजों के साथ मिला कर वे रोटियां बना कर खाते हैं। आज ऐसी स्थिति हो जाती है। मैं आज की बात बयान नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजस्थान में हर तीसरे वर्ष अकाल पड़ता है मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आज गंगानगर में स्थिति यह है कि आप का जो फार्म है उस फार्म की २१ हजार एक्ड़ भूमि उस घग्गर नदी के बाढ़ से जलमग्न है। मैं कहना चाहता हूं कि आप अनाज के सह: आंकड़े देखिये, आप के आंकड़े गलत हैं। वहां का पटवारी निकम्मा होता है, पटवारी पैसा न देने वाले किसान पर आंख रखता है। मैं कहता हूं कि वहां का एक एक पटवारी प्रत्येक परिवार से एक मन आनाज लेता है, १ रु० नहीं। पहले हम १ रु० देकर छूट जाते थे, लेकिन अब रुपया नहीं लिया जाता है आज कल जो भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, उस के सम्बंध में तो अब हमारे प्रधान मंत्री जी को थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। क्योंकि हर तरफ से कहा जा रहा है कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। लेकिन जिस चक्क में मैं रहता हूं उस चक्क के अन्दर प्रत्येक किसान के परिवार से एक मन अनाज लिया है। १ मन की कीमत १६ रु० होती है, इस तरह से प्रत्येक परिवार से पटवारी कितने रुपये ले गया है ? आज किसान के घर में अनाज नहीं है, लेकिन नायब तहसीलदार के घर में अनाज है तहसीलदार के घर में पटवारी के घर में अनाज है, दूसरे अफसरों के घर में अनाज है। परन्तु आज किसान भूखा मरता है।

मैं प्राइस के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। जब किसान को बीज बोने को मिलता है उस वक्त अनाज की कीमत करीब २० रुपये मन होती है, लेकिन जब मार्केट में किसान का अनाज जाता है तो १४½ रु०, १५ या १६ रु० मन अनाज बिकता है। मैंने १४½ रु० मन का अनाज बेचा। जिस राज्य में इस प्रकार की अव्यवस्था रहेगी वहां किसी तरीके से किसान ऊंचा नहीं उठ सकता। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि मान लीजिये कि मैंने १०० एक्ड़ जमीन बोई और उस में २,००० मन

अनाज पैदा हुआ अगर मार्केट में उसका भाव ठीक है तो मेरा स्टैन्डर्ड ठीक हो जायेगा, लेकिन अगर अगले साल मैंने २०० एकड़ जमीन बोई और अनाज दुगना हो गया फिर भी अगर मार्केट में वैल्यू १६ के बजाय ८ रु० हो गई तो मैंने खामख्वाह मेहनत की, खामख्वाह परेशानी उठाई, अपने बैलों को मारा, परिवार को मारा। इसलिये जब तक आप सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, किसानों के लिये स्टोर्स नहीं बनायेंगे, कोआपरेटिव बेसिस पर आनज की खरीद नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि लोग किसानों का शोषण करेंगे। आज जो किसान है वह बेचारा परेशान है आज यहां पर कुछ लोग सहकारी आधार पर खेती का विरोध करते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे बिल्कुल याद है कि मेरे हरिजन होते हुए भी, जब मैं खेत पर जाता था और मेरे पास हल नहीं होता था, बैल नहीं होते थे, तो मेरे गांव के राजपूत, जाट और ब्राह्मण थे वे इकट्ठा हो कर एक दिन में मेरा खेत बो दिया करते थे और इसी प्रकार हम दूसरे खेतों में जाते थे और सब मिल कर कोशिश कर के काफी अनाज पैदा करते थे। एक दूसरे का खेत बो दिया करते थे और काट दिया करते थे क्योंकि हमारे यहां प्राचीन काल से सहकारिता की भावना थी लेकिन कुछ पूंजीपति लोग, जो हमारी अर्थ व्यवस्था को अपने हाथों में रखना चाहते हैं, वे नहीं चाहते कि हमारे यहां सहकारिता पनपे। जब हमारे देश में सहकारिता का ज़ोर होगा तभी हम लोग समाजवाद ला सकते हैं, और समाजवादी व्यवस्था के आधार पर देश को आगे बढ़ा सकते हैं।

कहने को तो बहुत सी चीजें हैं लेकिन चूंकि आपने समय बहुत कम दिया है इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। इतना ही कहना चाहता हूं कि इस हाउस में जो बातें कही गई हैं वह शायद हमारे सुखाड़िया जी को खटकेंगी कि इस सदन में लोग आ कर उनका विरोध करने लगें हैं। मैं सही कहता हूं कि हमारे राज्य में, विशेषकर गंगानगर में जिस तरह से अफसरशाही और नौकरशाही के कारण किसान पिस रहा है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो चाहे कोई राज्य बनाये, लेकिन राजस्थान में भविष्य में कांग्रेस गवर्नमेंट बनने वाली नहीं है। अगर वह भविष्य में वहां बन जाय तो आप मुझ पर लानत भेजियेगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : सभापति महोदय, या तो यह सरकार अन्न और भूख के मतलब बिल्कुल नहीं समझती या इसको असत्य बोलने की आदत हो गई है। मंत्रियों ने इस संसद में कहा कि हिन्दुस्तान में कोई भूख से मरा नहीं। यहां तक नादानी दिखा डाली कि आजादी और भूख में परस्पर विरोध बतला दिया। मैं आपके सामने कुछ नाम सुनाऊंगा, उन लोगों के जो भूख से इधर तीन चार महीनों में मरे हैं, जिन के घरों में मैं खुद गया था और वहां से जांच करके आया हूं। एक का नाम तो मैं पहले यहां बता भी चुका था। भीम महतो, जो भूरा खानके हैं और पुरुलिया जिले के। लोचन सरदार, श्री कान्त महतो, ऐसे मेरे पास १२ नाम हैं और मैं आपकी इजाजत से उन नामों को सदन के पटल पर रख देना चाहता हूं।

†**श्री प० र० पटेल :** क्या आप के पास डाक्टर का सर्टिफिकेट है कि ये लोग भूख से मरे।

डा० राल मनोहर लोहिया : मैं अपना सर्टिफिकेट देता हूं। डाक्टर के सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं। मैं वहां जांच करके आया हूं। आप के जो डाकटर होते हैं वह सर्टिफिकेट किस आधार पर देते हैं यह मैं सदन के पटल पर रख देना चाहता हूं।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : आप जो कुछ कह रहे हैं उस के लिये बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह असत्य है।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम मनोहर लोहिया : बंगाल सरकार को तो असत्य बोलने की आदत पड़ गई है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हिन्द सरकार की असत्य बोलने की आदत है। आखिर हम भी यहां आये हैं कोई बात कहने। मैं यह बतला देना चाहता हूं.....

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली—करोलबाग) : मैं माननीय सदस्य को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वे इसको सदन के पटल पर रखने की अपेक्षा मंत्री जी के पास भेज दें ताकि वह आपको समुचित उत्तर दे सकें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह छोड़े देता हूं। *सदन-पटल पर मैं यह बारह नाम रखता हूं। मैं इन लोगों के घरों पर गया था ....

सभापति महोदय : आप यहां रख सकते हैं। लेकिन आप के पास समय बहुत कम है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करती हूं कि वे बहुत इंटरप्ट न करें।

डा० राम मनोहर लोहिया : इस का कारण मैं सोच रहा हूं कि क्यों सरकार से इतनी गलती होती है। वह चार विभिन्न विचारों को एक साथ मिला डालती है। एक तो है बेढंगे भोजन का विचार, दूसरा है कम भोजन का विचार, तीसरा है बिन भोजन का विचार और चौथा है उपवास के द्वारा देह त्याग। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भुखमरी को केवल उपवास के द्वारा देह त्याग समझती है । जबकि मैंने बिन भोजन के सम्बन्ध में वेब्स्टर को जो अन्तर्राष्ट्रीय शब्दकोष है, देख लिया है। अंग्रेजी, मैं नहीं चाहता कि इस सदन में आये, लेकिन चूंकि यहां पर अंग्रेज़ी के द्वारा ही सोचना पड़ता है इसलिये बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने "स्टार्वेशन" शब्द का अर्थ बतलाया है मिसाल दे कर :

"रक्षक सेना को भूखे मार देना"

दूसरा बतलाया है :

"मन की शक्तियों का उपयोग न करने से वे खत्म हो जाती हैं"

दोनों के बिल्कुल साफ मतलब हैं कि यह एक सिलसिला है, कोई घटना नहीं है। इस तरह से मैं भुखमरी का अर्थ बिल्कुल साफ रखना चाहता हूं कि अगर दिन भर खाने को बिल्कुल न मिले और फिर छटांक या दो छटांक मिल जाय, दूसरे दिन भी खाने को न मिले और फिर छटांक या दो छटांक मिल जाय, और यह सिलसिला दो, तीन, चार महीने रहे तो इसको भुखमरी में गिनना चाहिये, चाहे अंग्रेज़ी भाषा के अनुसार चाहे हिन्दी भाषा के अनुसार। इसलिये मैं यहां पर कुछ अपनी तरफ से अनुमानित आंकड़े भी बतलाना चाहता हूं कि कम भोजन अथवा बिन भोजन के कारण, जैसे कि शिशु मृत्यु भी कारण होगा या जैसे दूसरी

---

†मूल अंग्रेजी में

*अध्यक्ष द्वारा बाद में आवश्यक अनुमति न दिये जाने के कारण पत्र सभा-पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

बीमारियां अथवा महामारियां होंगी, हमारे देश में कितने आदमी मरते हैं। हमारे यहां ४०, ४५ लाख आदमी हर साल अकाल मृत्यु से मरते हैं। अगर हम योरप और हिन्दुस्तान की मौतों की तुलना करें। जहां तक सवाल भुखमरी का है हर साल कम से कम ४, ५ लाख आदमी इस देश में मरा करते हैं जो मैंने परिभांषां बतलाई उसके अनुसार।

अब सवाल है कि किया क्या जाय? दृष्टि बिल्कुल बदलनी चाहिये, और वह दृष्टि पुरानी खेती के मामले में है। पानी का समुचित इंतजाम हो। मैं अन्न मंत्री से कहूंगा कि वे अपनी पुरानी किताब देखें। संसार के सबसे बड़े एक विशेषज्ञ पानी की सिंचाई के थे, उनकी राय यहां मौजूद होगी, सन् १९४७-४८ की कि हिन्दुस्तान में बांधों के जरिये मुश्किल से १०, १५ या २० सैकड़ा खेतों को पानी पहुंचाया जा सकता है। ८० या ८५ सैकड़े खेत को पानी पहुंचाया जा सकता है तालाब और कुओं के जरिये से। यह राय संसार के एक सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं उन्होंने सन् १९४७-४८ में दी थी। उस राय के अनुसार हम नहीं चले। खैर, हम सब लोगों की यह राय होनी चाहिये क्योंकि हिन्दुस्तान की जमीन ऐसी हैं। मैं चाहता हूं कि वह राय छापी भी जाय और उसके अनुसार काम भी किया जाय। साथ ही तालाब या जैसे नल वगैरह होते हैं, सिंचाई के नल, या कुंएं, उनकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय।

इसी तरह से नई खेती को बढ़ाने के लिए एक अन्न सेना भरती की जाए। इस सेना में दस पन्द्रह लाख आदमियों को भरती करके और सात आठ अरब रुपए की योजना बना कर पांच साल के अन्दर अन्दर २ तीन करोड़ टन अनाज बढ़ाया जा सकता है। मैं यहां यह दावा करता हूं कि अन्न मंत्री मेरी सलाह लें तो पांच साल के अन्दर अन्दर इस देश की अन्न की पैदावार कम से कम चार करोड़ टन बढ़ायी जा सकती है। आज वह आठ करोड़ टन की बात कहते हैं, बारह करोड़ तक बढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं बशर्ते कि अन्न मंत्री और प्रधान मंत्री मेरी सालह मानें। जो कुछ मैंने पानी के बारे में कहा और नई खेती के बारे में कहा, अगर यह हो जाए तो उनका भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो।

इसी के साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि इस सदन में और बाहर भी अन्न मंत्री ने और प्रधान मंत्री ने, दोनों ने न जाने कितनी बार देश को कहा है कि अन्न के मामले में हम स्वावलम्बी हो जाएंगे फलां बरस तक, पर हो नहीं पाए। मैं चाहूंगा कि अन्न मंत्री इतनी कृपा करें कि देश को यह बताएं कि कितनी बार अन्न मंत्री ने और प्रधान मंत्री ने ऐसे गैर जिम्मेदारी के और नादानी के बयान दिए हैं, क्योंकि उनसे साफ जाहिर होता है कि वह बयान देते रहते हैं और कुछ काम नहीं करते जिससे हिन्दुस्तान की भुखमरी की हालत सुधरे। मैं चाहता हूं कि वह मेहरबानी करके सारे देश को बताएं कि कितनी बार अन्न मंत्री ने और प्रधान मंत्री ने ऐसे बयान दिए हैं। मैं अन्न मंत्री को दोषी बताता हूं पर साथ ही प्रधान मंत्री को भी। लेकिन एक चीज़ मैं यहां कह देना चाहता हूं। कम्युनिस्ट सदस्यों ने जो काम किया वह ठीक नहीं था। उन्होंने अकेले अन्न मंत्री को दोषी बताया। मैं कहता हूं कि दोनों दोषी हैं। सारी सरकार दोषी है। जहां तक नीति का मामला है मैं सारी सरकार को दोषी समझता हूं। जहां तक नीति पर अमल का मामला है, किसी एक विभाग के मंत्री को दोषी बता कर निकाला जा सकता है। लेकिन यहां तो सरकार की सारी

[डा० राम मनोहर लोहिया]

नीति ही भ्रष्ट रही है। यह मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि हालांकि पाटिल साहब पूर्ण रूप से दोषी हैं लेकिन इधर उन्होंने १५—२० दिनों में अपनी शान से आन से इस काम को निभाया। यह बात मैं खास तौर से कह देना चाहता हूं।

अब सवाल यह उठता है कि अन्न के व्यापार के मामले में क्या किया जाए, दामों के मामले में। इस सदन में ज्यादातर यह बात कही गयी कि या तो दाम घटाए जाएं या दाम बढ़ाए जाएं। मैं आपके सामने एक नई दिशा रख देना चाहता हूं। दाम घटाने बढ़ाने का सवाल नहीं है। जो किसानों के नुमायन्दे हैं वे कहेंगे कि दाम बढ़ाओ, और जो शहर वालों के और मजदूरों के नुमायन्दे हैं वे कहेंगे कि दाम घटाओ। मैं आपके सामने एक दूसरी दृष्टि रखना चाहता हूं। जो फस्ल के समय दाम हो और जो फस्ल खत्म होने के समय दाम हों उन दोनों में एक आने सेर से अधिक का यानी १६ प्रति सैंकड़ा से अधिक का अन्तर न होना चाहिए। यह दाम नीति का बिल्कुल नया रूप हैं। मेरे लिए नहीं लेकिन सरकार के लिए नया होगा, कि फस्ल के समय के दाम में और फस्ल के अन्त के दाम में इससे ज्यादा अन्तर न होना चाहिए। और फिर दूसरे सिद्धान्त को अपना लिया जाए कि खेतिहर दाम में और कारखाने के दाम में संतुलन कायम किया जाए, तो फिर हमें निश्चित रूप से रास्ता मिल जाएगा, और हिन्दुस्तान में जो दामों की लूट के सबब चारों ओर शोषण हो रहा है, किसान का, मजदूर का, और शहर वाले का, उसको खत्म करने का रास्ता निकल आएगा।

अब रह जाता है यह सवाल कि इस व्यापार को कौन करे। मैं इस सम्बन्ध में आपको महाभारत से कुछ बताना चाहता हूं। इस समय मैं आपको श्लोक तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे याद है कि मैंने ऐसा पढ़ा है कि आज से चार हजार वर्ष पहले हिन्दुस्तान में अन्न का थोक व्यापार राजा के हाथ में रहता था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आज मैं यह कहता हूं कि अन्न का थोक व्यापार इस सरकार के हाथ में आ जाए, क्योंकि जैसे पूंजीपति भ्रष्ट हैं वैसे ही इस सरकार के लोग भी भ्रष्ट हैं। इसलिए मैं इस सवाल में नहीं जाना चाहता और यह नहीं कहना चाहता कि इस व्यापार को एक भ्रष्ट आदमी के हाथ से ले कर दूसरे भ्रष्ट आदमी के हाथ में दे दिया जाए। लेकिन यह जरूरी है कि दाम के बारे में ये दो नीतियां जरूरी रूप से स्वीकार कर लेनी चाहिए। इस तरफ हम ध्यान देंगे तो यह समस्या हल हो सकती है।

यहां पर जो पी० एल० ४८० का सवाल उठा, उसकी ओर मैं आपका ध्यान जरूर खीचूंगा। सरकारी गोदामों में अनाज पड़ा रहता है और इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि सन् १९५०, ५१ और ५२ तक का जो अनाज सरकारी गोदामों में पड़ा हुआ है वह नहीं बिका और सन् १९६१-६२ का अनाज बिका है, और पुराना अनाज सड़ जाने के बाद नीलाम किया गया है और उसका एक मन गेहूं अथवा दूसरे अनाज का १५ नए पैसे या २० नए पैसे या २५ नए पैसे दाम आया है, और उसको खरीद कर लोगों ने कुछ का खमीर बनाया, कुछ को खाद के लिए बेच दिया जो कि पौने दो रुपए मन पर बिका और उसमें से अच्छे अनाज को बीन कर अनाज के रूप में बेचा। इस प्रकार की सारी चीजें जो सरकार की तरफ से अनाज का व्यापार होता है उसमें हो जाया करती है। तो यह तो मैंने सरकारी गोदामों की बात कही।

जो अनाज के व्यापारी हैं, उनकी यह अवस्था है कि जहां कहीं उनको परमिट मिलता है तो उसके साथ-साथ उनको किसी न किसी निधि में चन्दा देना पड़ता है। और वह निधि किसी न किसी सरकारी आदमी के नाम के साथ जुड़ी रहती है, उसके स्मारक के लिए या और किसी चीज़ के लिए। तो यह होता है कि एक हाथ पैसा दो और दूसरे हाथ कमाओ और इसमें व्यापारी और सरकार का मामला जुड़ा हुआ है।

मैंने संसदीय खोज दफ्तर से एक सवाल पूछा था। अभी तक उस बारे में आंकड़े तो मेरे पास नहीं आये हैं लेकिन मोटे तौर से बगैर कागज कलम का इस्तेमाल किए हुए, मैंने जो आंकड़ा निकाला है वह यह है। यहां पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि पिछले १५ सालों में अनाज की पैदावार में बहुत बढ़ती की गई है। अगर आपके आंकड़े मान लें तो भी पिछले १५ बरस में एक आदमी पीछे डेढ़ छटांक अनाज रोज़ की बढ़ती हुई है जो कि बिल्कुल नहीं के बराबर है। जिस देश में भुखमरी का इतना ज्यादा कलंक हो वहां डेढ़ छटांक रोज़ के हिसाब से बढ़ना क्या है ?

लेकिन अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। यह डेढ़ छटांक हिन्दुस्तान की सारी आबादी को नहीं मिला है। हिन्दुस्तान की ४४ करोड़ आबादी में, मेरा अन्दाजा है, ३५ करोड़ को बिल्कुल कुछ नहीं मिला है और ९ करोड़ आदमियों को ६-७ छटांक के हिसाब से बढ़ती हुई हो तो हुई हो। तो नतीजा यह होता है कि जब कभी हम बढ़ती के बारे में सोचें, अनाज की बहुती या अन्य उत्पत्ति की बढ़ती और उसके बटवारे के बारे में सोचें तो इस पर ध्यान रखें कि जो थोड़ी सी बढ़ती हुई है, बहुत मामूली सी, वह कुछ लोगों के पास चले जा रही है। तो अनाज के मामले में यह निर्विवाद सत्य है कि हिन्दुस्तान में ३५ करोड़ आदमी जिस भुखमरी की हालत में पहले थे उसी में आज हैं, और कोई-कोई लोग तो उससे भी ज्यादा खराब हालत में चले गए हैं जैसा कि मैं खपत नमूना जरीब के आंकड़ों से साबित कर चुका हूं। ऐसी स्थिति में किसी मंत्री के लिए यह कहना .....

एक माननीय सदस्य : लेकिन साथ साथ आबादी भी तो बढ़ रही है।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप जो कह रहे हैं उससे तो खपत और कम हो जाएगी। मैंने आबादी की बढ़ती का हिसाब लगा लिया है नहीं तो ढाई छटांक होता। मंत्री जी आप अपने सदस्यों को जरा हिसाब सिखा दीजिये।

तो जो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं उन पर ध्यान देते हुए अनाज की नीति में बिल्कुल परिवर्तन करना पड़ेगा। यह आदत छोड़ देनी होगी कि अपनी सफाई देते हुए वस्तुस्थिति से इन्कार कर दें। हिन्दुस्तान में भुखमरी से इन्कार करने की इच्छा ही हिन्दुस्तान की अन्न नीति को बिगाड़े देती है। जिन दिन आप में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप यह स्वीकार कर लोगे कि हिन्दुस्तान में भुखमरी है उस दिन आपको इस भूख को मिटाने वाला रास्ता भी मिल जाएगा। लेकिन आज सरकार में दम्भ है, घमंड है और इस कारण वह उस भूख को स्वीकार नहीं करना चाहती। सरकार झूठमूठ यह बताती है कि हमने हिन्दुस्तान में इतनी तरक्की करवायी है कि भुखमरी खत्म हो गयी है। तो मैं अन्न मंत्री से कुछ मर्म के साथ, कुछ दुःख के साथ यह निवेदन करूंगा कि वह थोड़ी सी नम्रता सीखें, और पिछले दस पन्द्रह वर्ष में जितनी गड़बड़ी हुई है उसके बारे में न हो तो एक किताब छपवायें कि कितनी बार अन्न मंत्री ने और कितनी बार प्रधान मंत्री ने एलान किया कि देश अन्न के मामले में स्वावलम्बी हो जाएगा, किन-किन तारीखों को स्वावलम्बी होने वाला था। उससे यह पता चल जाएगा कि अन्न के मामले में सरकार की सोचने की दृष्टि अब तक बिल्कुल दूषित रही है।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

मैंने जो अभी तजवीजें बतलाई हैं पानी के बारे में, नई खेती के बारे में, दामों के बारे में, शायद उनसे कोई रास्ता निकले, शायद उसके जरिए आप सारे संसार के सामने दाम के बारे में एक विचार रख सको कि जो खेतिहर के दाम में, जो प्राथमिक चीजें हैं उनके दाम में और जो कारखाने के दाम हैं उनमें जनता के स्तर पर संतुलन कायम हो। अमरीका में खेतिहर के दाम और कारखाने के दाम में संतुलन कायम रखने के लिए अलग से कायदे कानून बने हुए हैं और सस्थायें बनी हुई हैं। और हो सके तो आप अपने दोस्त केनेडी साहब से और ख्रुश्चेव साहब से कहिए कि किसी प्रकार सारे संसार के अन्दर खतिहर दाम में और कारखाने के दाम में संतुलन कायम रखें जिससे हिन्दुस्तान को और उसकी तरह जो और गरीब देश हैं उनको अच्छी हालत में रखा जा सके। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जसवन्त (थाना) : सभापति महोदया, खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि और खाद्य नीति के बारे में बोलने में मुझे आनन्द होता है, क्योंकि मैं एक काश्तकार और अनाज का प्रोड्यूसर होने के नाते कुछ विचार इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। माननीय सदस्य, श्री बनर्जी, ने जो खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में कुछ बातें कहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब १९६१-६२के दिसम्बर और जनवरी मास में चावल का भाव करीब ६०—६५ रुपये पर क्विन्टल बोरी हो गया, तो यही विरोधी दल के सदस्य यह नारा लगाते थे कि किसानों को उचित दाम मिलने चाहिए, किसानों के हितों की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है, चावल के भाव बहुत गिर गये हैं, इत्यादि। लेकिन आज जब चावल के भाव ८० रुपये बोरी, यानी १५ रुपये बोरी अधिक, हो गए हैं, तो विरोधी दल के वही सदस्य यह नारा लगाते हैं कि अनाज के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन यह सरकार कुछ करती नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि विरोधी दल के मन में क्या बात है, लेकिन इस सम्बन्ध में मुझे एक कथा याद आती है।

एक पिता और एक पुत्र यात्रा पर जा रहे थे और उनके पास एक घोड़ा भी था। जब पिता उस घोड़े पर बैठ कर चलने लग, तो रास्ते में किसी ने कहा कि छोकरे को तो पैरों से चलवा रहे हैं और खुद पिता हो कर घोंड़े पर बैठ गये हैं। पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने घोड़े से उतर कर लड़के को घोड़े पर बिठा दिया। जब वे जरा आगे चले, तो किसी ने कहा कि यह लड़का खुद तो घोड़े पर बैठा हुआ है और अपने बूढ़े पिता को पैदल चलवा रहा है। यह बात सुन कर उस लड़के के दिमाग में यह आया कि पिता को पैदल चलवाना ठीक नहीं है और वह घोड़े से उतर गया। इसके बाद व दोनों घोड़े को साथ लेकर पैदल चलने लगे। तब किसी और व्यक्ति ने कहा कि कितने मूर्ख हैं, अपने पास घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं।

अगर अनाज के बारे में विरोधी दल की यही नीति है, अर्थात् यदि उसने हर हालत में सरकार की आलोचना करनी है, तो मेरे विचार में यह नीति ठीक नहीं है। जब हमारे देश में ४२ लाख टन अनाज कम पैदा होता है और हमको बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता है, तो हमें इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि हमारा देश अनाज के बारे में आत्म-निर्भर नहीं है और अनाज की कमी को पूरा करने के लिए यह ज़रूरी है कि काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिले।

अभी तक मैंने सदन में यह देखा है कि योजना मंत्री और कृषि मंत्री यह कहते हैं कि काश्तकार को उसकी मेहनत का पूरा दाम मिलना चाहिए, मगर कितना मिलना चाहिए उसकी बात वे नहीं करते हैं। जब तक यह बात साफ नहीं होती है, तब तक अनाज की पैदावार में वद्धि होने वाली नहीं।

कुछ दिन पहले जब चावल के दाम घटते गए, तो कई काश्तकारों ने अपनी जमीन में मूंगफली या जूट बो दी और बंगाल में तो जूट बोने का काम काफी शुरू हो गया। इसलिए अनाज की पैदावार करने वाले काश्तकार को आवश्यक सुविधायें मिलना ज़रूरी है, जो कि आज उसको उपलब्ध नहीं हैं।

जहां तक पानी का सम्बन्ध है, सारे देश में तो नहरें नहीं चलती हैं। कहीं कुआं है और कहीं लिफ्ट इरिगेशन है। आवश्यकता इस बात की है कि उसके लिए बिजली ठीक दाम पर काश्तकार को मिले। अगर वह इरिगशन के लिए डीज़ल इंजन लगाये, तो डीज़ल आयल का दाम भी ठीक हो। पिछले चार पांच सालों में डीज़ल आयल के दाम तीन चार दफ़ा बढ़ गये हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि कोई भी काश्तकार डीजल इंजन से पम्प चला कर अनाज की पैदावार नहीं कर सकता है, क्योंकि बाजार में उस को उतनी कीमत नहीं आता।

अगर किसान अपना अनाज भंडारागार में रखने के लिए जाता है, तो उसको ६० या ७० टका दिया जाता है, उस से ज्यादा उस को नहीं मिलता है। जब पैदावार होती है, जब फसल किसान के पास आ जाती है, तो उसका भाव बाजार में गिर जाता है और साठ टका लगा कर उसका आधा दाम भी उस के हाथ में नहीं रहता है।

अनाज के उत्पादन का जो व्यय है, उसका हिसाब लगा कर ही उसका मूल्य निर्धारित करना जरूरी है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। को-आपरेटिवब्ज से काश्तकार को जो कर्जा मिलता है, उस का ब्याज साढ़े आठ या नौ टका लिया जाता है और इससे उस को अधिक लाभ नहीं होता है।

जहां तक उर्वरकों का संबंध है, अभी तक तीन चार दफा उस की कीमत में वृद्धि हुई है और खुले बाजार से उर्वरक ला कर काश्तकार अनाज की पैदावार करने में उस का फायदा नहीं उठा सकता है। कम्यूनिटी डेवलपमेंट मंत्रालय, बिजली और सिंचाई मंत्रालय और फिनांस मंत्रालय से काश्तकार को उचित सहायता और सहयोग नहीं मिलता है क्योंकि उन में काम अच्छी तरह से बंटा हुआ नहीं है। मेरे ख्याल में कृषि मंत्रालय तो केवल काश्तकार के सलाहकार का काम करता है। जब अनाज कम पड़ता है, तो कृषि मंत्रालय से पूछा जाता है और जब अनाज नहीं मिलता है, तो भी कृषि मंत्रालय से पूछा जाता है, लेकिन कृषि का उत्पादन बढ़ाने के जो साधन हैं, वे तीन चार मिनिस्टरों के अधीन हैं, जिन में कोई कोआपरेशिन दिखाई नहीं देती है कि कोई किसी की बात मान लें। काश्तकारों की तरफ से डीजल आयल का भाव कम करने के लिए फिनांस मिनिस्ट्री को विनती की गई, लेकिन उस का कुछ परिणाम नहीं निकला और आज जिस दाम पर ट्रकस के लिए डीज़ल आयल मिलता है, उसी दाम पर काश्तकार को भी लेना पड़ता है।

इसलिए मेरा सुझाव है कि अनाज के दाम को रोकने के लिए और किसान को उचित मूल्य दिलाने के लिए कुछ भंडारागार होने चाहिये। अगर किसान अपना अनाज उन में रखे, तो उसको ९० या ९५ टका ऋण मिलना जरूरी है।

हम देखते हैं कि जब हम विदेश में चीनी भेजते हैं, तो १४ करोड़ रूपये उस के लिए मदद दे रहे हैं, लेकिन जब देश में ४२ लाख टन अनाज की कमी है, तो किसानों को ज्यादा अनाज पैदा करने के योग्य बनाने के लिये उर्वरक की सहूलियत देना जरूरी होगा।

अनाज के दाम उत्पादन-व्यय के आधार पर ठहराना जरूरी है और ऐसा करने के लिए किसान उपभोक्ता और सरकार के प्रतिनिधियों की एक कमेटी होना जरूरी है, जो कि अनाज के

[श्री जसवन्त]

दाम निश्चित करे। इस समय किसान और उपभोक्ता के बीच में जो बिचौली लोग हैं, उन को निकालने का एक ही रास्ता है कि हम ज्यादा से ज्यादा भंडारागार से काम लें।

आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : हमारी योजनाओं के कारण मुद्रा स्फीती है। इस कारण कीमतें बढ़ रहीं हैं। कीमतें लगातार बढ़ती रहीं हैं। १९५१ से कीमतें बढ़ रही हैं।

इस कालावधि में कृषि पदार्थों की कीमतें भी बढ़ी हैं। पिछले चार पांच वर्षों में सरकार ने कीमतों को गिरने से रोकने के लिए कोशिश की है।

किसानों की कीमतें गिर रही हैं और कुछ नगरों में कीमतें बढ़ रहीं हैं। किसान कीमतों के गिरने की शिकायत कर रहे हैं सरकार को इन दोनों समस्याओं का हल करना चाहिये।

सरकार की खाद्यान्नों संबंधी नीति किसान के पहलू को ध्यान में रखने वाली होनी चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक कीमतों को काबू में रखना कठिन है और उत्पादन बढ़ाना भी असम्भव है।

एक मजदूर को २४ औंस खुराक चाहिए। परन्तु १६½ औंस मिलती है। अतः लोगों को कम खाने को मिलता है।

उत्पादन और बढ़ सकता है यदि किसानों को इस कार्य के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वे दी जायें। इस संबंध में श्री पाटिल की लिखी हुई किताब खाद्य तथा कृषि मंत्री को लाभदायक साबित हो सकती है।

जो भूमि खेती के लिए प्रयोग में नहीं लाई जाती उसे प्रयोग में लाना चाहिए।

सिंचाई भी बहुत जरूरी चीज है। सिंचाई की क्षमता को पूर्ण रूप से प्रयोग में लाना चाहिये। टिड्डियों, चूहों आदि से फसलों को बचाना चाहिये।

बीज चाहिए। उर्वकों की आवश्यकता है। इन चीजों की कमी है। मांगें अधिक हैं।

अधिक अच्छे औजार चाहिए। खेती के ढ़ंग में भी सुधार होना चाहिए।

किसानों को ऋण आसानी से मिलना चाहिए। इसके लिए काफी धन की आवश्यकता है। यह धन अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं से प्राप्त करना चाहिए।

किसानों की भाटिकता की सुरक्षा, उनकी जायदाद की इच्छा और उनकी अपनी जायदाद में सुरक्षा कायम रखी जानी चाहिए। संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक किसानों की सुरक्षा को नष्ट कर देगा। किसानों को उत्प्रेरणा भी मिलनी चाहिए। सरकार को किसानों को मज़बूत करने की कोशिश करनी चाहिए।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : भूतपूर्व खाद्य मंत्री ने ऐतिहासिक घोषणा की थी कि हमारी कृषि सम्बन्धी नीति किसान पर आधारित होनी चाहिए। प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि किसान पर उत्पादन में वृद्धि आश्रित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार को उन के कार्यक्रमों को कार्वान्वित करने के लिए राज्य सरकारों पर आश्रित रहना पड़ता है। अतः जब तक उन का सहयोग नहीं प्राप्त होता तब तक अधिक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सरकार के पास राज्य सरकारों द्वारा अपनी नीतियां कार्यान्वित करवाने के लिए शक्ति होनी चाहिए।

कृषि सम्बन्धी मूल्यों को निर्धारित करने के लिए पहले आंकड़े एकत्रित करने चाहिएं। उन के आधार पर कृषि सम्बन्धी मूल्य निर्धारित करने चाहिएं।

सरकार को मध्यजनों को खत्म करना चाहिए और खाद्यान्न व्यापार अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तभी कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सकता है।

श्री रंगा जी कहते हैं कि सरकार द्वारा खाद्यान्न व्यापार से चोरबाजारी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मैं यह व्यापार सरकारी समितियों द्वारा चाहता हूं। प्रो० रंगा के लिए राज्य व्यापार और सहकारी समितियां कड़वी गोलियां हैं।

†**श्री रंगा** : मैं देश में सहकारी समितियों के आन्दोलन के चलाने वालों में से हूं। उन को व्यापारियों से मुकाबला करना चाहिए।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : यदि यह उन की राय है तो मैं राज्य व्यापार और सहकारी समिति के मामले में उन से सहमत हूं।

†**श्री रंगा** : राज्य व्यापार के मामले में नहीं, परन्तु केवल सहकारी समितियों के मामले में। राज्य व्यापार और सहकारी समितियां एक चीज़ नहीं। सहकारी समितियां होनी चाहिएं, परन्तु राज्य व्यापार नहीं।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : यदि सहकारी समितियों ने ही यह कार्य करना है तो पहले सरकार को ही पहल करनी होगी।

मैं जोरदार शब्दों में इस बात का समर्थन करता हूं कि सरकार को इस विषय में उपयुक्त कदम उठाने चाहियें कि खाद्यान्नों को प्राप्त करने और इन को वितरित करने का कार्य सहकारी समितियां करें और आढ़तियों की पद्धति समाप्त कर दी जाये।

खाद्य स्थिति अब भी सुधर सकती है यदि ईमानदारी के साथ प्रयत्न किया जाये और निर्णयों को तुरन्त और दृढ़ता के साथ लागू किया जाये।

†**श्री यलमंदा रेड्डी** (मारकापर) : खाद्य की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है। इस कार्य को कई मंत्रियों ने संभाला है। मुझे आशा है कि वर्तमान मंत्री उन से कुछ सीख लेंगे और खाद्य की स्थिति सुधारने का प्रयत्न करेंगे।

हमें स्वतंत्र हुए १६ वर्ष हो चुके हैं और हम ने लगभग २½ योजनायें पूरी कर ली हैं फिर भी अभी हम खाद्य के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। देश की इस दयनीय स्थिति के लिए श्री पाटिल ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने यहां कहा है कि हम रक्षित-भंडार (बफर स्टॉक) बनाने के लिए खाद्यान्न का निर्यात कर रहे हैं।

---

†भूल अंग्रेजी में

[श्री यलमंदा रेड्डी]

उन के पास रक्षित-भंडार के अतिरिक्त और कोई उपचार नहीं है। उन्होंने खाद्यान्नों का आयात करने पर ही अधिक ध्यान दिया उन का उत्पादन बढ़ाने की ओर नहीं।

योजना आयोग ने पहले ही कह दिया है कि तीसरी योजना में हमारी कृषि संबंधी सफलता आशा के अनुरूप नहीं है। सिंचाई सुविधाओं, वैज्ञानिक खाद, ऋण आदि के बाद भी उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई है। कृषि पर पहली योजना में २११ करोड़, दूसरी योजना में ३२३ करोड़ रुपया खर्च किया है और तीसरी योजना में ६८८ करोड़ रुपये खर्च करने का उपबन्ध है। इस के बाद भी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि न होने का कारण यह है कि सरकार भूमि सुधार और भू-धृति के सम्बन्ध में गम्भीर कार्यवाही नहीं कर रही।

योजना आयोग ने योजना की रूपरेखा में भूमि के वितरण के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त दिये हुए हैं। किन्तु सरकार ने इन का पालन नहीं किया है।

उत्पादन में भूमि-सुधारों का महत्वपूर्ण योग है। "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित एक लेख में श्री के० कलाट ने जापान का उदाहरण देते हुए लिखा था कि केवल भूमि-सुधार ही खाद्य का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जापान में मूलभूत सुधार किये जाने के कारण ही उत्पादन बढ़ा है। वहां अमरीकी जनरल मैक आर्थर ने भी भूमि सुधार लागू किये थे। भूमि की अधिकतम सीमा १० एकड़ और कहीं-कहीं छः एकड़ रखी थी। हमें जापान से सीख लेनी चाहिए।

सिंचाई क्षमता का भी पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है। १९६०-६१ में क्षमता १३२ लाख एकड़ की थी जबकि उपयोग केवल ९४ लाख एकड़ का ही हुआ। मुख्य बाधा यह थी कि किसान ग़रीबी के कारण खेत तक पानी पहुंचाने वाली नालियां नहीं बना पाते थे। सरकार को उन्हें आवश्यक सुविधायें देना चाहिये।

इसलिए जब तक सरकार मूलभूत भूमि सुधार लागू नहीं करेगी तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा चाहे उन्हें अन्य कितनी सुविधायें क्यों न दी जायें।

श्रीमती शकुन्तला देवी (बंका): माननीय सभापति महोदया, खाद्य पालिसी और खाद्यान्नों के मूल्य एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस के बारे में इस समय इस सदन में विचार हो रहा है। एक छोटे किसान परिवार की लड़की होने के नाते मैं समझती हूं कि यद्यपि किसानों को अनाज पैदा करने में कितनी गर्मी, धूप और जाड़े की सर्दी सह कर खेत में काम करना पड़ता है, लेकिन इस के बावजूद वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा कपड़ा नहीं दे पाते। इस कारण आधुनिक समाज में किसानों की कोई इज्जत नहीं होती और लोग किसान बनने या किसान के बच्चे कहलाने में लजाते हैं। यह ठीक है कि कुछ जगह अनाज के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन क्या वह पैसा किसानों के हाथ में जाता है? नहीं, वह बड़े बड़े व्यापारियों और गोलदारों के पास जा रहा है। किसानों को तो वही दाम मिलता है, जोकि चार साल पहले उस को मिलता था।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसलिए जब तक किसान को समाज में अच्छा स्थान नहीं मिलेगा, जब तक उस की आर्थिक हालत नहीं सुधरेगी, तब तक खेती की स्थिति में भी सुधार नहीं हो सकता है।

बाज़ार में अनाज का भाव इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे यहां अनाज की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए और अनाज ज्यादा पैदा करने के लिए किसानों को हर एक चीज़ की सहूलियत देना आवश्यक है। सरकार कहती है कि हम अनाज के दाम फ़िक्स करेंगे, जिस में चावल का भाव १६ रुपये होगा। सरकार को यह सोचना होगा कि यह प्राइस फ़िक्स करने में किसान को कितना नुक्सान होता है और कितना नफ़ा होता है। आज एक तरफ़ तो किसान की आवश्यकता की हर एक चीज़ का दाम बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ़ सरकार किसान को कहती है कि तुम इस भाव पर अपना अनाज बेचो। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब सरकार ने उन की ज़मीन का लगान, पानी, बिजली के दाम और फ़र्टलाइज़र के दाम बढ़ा दिये हैं, मज़दूरी बड़ा दी गई है, तो फिर वह किसानों को अनाज का दाम घटाने के लिए क्यों कहती है। वे तभी दाम घटा सकते हैं, जबकि वे काफ़ी अन्न पैदा कर सकेंगे और उन को हर एक चीज़ की सुविधा मिलेगी—उन को सस्ती दर पर खाद, पानी और बिजली मिलेगी, कम दाम में ट्रैक्टर मिलेंगे और मार्केटिंग की सुविधा मिलेगी।

चूंकि सरकार किसानों को ठीक समय पर खाद नहीं दे सकती है, इसलिए उन को बाज़ार में ब्लैक मार्केट में खाद ख़रीदनी पड़ती है। ब्लाक या कोआपरेटिव के द्वारा जो खाद बांटी जाती है, वह ग़रीब और छोटे-मोटे किसान के हाथ नहीं जा पाती है। वह कुछ इने-गिने लोगों के ही पास पहुंचती है। इसलिए इस कठिनाई को दूर करना आवश्यक है।

जहां तक पटावन का सम्बन्ध है, सरकार ने बड़ी बड़ी योजनायें और स्कीमें बनाई हैं, लेकिन माइनर इरिगेशन की तरफ़ उस का कभी ध्यान नहीं गया है। आज लघु-सिंचाई योजना पर सब से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग़रीब किसानों को उसी से ज्यादा फ़ायदा पहुंचता है। सरकारी काम-काज इतना पेचीदा है कि किसानों को एक कुंआ बनवाने के लिए ब्लाक आफ़िस या एस० डी० ओ० के आफ़िस में महीनों या साल, दो साल तक दौड़ना पड़ता है, तब उस का एस्टीमेट पास होता है। उस के बाद पैसा लेने के लिए भी उन को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ओवरसीयर को दस परसेंट रुपया देने पर ही एस्टीमेट पास हो सकता है। इस प्रकार की गड़बड़ियों को दूर करना चाहिए।

ट्रैक्टर का दाम इतना ज्यादा है कि छोटे छोटे किसान उस को नहीं रख सकते हैं। इसलिए सरकार को छोटे ट्रैक्टर सप्लाई करने की व्यवस्था करनी होगी। जापान का जो ट्रैक्टर मंगाया गया है, वह अच्छा है, लेकिन अभी उस को केवल देखने के लिए ही मंगाया गया है शायद भारत सरकार की ओर से ऐसे ट्रैक्टर को बनाने के लिए किसी प्राईवेट कम्पनी को कहा गया है, लेकिन उस ने अभी तक इस का निर्माण नहीं किया है। किसानों को इस प्रकार के ट्रैक्टर जल्द से जल्द दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। आप कहते हैं कि अनाज के दाम जब बढ़ते हैं तो किसान के हाथ में पैसा अधिक जाता है। यह बात गलत है। पचास परसेंट पैसा तो व्यापारियों के हाथ में चला जाता है। हम देखते हैं कि जब आलू और प्याज़ का मौसम होता है तो व्यापारी लोग चार और छः रुपये मन के बीच में खरीद कर लेते हैं। किसान को बेचने के लिए इसलिए मजबूर हो जाना पड़ता है कि उस के पास जगह नहीं होती है जहां वह इन वस्तुओं को रख सके। व्यापारी लोग इन वस्तुओं को खरीद कर कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं और जब दाम बढ़ जाते हैं तब बेच देते हैं। मेरा सुझाव है कि हर एक डिवेलेपमेंट एरिया में जहां पर भी आलू की खेती होती हो, एक कोल्ड स्टोरेज होना चाहिये। जहां पर आलू रखे जा सकें और जब दाम बढ़ें तब किसान इन को बेच सके। यदि ऐसा किया गया तो वास्तव में किसान को लाभ पहुंच सकता है।

[श्रीमती शकन्तला देवी]

जिस तरह से आजकल और चीजों का इन्श्योरेंस होता है, उसी तरह से खेती का भी इनश्योरेंस होना चाहिए ताकि कोई घाटा किसान को न हो और वह खेती की पैदावार बढ़ा सके । अगर उसको पता होगा कि खेती खराब हो जाती है तो उसको कोई नुक्सान होने वाला नहीं है तो वह ज्यादा मेहनत कर के पैदावार बढ़ाने की कोशिश करेगा । इस में किसान का भी फायदा है और पैदावार भी बढ़ सकती है ।

†श्री गजराज सिंह राव (गुड़गांव) : श्रीमान्, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इन प्रस्तावों पर बोलने की अनुमति दी । उस में से एक खाद्यान्नों की मूल्य में वृद्धि के बारे में है जो साम्यवादियों के मस्तिष्क की उपज है । उन्होंने यहां सभा में कहा था कि "हमें राशनिंग और कंट्रोल लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है ।" वे आत्मनिर्भर रहने की नीति नहीं चाहते । वे राशनिंग की नीति चाहते हैं । फिर वे उपभोक्ता के पास जा कर कहेंगे कि देखिये राशनिंग और कंट्रोल लागू कर दिया गया है । उत्पादक के पास जा कर भी यही कहेंगे । वे इस प्रकार इन दिनों में जबकि देश पर संकट है जनता में असंतोष फैलाना चाहते हैं । सरकार ने राशनिंग और कंट्रोल की नीति का हमेशा विरोध किया है । दोनों युद्धों के दिनों में राशनिंग और कंट्रोल लागू करने से भ्रष्टाचार बढ़ गया था । इसलिए मेरा निवदन है कि इस प्रवृत्ति के सामने न झुकें ।

इन दो प्रस्तावों में से एक का प्रयोजन है कि राशनिंग और कंट्रोल न हो और खेत जोतने वाले को सारी सुविधायें दी जायें और दूसरे में कहा गया है कि कंट्रोल हो और कीमतें कम कर दी जायें ।

खाद्यान्नों का मूल्य औसत मूल्य से डेढ़ गुना हो गया है, किन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि खेती के लिये आवश्यक, अत्यावश्यक पदार्थों का, लोहा, उपकरण आदि का, मूल्य दस गुना हो गया है ।

उपभोक्ता सहकारी समितियों का भी सुझाव है । ये समितियां बहुप्रयोजनीय होनी चाहियें जिस से किसान को भी प्रोत्साहन मिले । जिस से वे अनाज के बदले आवश्यक उपकरण आदि सस्ते मूल्य पर खरीद सकें । उपभोक्ताओं को चाहिये कि ऋण के रूप में किसानों को अग्रिम धन दें ।

मेरे एक दो सुझाव हैं । हम आजकल उधार ले रहे हैं । यह अच्छा नहीं है । भारत में कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जिन के बदले, वस्तु विनिमय के आधार पर हम अनाज ले सकते हैं । पहली चीज चाय है ; तम्बाकू भी है । बाजरा भी यहां से काफ़ी आयात किया जाता है ।

गांधी जी ने कहा था कि पहले छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिये । विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने के लिए खादी पहनने के लिए कहा गया था । किन्तु उत्पादन के मामले में छोटी बातों की उपेक्षा कर दी जाती है ।

बांध न होने के कारण भी बाढ़ से प्रति वर्ष काफ़ी क्षति होती है ।

कृषि के मामले में स्थानीय बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिये । किसान कृषि-विशेषज्ञ से अच्छी सलाह दे सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

किसान को बिजली आसानी से उपलब्ध होनी चाहिये । बिजली का कनेक्शन देने के लिये २०००० रुपये मांगे जाते हैं । एक गरीब किसान के लिये इतना रुपया देना कठिन है । जहां पर नहरें न हों वहां बिजली देना चाहिये । गुड़गांव में और राजस्थान में यदि बिजली दे दी जाये तो उत्पादन १० गुना अधिक हो सकता है ।

यह मेरे सुझाव हैं । आशा है कि सरकार इन पर विचार करेगी । किसान अपने कार्य का विशेषज्ञ है । उस से सलाह ली जानी चाहिए कि उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे किस चीज की आवश्यकता है । विशेषज्ञ इस बात को नहीं बता सकता ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : ओं यस्ये मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया आहू, यस्येमाः प्रदिशि यस्य बाहुः कस्मैदेवाः हविषाः विधेमः । उपाध्यक्ष महोदय, आज खाद्य समस्या पर बात हो रही है । श्री यशपाल सिंह ने जो मोशन रक्खा उस पर विचार हो रहा है । मैं भी थोड़ा बहुत उस के सम्बन्ध में कहूंगा ।

सरकार खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए करोड़ों रुपये हर वर्ष खर्च करती है परन्तु वह करती है योजनाभवन में, दिल्ली में । जिन को अन्न का उत्पादन करना है उन के ऊपर वह एक पैसा भी खर्च नहीं करती । यदि उस का आधा पैसा भी यह सरकार कृषकों को देती जितना वह योजना भवन में इन्स्पेक्टरों और डाइरेक्टरों और पता नहीं कितने टरों के लिए खर्च करती है, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अन्न की समस्या और खाद्य समस्या का समाधान हो जाता । आज कभी कभी हमारे मंत्री महोदय डाइरेक्टरों और दूसरे टरों को इकट्ठा कर के उन से पूछते हैं कि कैसे ज्यादा अनाज पैदा हो । उन्हें पता ही नहीं है नाज कैसे पैदा हो, वे कैसे बतलायेंगे ? अनाज दिल्ली में तो पैदा नहीं होता, वह तो खेतों में पैदा होगा कृषकों के । सरकार ने कृषकों से कभी नहीं पूछा कि तुम ज्यादा अनाज पैदा क्यों नहीं करते । देश की खाद्य समस्या पीछे जा रही है, इस का क्या कारण है ; कौन बतलाये ?

मैं कहना चाहता हूं कि आज कृषकों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं । मैं मानता हूं कि सरकार ने नहरें निकालीं, ट्यूब वेल भी बनाये, लेकिन आप को मैं इस वर्ष की बात बतला देता हूं पंजाब की । वहां पचासों ट्यूबवेल करनाल जिले में लगे लगाये गर्मी के वक्त बन्द पड़े रहे और किसी ने सुना नहीं । मैंने विद्युत् मंत्री से भी कहा, समाचारपत्रों में निकाला । सरकार की तरफ से ट्यूबवेल लगे हैं, लेकिन बन्द पड़े हुए हैं, नहरें खुदी पड़ी हैं, लेकिन उन का पानी यमुना में दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं मिनिस्टरों की कोठी में पानी की कमी न रह जाय, घास बढ़िया करने में कोई कसर न बैठ जाय । मगर किसान को पानी नहीं दिया जा रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि खाद्य समस्या का समाधान कैसे हो ? जब विदेशी अंग्रेज था उस वक्त, मुझे पता है, पंजाब के बारे में और जो हमारे वर्तमान खाद्य मंत्री बनाये गये हैं, सरदार स्वर्ण सिंह, उन को भी अच्छी तरह से पता है, मुझ से भी ज्यादा, क्योंकि वे भी इस को जानते हैं । मैं पहले उन में था । अंग्रेज के वक्त में एक किसान को कुंआं बनाने के लिए ११०० रु० दिये जाते थे और उस को लिया नहीं जाता था । लेकिन इस समय उस को सहायता के लिए पैसा नहीं दिया जाता बल्कि उस को तकावी दी जाती है और तकावी लेने के लिए किसान को न जाने कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है । फिर वहां जो लोग तकावी देने के लिए बैठे हुए हैं वे नीचे नीचे हाथ करते हैं कि हम को भी मिल जाय कुछ । उस बेचारे को अगर आधा नहीं तो चौथाई तो जरूर ही देना पड़ता है, तब बड़ी कठिनाई से तकावी मिलती है । लेकिन यह सरकार ध्यान नहीं देती है । तकावी उगाहने का वक्त आयेगा तो चाहे, उस की फसल को फलर मार गया हो, ओला पड़ गया हो, टिड्डी खा गई हो, उस से कहा जाता है कि तिकावी तो तुम को लौटा कर देना ही पड़ेगा ।

[श्री रामेश्वरानन्द]

मैं कहना चाहता हूं कि यदि अपनी खाद्य समस्या को सुलझाना है तो इन बातों की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा ।

दूसरी बात यह है कि सरकार की वही स्थिति है जैसी कि एक खुजली के बीमार की थी । उस को खुजली की बीमारी थी, वह वैद्य के पास गया । वैद्य ने कहा कि यह पुड़िया ले जाना और शहद में खाया करना । खटाई न खाना, मिर्च न खाना, नमक न खाना । उस ने कहा कि उस के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, खाना पड़ेगा मुझे । सरकार का ठीक वही हाल है क्योंकि कृषि योग्य जो भूमि है उस में यह सरकार हर वर्ष लाखों बीघे में कल कारखाने और बड़े बड़े मकान बनाने की कोशिश करती है । ऐसी स्थिति में जहां कृषि होनी चाहिये वहां वह कैसे हो । जनसंख्या एक मिनट में १४ के हिसाब से बढ़ रही है । आये वर्ष ३६ लाख आदमियों की वृद्धि होती है, लेकिन इस के विपरीत . . .

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : ५५ लाख की ।

श्री रामेश्वरानन्द : चलो, ५५ लाख की सही । मेरे ज्ञान में कुछ वृद्धि हो गई । तो ५५ लाख की वृद्धि साल में जनसंख्या में होती है, लेकिन लाखों बीघे जमीन पर प्रति वर्ष मकान बनाये जा रहे हैं । मैं ने पहले सुझाव दिया, मैं ने कहा कि अगर आप को मकान बनाने ही हैं तो जो बेकार पहाड़ पड़े हुए हैं वहां मकान और कल कारखाने बनवाइये । वहां सड़कें नहीं बनानी पड़ेंगी और लोगों को भी काम करने का मौका मिलेगा । लेकिन यह बात सरकार की समझ में नहीं आती । कैसे समझ में आये ? मैं कहना चाहता हूं कि वस्तुत: यदि कोई कृषक मंत्री होता तो वह एक इंच भूमि भी इस तरह से खराब नहीं होने देता । आज बेचारे पन्द्रह दिनों से गाजियाबाद के और आस पास के कृषक पड़े हुए हैं; लेकिन उन की कोई सुनता नहीं है । कहते हैं कि यह हमारे अधिकार में ही नहीं है, राज्य सरकार का मामला है । अगर यह राज्य सरकार का काम है तो आप किस मर्ज की दवा हैं ? राज्य सरकार ही रहेगी । यदि सरकार चाहती है कि खाद्य समस्या का समाधान हो तो कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री दोनों को मिल कर कृषि योग्य भूमि के एक इंच को भी नहीं खराब होने देना चाहिये । अगर वे यह सोचें कि बिना इस के काम चल जाय तो वह किसी भी प्रकार से नहीं चल सकता ।

जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार यत्न कर रही है ।

श्री स्वर्ण सिंह : स्वामी जी, आप का आश्रम भी तो जमीन पर बना हुआ है ?

श्री रामेश्वरानन्द : मेरा आश्रम जहां बना हुआ है, सर्दार जी, उसे आप देख लें । वहां पर जा कर पूछ लें । जहां पर मेरा आश्रम बना हुआ है वहां घास भी नहीं जम सकती थी, लेकिन मैं वहां पर कम से कम ३०० मन अन्न पैदा करता हूं दोनों फसलों में । मुझे आप कोई गुरुद्वारे का ग्रन्थी न समझ लें । मैं तो मेहनत करने वाला आदमी हूं । इस प्रकार से जब तक आप कृषि योग्य भूमि को नहीं रोकेंगे तब तक काम नहीं चल सकता । आप योजना बनायें लेकिन उस योजना के बनाने के समय आप को किसानों का सहयोग लेना चाहिये ताकि आप को मालूम हो सके कि अनाज ज्यादा कैसे पैदा होगा । आप पढ़ाई का यत्न भी कर रहे हैं । आज पढ़े लिखे आदमियों में अक्ल बहुत है, इन्स्पेक्टर और डाइरेक्टर बहुत सी जगहों में जाते हैं, वी० डी० ओर भी पहुंचते हैं और कहते हैं कि जापानी तरीके से खेती करो । लेकिन वह यह नहीं बताते कि वह किस तरह से होगी । व न हल का डंडा पकड़ना

जानते हैं और न चावल उगा सकते हैं जमीन में, लेकिन कहते हैं कि जापानी ढंग से खेती करो। ये जापानी ढंग से खेती करना सिखाते हैं। इन के बाप दादे कभी जापान नहीं गए, न इन्हों ने खेती की, ये लोग सिखाते हैं कि खेती की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये पढ़े लिखे लोग किसी प्रकार से भी इस देश में कृषि को नहीं बढ़ा सकते।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री, ऐसे लोग बनाए जा रहे हैं जिन का कुछ कृषि से सम्बन्ध है। प्राचीन राजाओं के काल में जब जनता में इस प्रकार की कोई समस्या होती थी तो लोग राजा के पास जाते थे और राजा स्वयं हल चलाया करते थे। राजा जनक इस के उदाहरण हैं। लेकिन आज के कृषि और खाद्य मंत्री को यह पता नहीं कि किस प्रकार कोई फसल बोयी जाती है। जहां कहीं उन को ज्यादा पानी भरा दिखा दिया जाता है वहां वह कहते हैं कि बड़े पागल हैं लोग जो कहते हैं कि पानी नहीं है, यहां इतना पानी भरा है, इसमें क्यों नहीं गेहूं बोते किसान। इस प्रकार के लोगों को कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री बनाया जाता है। मैं कहता हूं कि ये देश की समस्या का समाधान नहीं कर सकते।

जिन लोगों को मास्टर लगाया जाता है उनको भी स्कूल में पढ़ने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है कृषि विभाग में कोई लगाया जाता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मंत्री के लिए पढ़ने लिखने की कोई बात नहीं है और ट्रेनिंग तो उसकी हो ही नहीं सकती। उसको एक विभाग से दूसरे विभाग में जोड़ दिया जाता है। और होता यह है कि नीचे वाले लोग लिख देते हैं और उस पर मंत्री के हस्ताक्षर ले लिये जाते हैं। इस तरह समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को अनुभव नहीं है वह कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता।

एक और सरकार के दिमाग में कीड़ा आ गया है कि मिली जुली खती करो। अभी भाई बारूपाल जी बोल रहे थ कि मिली जुली खेती होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि आप गांव की चौपाल को देखें जो कि मिली जुली चीज है, उसमें कहीं कड़ी टूटी मिलेगी, कहीं और खराबी मिलेगी, उस में कुत्ते बिल्ली जाते मिलेंगे। और एक व्यक्ति का मकान है उसमें आप देखेंगे कि कोई गड़बड़ नहीं होती। इसका कारण यह है कि उसका मकान सम्मिलित नहीं है। पता नहीं यह मिली जुली खेती का विचार कैसे सरकार के दिमाग में आ गया है। हां इससे एक बात हो सकती है। यदि इस प्रकार की खेती चलेगी तो यह किसान तो रह नहीं सकता क्योंकि यह पढ़ा लिखा नहीं है और डाइरेक्टर और इंस्पेक्टर नहीं बन सकता और यह गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई कल कारखाना नहीं खोल सकता। यह सरकार इस कृषि समस्या को, खाद्य समस्या का, समाधान उत्पादन बढ़ा कर तो नहीं कर सकती, लेकिन यह अनपढ़ आदमी बेरोजगार हो कर मर जायेंग और इस प्रकार इस खाद्य समस्या का समाधान हो जायेगा। इस समस्या का समाधान दो ही प्रकार हो सकता है, एक तो उत्पादन बढ़ा कर और दूसरे इस प्रकार कि खाने वाले ही न रहें। यह सरकार खाद्य उत्पादन को नहीं बढ़ा सकती लेकिन इन अनपढ़ देहाती किसानों को मारने का इन्तिजाम सोच रही है। इसलिए मेरा निवदन है कि अगर यह सरकार समस्या का समाधान करना चाहती है तो इसको उन व्यक्तियों को आगे लाना चाहिए जो इस काम को जानते हैं। इसी बात का सरकार का रोना है। प्रतिरक्षा विभाग में यही हुआ कि अयोग्य लोगों को लगा दिया गया। जिन लोगों के बाप दादे कभी किसी राजा के पड़ोस में भी नहीं रहे उन को मंत्री बना दिया जाता है। ये शब्द कठोर हैं लेकिन क्या किया जाये, यह केनैन की गोली तो देनी ही पड़ती है। इसी लिए मैं ने ये थोड़े शब्द कहे।

†डा० पं० शा० देशमुख (अमरावती) : मैं इस मंत्रालय के नये मंत्री महोदय का स्वागत करता हूं। श्री मल्होत्रा ने अपने भाषण में इस मंत्रालय के कार्य की निन्दा की है। यह कहना बुद्धिमत्ता है कि कृषि का उत्पादन उसी समय बढ़ेगा जब किसान को सन्तुष्ट कर दिया जाये और उस में विश्वास की भावना पैदा कर दी जाये।

श्री पाटिल ने यह घोषणा की थी कि देश की कृषि सम्बन्धी नीति किसान-प्ररित हो। यदि इसे कार्यरूप दिया जा सकता तो बहुत अच्छा था, किन्तु श्री पाटिल इस नीति की घोषणा करने के बाद अधिक दिनों तक इस पद पर नहीं रहे। अब यह उनके उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी है कि इस कार्य को पूरा करे।

कृषि की वांछित प्रगति और उत्पादन के मार्ग में कई कठिनाइयां हैं। सब से बड़ा दोष यह था कि सामुदायिक विकास और कृषि मंत्रालयों को अलग-अलग कर दिया गया था। अब लोगों में यह भावना उत्पन्न हो गई है कि ये दो विभिन्न मंत्रालय न रहे। कृषि मंत्री को यह अधिकार दिया गया है कि व सामुदायिक विकास के कार्य का पर्यवेक्षण कर सकता है। किन्तु इसे वांछित सफलता नहीं मिलेगी। इस का एक ही हल है कि इन दोनों को मिला कर एक ही मंत्रालय बना दिया जाये। कृषि के क्षेत्र में विस्तार नाम की भी कोई चीज है। सामुदायिक विकास कृषि के विस्तार के अतिरिक्त और क्या है। जब यह पता चल गया कि यह विभाजन गलत है तब कई प्रयत्न किये गये। पहले समन्वय के लिये प्रयत्न किया गया। किन्तु यह सफल नहीं हुआ। इसी प्रकार पर्यवेक्षण के कार्य से भी पूरी सफलता नहीं मिलेगी। इन दोनों विभागों को मिला कर एक ही कर दिया जाये इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं।

मेरे माननीय मंत्री ने राज्य व्यापार की भी बात की। यह कार्य भी एक बार असफल हो चुका है। मूल्य रेखा स्थिर रखने का एक ही उपाय है और वह है सहकारी संस्थायें। और यह सहकारी संस्थायें उन्हीं लोगों की होनी चाहिये जो अनाज उत्पन्न करते हैं। उन्हें भी इस व्यवसाय में लाना होगा। इस प्रकार सहयोग और समन्वय होने पर ही मूल्यों को स्थिर रखा जा सकेगा। सहकारिता के सिद्धांतों में अब काफी विकास हो गया है। अब एकमात्र हल यही है कि उत्पादक और उपभोक्ता आपस के सहयोग से कार्य करें। यह तभी हो सकता है जब सहकारिता विभाग खाद्य और कृषि मंत्री के अधीन आ जाये। सहकारिता के अन्दर कई प्रकार का कार्य होना चाहिये और इसे सब प्रकार से विकसित किया जाना चाहिये।

विश्व खाद्य कांग्रस का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था। इस देश ने और सरकार ने उस में जो भूमिका अदा की वह अत्यन्त उपेक्षनीय की। यह सम्मेलन लाखों भूख से पीड़ित लोगों से सम्बन्धित थी। और भारत के लोगों की गिनती भी उन्हीं में है। इसलिये भारत को उस में महत्वपूर्ण योग देना चाहिये था। प्रगतिशील राष्ट्र भूख से पीड़ित लोगों को सहायता देना चाहते हैं। किन्त भूखे राष्ट्र स्वयं सावधान नहीं हैं। डा० लोहिया के आंकड़े चाहे ठीक न हों किन्त यह सच है कि देश के लाखों लोग भूखे रह कर गुजारा कर रहे हैं। कृषि मजदूर ही नहीं बहुत से किसान भी इन लोगों में से हैं।

किन्तु प्रशासन पर इन बातों का असर नहीं होता। वे अपनी पुरानी नीति पर ही चल रहे हैं। योजना आयोग ने अर्थ-सहायता देने के लिये मना कर दिया। मैं चाहता हूं कि खाद्य तथा कृषि मंत्री कुछ मामलों में अर्थ-सहायता लेने का प्रयत्न करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरकों का उपभोग बढ़ रहा है किन्त आशा के अनुरूप नहीं नंगल उर्वरकों का पर्याप्त उपभोग नहीं किया गया । इसके लिये एक निश्चित योजना बनाई जानी चाहिये ।

कई गलतियां की गई हैं । सहकारी विकास के साथ ही भाण्डागार निगम की स्थापना भी की गई । किन्त सहकारिता का काय दूसरे मंत्रालय के पास चला गया । इसलिये ठीक अधीक्षण नहीं हुआ और किसानों के स्थान पर व्यापारियों को ही अधिक लाभ हुआ ।

जल-निकास व्यवस्था की समस्या भी बहुत महत्वपूर्ण है । विशेषकर उत्तर प्रदेश और पंजाब में । इसके लिये एक विशाल योजना तैयार करनी होगी ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : इस वाद विवाद द्वारा हमें नये मंत्री का स्वागत करने के साथ ही कुछ सदस्यों को इस बात का भी अवसर मिल गया है कि वे खाद्य नीति की ओर श्री पाटिल की, जो अब इससे सम्बन्धित नहीं हैं, आलोचना करें । साम्यवादियों द्वारा की गई श्री पाटिल की आलोचना वर्ग-चेतना की द्योतक थी । मैं समझता हूं कि इस ने देश के सम्मुख उपस्थित वास्तविक समस्या पर परदा डाल दिया है ।

श्री बनर्जी ने कहा है कि श्री पाटिल ने अनाज से अधिक आंकड़े पैदा किये हैं । मंत्रालय का कार्य आंकड़े तैयार करना ही है, अनाज उत्पन्न करना नहीं । किन्तु इस में सन्देह नहीं कि रात-दिन हमारे सामने रखे जाने वाले आंकड़ों ने वास्तविक तथ्य का पता लगाना कठिन कर दिया है । इस से कोई लाभ नहीं होता जब सरकार के लिये आंकड़े विशेष दृष्टिकोण की पुष्टि करने के लिये ही प्रस्तुत किये जाते हैं । वास्तविक स्थिति का दिग्दर्शन कराने के लिये नहीं । मूल्यों के देशनांक वास्तविक परिस्थिति नहीं बताते । उदाहरणार्थ जब चीनी २ रुपये प्रति किलो बिक रही थी तब इसका देशनांक १·०९ रुपये प्रतिकिलो था । कुछ आंकड़ हमें ऐसे बताये जाते हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं । हमें बताया गया है कि कानपुर में १९६२ से १९६३ तक देशनांक में परिवर्तन नहीं हुआ तथा अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष भर में केवल ३ प्वाइंट की वृद्धि हुई है । ऐसे विवादास्पद आंकड़ों के प्रति सभा को विश्वास नहीं दिलाया जा सकता ।

ऐसा लगता है कि मुद्रास्फीति हो रही है और मुझ भय है कि यदि एसा हुआ तो हमारी योजना निरर्थक ही सिद्ध होगी । यदि मुद्रास्फीति हुई तो हमारी योजना को गहरा धक्का लगेगा ।

हमारे देश में दो दृष्टिकोण हैं : शहरी उपभोक्ता का और ग्रामीण उत्पादक का । उत्पादक के दृष्टिकोण के अनुसार, जिसके श्री पाटिल भी समर्थक थे किसानों को उचित मूल्य मिले और शहरी क्षेत्रों की निरन्तर यह मांग रही है कि मूल्य कम किये जायें । सदस्यों ने यहां यह सुझाव दिया है कि राज्य द्वारा व्यापार को अपने हाथ में लेने से समस्या सुलझ जायेगी । किन्तु इससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा ।

†**एक माननीय सदस्य** : इस योजना को कार्यान्वित किये जाने के बाद ही इस बात का पता लग सकता है

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : यदि एसा हो तो यह कार्यान्वित किये जाने के योग्य भी नहीं है । सहकारिता को उसी समय कार्यान्वित किया जा सकता है जब यह आशा हो कि इनसे कोई कार्य सिद्ध हो सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

हमें इस बात का प्रयत्न करना है कि औद्योगिक क्षेत्र में अधिकाधिक लोग कार्य करें और ग्रामीण क्षत्र उनके खाने की पूरी व्यवस्था करे। रेगिस्तानी क्षेत्रों में कृषि का उपादन बढ़ाने के लिये कुछ भी नहीं किया गया। राजस्थान नहर बन रही है और यह उस राज्य के एक बड़ भाग की सिंचाई करेगी, किन्त और भी कई क्षत्र हैं जिनका विकास किया जाना चाहिये। मुझ आशा है कि मंत्री महोदय इन सब बंजर क्षत्रों के लिये व्यापक रेगिस्तान विकास प्राधिकार की स्थापना करेंगे। हमसे कई बार भूमि को उपयोग में लाने वाली समितियों के विषय में कहा गया है किन्तु उन के स्थापित किये जाने के विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है। जिले के सघन कृषि के कार्यक्रमों में और तेजी लाई जानी चाहिये और इसके लिये कुछ खंड चुन लिये जाने चाहिये। कुछ खंडों में पैकेज कार्यक्रम भी आरम्भ किये जायें।

†**खाद्य तथा कृषिमंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : हम ६ महीनों के अन्दर कृषि उत्पादन के महत्वपूर्ण प्रश्न पर बहस कर रहे हैं; विशेषकर खाद्य-समस्या को लेकर। अविश्वास प्रस्ताव के समय भी इस पर काफी चर्चा हुई थी। आयव्ययक सत्र के दौरान भी विस्तृत रूप से बहस हुई थी।

अतः वर्तमान चर्चा का काफी महत्व है। मुझे यह कहने में हर्ष है कि अधिकतर सदस्यों ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए सुझाव दिये हैं। इस दृष्टिकोण से मैंने इस वाद विवाद से बहुत लाभ उठाया है।

मेरे लिए यह वाद विवाद बहुत उपयोगी है, क्योंकि मैंने केवल एक सप्ताह पहले ही यह भार संभाला है।

मैं यह कहूंगा कि इस विषय पर दो बार पहले चर्चा हो चुकी है और इन दो अवसरों पर श्री स० का० पाटिल ने जो नीति स्पष्ठ की है, उस से हमारी समस्याओं का पता चलता है। वर्तमान चर्चा के दौरान में कृषि पर जोर दिया गया है और बताया गया है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि का कितना महत्व है। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव से सुझाव दिये हैं, जिनका प्रशासन से भी संबंध रहा है।

मैं सब आलोचनाओं को विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं विभिन्न सुझावों आदि से लाभ उठाना चाहता हूं।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई]

मेरा इरादा यह है कि मैं उन समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख करू जिनका हमारे देश को सामना है और बताऊं कि इनको हल करने के लिए हमारा क्या दृष्टिकोण हैं। कुछ माननीयि सदस्यों ने मुझे देश के विकास और उन्नति के लिए कृषि का महत्व बताया है। यदि समस्या की गहरी जांच की जाये, तो मालूम होगा कि कृषि का देश के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। यदि हम देश का औद्योगिक ढ़ांचा भी देखें, तो मालूम होगा कि औद्योगिक ढ़ांचा भी कृषि पर आधारित है। हाल के वर्षों में हमने उन उद्योगों पर जैसा कि धातें, इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट या तेल आदि पर अधिक ध्यान देना शुरू किया है। किन्तु ऐसा करने से पहले, हमारे उद्योग मुख्यतः कृषि पर आधारित थे। पटसन उद्योग, कपड़ा उद्योग, चाय, तिलहन, बागान, चीनी आदि यह मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं। अतः आर्थिक प्रगति

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिकतर इस बात पर निर्भर है कि देश किस हद तक लाभप्रद मूल्यों पर इन उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार कर सकता है। हमारी बहुत सी ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें विदेशी मुद्रा की आय होती है, वे भी कृषि पर आधारित है। ये वस्तुएं पटसन, चाय, कपास, चीनी, तिलहन, खली, तम्बाकू, गरम मसाले, काफी आदि है।

यह इसलिए अनिवार्य था क्योंकि हमें १९वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति को पूरा लाभ नहीं मिला। मेरा यह विचार है कि हमारे उद्योग कृषि पर राजनीतिक कारणों से कृषि पर आधारित किये गये थे। अब हम शनैः शनैः उस स्थिति से हट रहे हैं और उन क्षेत्रों से लाभ उठा रहे हैं, जो कृषि पर आधारित नहीं हैं। क्योंकि इस में अधिक स्थिरता और विकास हो सकता है। किन्तु यह एक कठोर तथ्य है कि काफ़ी लम्बे समय तक कृषि हमारे देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी।

हम इस पहलू पर विचार करते रहे हैं और हमने समय समय पर ऐसे पग उठाये हैं, जिससे उत्पादन और किस्म दोनों में सुधार हो सके। हो सकता है कि हमें फल उतना नहीं मिला जितना कि हमने प्रयत्न किया है, शायद त्रुटियों के कारण, किन्तु यह एक और मामला है। आधारभूत चीजें हमें मालूम है, फिर भी हमें वे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे, जिनकी हमें आशा थी।

क्या कार्यवाही करनी चाहिये और क्या नहीं करनी चाहिये, उसकी सूची में वृद्धि करना बहुत आसान है। पहली शर्त सबको मालूम है और वह यह है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जायें जिन में उत्पादन बढ़ सके अर्थात वे संभरण और सेवाएं उपलब्ध की जायें, जो उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। इनका रूप विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है।

कई स्थानों पर सूखा होगा और अधिक सिंचाई की सुविधाओं की आवश्यकता होगी, अन्य स्थानों पर पानी को कम करना होगा और भूमि को कृषियोग्य बनाना होगा। अन्य स्थानों पर बाढ़ों द्वारा होने वाली हानि को रोकना होगा। अतः हम जानते हैं कि क्या किया जाना चाहिये या किया जा सकता है। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि संसाधनों की सीमा हो सकती है। दोनों वित्तीय और प्रबन्धात्मक संसाधनों की।

उदाहरणतया सिंचाई सुविधाओं के बारे में, यह बात अच्छी तरह मालूम है कि हमारे देश में कृषि बहुत हद तक प्राकृतिक संसाधनों पर, जैसा कि वर्षा, बाढ़ या छोटी सिंचाई आदि पर निर्भर है। सब सुविधाओं के होते हुए सिंचाई-कृत और गैर-सिंचाईकृत भूमि का अनुपात २० : ८० है अर्थात केवल २० प्रतिशत भूमि में नहर आदि द्वारा सिंचाई हो सकती है। हमें इस अनुपात को बढ़ाना होगा, क्योंकि अन्त में उत्पादकता पानी पर निर्भर है।

इसी कारण बहुत सी योजनायें, बड़ी और छोटी—शुरू की गई हैं, ताकि अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सके। मैं कह सकता हूं कि पिछले १० या १२ वर्षों में सिंचाई में काफी वृद्धि हुई है, नहर द्वारा सींची जाने वाली भूमि में ४० से ५० प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई है।

किन्तु इस सम्बन्ध में प्राकृतिक वित्तीय और आर्थिक सीमाएं हैं। एक बड़ी योजना राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्रों में नहीं पानी पहुंचाना है। इसका अर्थ यह है कि कई सौ

मीलों तक पानी ले जाने वाले रास्ते बनाये जायें, ताकि इन क्षेत्रों में सिंचाई की जा सके। इसके अतिरिक्त लिफ्ट सिंचाई और छोटी सिंचाई की योजनायें हैं। ये सब एक ही दिशा में पग हैं। बड़ी योजनाओं के फल प्राप्त करने में समय लगता है किन्तु जब इनके परिणाम प्राप्त होने लगते हैं, तो अतिरिक्त उत्पत्ति भी अधिक होती है, जैसा कि मुझे पूर्वी पंजाब या पश्चिम पंजाब के मामलों में मालम है।

इन योजनाओं में अधिक पूंजी लगती है। किन्तु कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनमें सुविधायें शीघ्र दी जा सकती हैं। एक स्पष्ट चीज यह है कि अनुसन्धान के परिणाम किसान तक पहुंचाये जायें। गन्ना, कपास, गेहूं और चावल की जो अच्छी किसमें निकाली गई हैं, उन से हमारे देश के किसानों को काफी लाभ पहुंच चुका है और ये नई किसमें उगा कर देश की उत्पादकता बहुत बढ़ाई जा सकती है।

एक महत्वपूर्ण पग जो हमें इस दिशा में उठाना होगा, इस अनुसन्धान का समन्वय है, जो कि इस समय केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर किया जाता है और कुछ स्वायत्त संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है, और इस अनुसन्धान के परिणाम किसानों को पहुंचाये जायें, ताकि वे इससे लाभ उठा सकें।

विस्तार सेवाओं के बारे में कुछ सदस्यों ने इसकी सराहना की है और कुछ ने कहा है कि उनका कोई फ़ायदा नहीं। हो सकता है कि हमने इनसे पूरा लाभ नहीं उठाया। कृषि के विषय में चर्चा करते हुए हमें यह याद रखना चाहिये कि हमारे ५$^{१}/_{२}$ लाख गांव हैं और उनमें करोड़ों लोग रहते हैं। जब तक वे उन्नति के लिये नये तरीके न अपनायें, तो प्रयत्नों का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। हमें उन्हें नवीनतम तरीके बताने चाहिये।

मैं उन सदस्यों को बताना चाहता हूं जो कहते हैं कि विज्ञान और टेकनालोजी ने कृषि को कोई सहयोग नहीं देना, कि कृषि के लिए ठीक ठीक नीतियां निर्धारित करना और फिर उन्हें कार्यसाधक रूप से क्रियान्वित करना बहुत आवश्यक है। उन देशों ने जिन्होंने कृषि में बहुत उन्नति की ह, कृषि अनुसन्धान पर बहुत ध्यान दिया है और इसके हर पहलू का समन्वय किया है और भूमि पर उसे प्रयोग किया है।

चूंकि जनसंख्या बहुत अधिक है, हम उच्च विशेज्ञों को ग्रामों में नहीं भेज सकते, जितना कि हम चाहते हैं। अतः हमें उन लोगों पर निर्भर करना है जो अनुसन्धान के परिणाम जानते हैं और जो किसानों को शिक्षित करने के लिए तैयार हैं। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर और अन्य राज्यों के प्रगतिशील किसानों ने नये तरीकों को अपनाकर बहुत लाभ उठाया है और वितस्तार सेवाओं का प्रयोग किया है। किसानों के लिए इससे अधिक साधन और नहीं हैं कि वे अपनी आंखों से नये तरीकों द्वारा अधिक उत्पादन को देखें।

किसानों को बीज, पानी, बिजली, उपकरण ये सब चीजें उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने चाहियें। इस काम के लिए हम सरकारी संस्थाओं, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों या सहकारी संस्थाओं का प्रयोग करेंगे।

इसके बाद कीटनाशक आदि का उल्लेख किया गया है। बहुत से सदस्यों ने ऋण सुविधाओं का उल्लेख किया है। यदि हम इस विचारधारा को मान लें कि कृषि के मामले में औद्योगिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, तो इस के लिए ऋण के रूप में बहुत से धन की आवश्यकता है। ऋणों के लिए रिजर्व बैंक, सहकारी संस्थायें और कुछ अन्य प्रबन्ध किये गये हैं। उन के लिए भी ऋणों की व्यवस्था है जो अपने कृषि कार्यक्रमों के लिए कोई प्रतिभूति नहीं दे सकते। उन को ऋण मिल सकते हैं जिन की भूमियां नहीं हैं।

†**एक माननीय सदस्य** : ये बहुत सीमित हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : हमें इन की उपलब्धता बढ़ानी होगी। भारतीय किसान सदियों से ग्राम के साहूकार के कर्जे के नीचे दबा हुआ है। बहुत हद कानूनों आदि के जरिये एक ऐसी स्थिति लाई गई है, जब कि वह उस पर उतना निर्भर नहीं है जितना २० या ३० वर्ष पहले था।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू और काश्मीर) : ग्रामीण ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

†**श्री स्वर्ण सिंह**: मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं यद्यपि साहूकार चले गये हैं। उनकी जगह पूर्ण रूप से नई संस्थाओं ने अभी नहीं ली। तकाबी ऋणों, सहकारी संस्थाओं से पशगिया, बीज, उपकरण आदि खरीदने के बारे में काफ़ी सुविधायें दी गई हैं, किन्तु प्रगति हर राज्य में बराबर नहीं हुई अभी बहुत कुछ किया जाना है और किया जाना चाहिये। इस विषय में मतभेद रहा है कि धन की वसूली के लिए क्या अभिकरण होना चाहिये, किन्तु यह आवश्यक है कि यह ऋण बिना कठिनाई की प्रक्रिया के साथ उपलब्ध होना चाहिए। अदायगी की शर्तें भी ऐसी होनी चाहिये कि किसानों की आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखा जा सके। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणों को बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाना बिल्कुल निर्दोष नहीं है जब तक कि यह विकास कार्य के साथ सम्बंद्ध न हो, यह बहुत हानि-कारक सिद्ध हो सकता है ये सुविधायें उस की आवश्यकताओं को देख कर उपलब्ध करनी चाहिये और ऐसी नहीं होनी चाहिये कि वह रुपया ले कर अपव्यय करने लगें।

†**श्री जसवंत महता** : रिजर्व बैंक २ प्रतिशत की दर से ऋण दे रहा है।

†**श्री स्वर्णसिंह** : यह प्रश्न उठाया गया है कि किसान से जो सूद की दर ली जाती है वह रिजर्व बैंक की दर से कहीं अधिक होती है मैंने इस प्रश्न की जांच की है। वास्तविक बात यह है कि किसानों को दिया जाने वाला सारा रुपया रिजर्व बैंक से नहीं आता। यह रुपया विभिन्न साधनों से, सदस्यों के अपने निक्षपों जिला या प्रांतीय सहकारी बैंकों से ऋण ले कर दिया जाता है यदि सारा रुपया रिजर्व बैंक से आता, तो सूद की दरों में इतना अन्तर न होता। चूंकि रुपया विभिन्न जरियों से विभिन्न दरों पर लिया जाता है, इसलिए यह तुलना इतनी न्यायोचित नहीं है। फिर भी राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे सूद की दरों पर पुनर्विचार करें और किसान के लिए इसे कम करने की कोशिश करें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** : वस्तु स्थिति यह है कि ९५ प्रतिशत रुपया रिजर्व बैंक से आता है।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं कह सकता । मैं इस को झुठला नहीं सकता कोई जिला सहकारी संस्था नहीं कह सकती कि पैसा कहां से आता है यह हिसाब का प्रश्न है हम आंकड़े देख सकते हैं । मैंने आंकड़े देखे हैं और कह सकता हूं कि किसान के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है, वह सारा रिजर्व बैंक से नहीं आता। यह अच्छी बात है कि इस का कुछ भाग कम दरों पर उपलब्ध होता है और इस से सामान्य दर कम हो जाती है हमें यह भी याद रखना चाहिये कि सहकारी बैंकों में ग्रामीण तथा शहरी दोनों लोगों के लिए निक्षेप होते हैं और वे इस पर साधारण बैंकों की दर लेते हैं फिर भी इन निक्षेपों के साथ और रिजर्व बैंक से प्राप्त धन के साथ, कुल ऋण किसानों के लिए पर्याप्त नहीं होते । हम इसे बढ़ाना होगा और दरें भी ऐसी रखनी होंगी कि किसानों पर अनुचित भार न पड़े ।

†**श्री क० ना० तिवारी** (बगहा) : मेरे डिस्ट्रिक्ट में और बिहार में जो कर्ज देने का सिस्टम है, वह मैं आपको बतलाता हूं । दो तरह से किसानों को कर्जा दिया जाता है, एक मनी के फार्म में और एक काइंड के फार्म में । आप देखें कि काइंड के फार्म में जो दिया जाता है, उस पर कितना इंटिरेस्ट लिया जाता है । २५ परसेंट उन से इंटिरेस्ट चार्ज होता है जिस को हमारे यहां सवाई सिस्टम कहते हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं विनती करूंगा कि डिटेल्ज़ वह मुझे बता दें । २५ परसेंट तो बहुत अधिक लगता है होना नहीं चाहिए अगर है तो मुनासिब बात नहीं है । यही मैं कह सकता हूं । इस पर विचार किया जा सकता है ।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** : उत्तर प्रदेश में भी २५ परसेंट है ।

†**श्री काशीराम गुप्त** (अलवर) : सवाई सब जगह लेते हैं ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : यह बात नहीं है कि मैं इन समस्याओं से परिचित नहीं हूं मेरा इन से संबंध रहा है किन्तु १६ या १७ वर्ष पहले और इस बीच बहुत से परिवर्तन हो गये हैं मैं इन के बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा और देखेंगे कि सब से उचित तरीका क्या है ?

†**श्री जसवन्त मेहता** (भावनगर) : जब लोगों को २५ प्रतिशत सूद देना पड़ता है, तो क्या सरकार नया सर्वेक्षण करने के लिए तैयार है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : यही मैंने कहा है हमें इस समस्या का हल निकालना चाहिये । मेरे विचार मे हम पहले ही बहुत सर्वेक्षण कर चुके हैं ।

†**श्री हिम्मत सिंहका** (गोड्डा) : शायद इसके लिए २५ प्रतिशत लिया जाता है क्योंकि जो फसल दी जाती है उस समय कीमतें बहुत ऊंची होती हैं ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : अतिरिक्त उत्पादन किया जाय इस के बारे में सब एकमत हैं । और यह बात देश के लिए बहुत अच्छी है । बहुत से देशों के इतिहास में इस प्रकार के मामले को ले कर काफी मतभेद चलता रहा है परन्तु यह सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में योजना बनाने वालों ने हमेशा यह दृष्टिकोण अपने सामने रखा है कि उत्पादन की वृद्धि का यथासम्भव ध्यान रखा जाय ।

एक माननीय सदस्य ने भूमि सुधारों की बात की है । एक ने कहा है कि सहकारी कार्यों के कारण किसानों में अधिक उत्पादन का कोई उत्साह दिखाई नहीं देता । मेरे विचार में यह सब गलत

---

†मूल अंग्रेजी में

बातें हैं। हमारे देश का किसान काफी समझदार है और अपने हित की बात समझता है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सरकार ने निरन्तर भूमि सुधारों की दिशा में प्रगतिशील पग उठाये हैं। राज्यों तथा केन्द्र दोनों सरकारों में भूमि सुधारों के लिए समुचित कार्यवाही आरम्भ कर दी है। बहुत से मामलों में तो इस दिशा का कार्य पूर्ण भी कर लिया गया है। इससे किसानों की स्थिति और अधिक सुरक्षित हो गयी है भूमि को सुधारने का कार्य हो जाने से किसानों का शोषण भी बन्द हो गया है। इस का परिणाम यह निकला है कि किसानों की स्थिति निरन्तर प्रगति की ओर तथा मजबूती की तरफ जा रही है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि कुछ भूमि सुधार के कानूनों के कारण कुछ क्षेत्रों में भूमि छोटी अथवा अलाभदायक हो गयी है। यही कारण है कि सरकार की ओर से स्वेच्छा के आधार पर सहकारी खेती करने का प्रचार किया जा रहा है। इस प्रकार से हम उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हम अपनी योजनाओं को इस प्रकार से कार्यान्वित कर रहे हैं जिस से किसान को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

सरकार को इस बात का पूरी तरह ज्ञान है कि कृषि तथा सम्बन्धित विषयों के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का अभाव है। इस से पैदा हो जाने वाले खतरों के प्रति भी सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है। और वह समन्वय स्थापित करने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही है। इस में कोई सन्देह नहीं कि केन्द्र और राज्यों में समुचित समन्वय स्थापित हो जाय तो उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जायेगा। मुझे पंजाब के मुख्य मंत्री श्री प्रताप सिंह कैरों के इस निश्चय से काफी प्रसन्नता हुई है कि तीन और चार वर्षों में पंजाब में उत्पादन सौ प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा दिया जायेगा। यदि यह बात पंजाब में संभव है तो अन्य राज्यों में भी सम्भव हो सकती है। विभाजन से पूर्व पंजाब अभाव वाला क्षेत्र था परन्तु अब वहां फालतू उत्पादन भी उपलब्ध है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ें तो आती ही रहेंगी। हम बाढ़ों के साथ रहना सीखना होगा। कहीं बाढ़ आयेगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं पानी भर जायेगा, यह समस्यायें तो चलती रहेंगी यह बात नहीं कि हम इन का कोई उपाय नहीं करेंगे। मेरा कहना है कि इनके बाबजूद हमें अपने साधनों को प्रयोग में लाना है। जो कुछ हम कर सकते हैं वह यह है कि हम अपना उत्पादन इतना बढ़ायें कि इन बाढ़ों, सूखों से जो कमी हो जाये उसे पूरा कर लिया जाय। देश की बाढ़ समस्या का अन्तिम हल यही है कि अधिक उपज बढ़ायी जाये। और इस मामले में देश को आत्म-निर्भर बना लिया जाय। बाहर से अनाज इत्यादि का आयात करके उन पर लगातार निर्भर रहना बहुत खतरनाक परिणाम पैदा कर सकता है। यद्यपि हम उन देशों के आभारी हैं जो हमें खाद्यान्न देते हैं। हमें स्वयं ही अतिरिक्त उत्पादन करके इस कमी को पूरा करना होगा।

खाद्य स्थिति के सम्बंध में मेरा निवेदन है कि हमारी नीति सामान्यतः यह रही है कि उपलब्ध अनाज को अच्छे से अच्छे ढंग से वितरण किया जाये ताकि कहीं भी कोई संकटकालीन स्थिति उत्पन्न न हो। प्रादेशिक वितरण प्रणाली इसी उद्देश्य से लागू की गयी थी। हम यही चाहते थे कि देश के अन्दर अन्धाधुन्ध तरीके से खाद्य इधर से उधर न ले जाया जाए, अधिक खाद्य वाले इलाकों को कमी वाले क्षत्रों के साथ जोड़ा गया है ताकि वे एक दूसरे के लिए काम आ सकें।

चावल को छोड़ कर खाद्यान्नों की उपलब्धि और कीमतें संतोषजनक हैं। आशा की जाती है कि अक्तूबर में जब नई फसल बाजार में आएगी चावल के दाम गिरेंगे। बहुत सी उचित दामों वाली दुकान देश के भिन्न भिन्न भागों में खोली गई हैं, आशा की जाती है कि बुरी अवस्था समाप्त हो गई है और निकट भविष्य में चावल की स्थिति सुधर जाएगी। सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिस से खाद्यान्न

[श्री स्वर्ण सिंह]

का वितरण एसे दामों पर किया जाए जो कृषकों एवं उपभोक्ताओं दोनों के लिए ठीक हों। इस सम्बंध में विनियमात्मक उपायों का सहारा लिया जाएगा। राज्यों को इस बात के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया गया है कि समाज विरोधी लोग अभाव की स्थिति का लाभ न उठाने पायें, उनको कहा गया है कि इस कार्य के लिये भारत सुरक्षा नियमों को प्रयोग में लाएं। आशा है कि राज्य समुचित कार्रवाई करेगा ।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही करने को कहा है :

(१) महत्वपूर्ण अनाज तथा चीनी केवल नियमित रूप से बचने वालों को ही दी जाय, अन्य कोई उसे न बेच सके ।

(२) परचून और थोक व्यापारी अधिक मुनाफा न कमायें । (३) गलत आंकड़े देने, गलत हिसाब रखने और गलत जनकारी देने पर कार्यवाही होनी चाहिए। (४) सस्ती दुकानों पर तथा अन्य दुकानों पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक लेना अवैध समझा जायेगा। आशा है कि इस बारे में अपने अपने हालात के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारें कार्यवाही करेंगी ।

संक्षेप में वितरण के बारे में ये बातें हैं जो मैंने कही हैं। देहाती विकास की दिशा का चित्र भी मैंने प्रस्तुत कर दिया है। यही आज की चर्चा का विषय था जिस में कि बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया। मैं उन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विषय में इतनी रुचि ली।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं उत्तर देना चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप कल ऐसा कर सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १० सितम्बर, १९६३ / १९ भाद्र १८८५ (शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, ९ सितम्बर, १९६३
१८ भाद्र, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२४६३—८५
तारांकित प्रश्न संख्या		
५५४	विदेशों में भारतीय दूतावास	२४६३—६५
५५५	राकेट या टैंक—रोधी प्रस्त्र	२४६५—६६
५५६	फ्रांस से हेलीकोप्टर .	२४६७—६९
५५८	सशस्त्र सेना में भरती	२४६९—७२
५५९	पहाड़ी डिवीजन	२४७२—७३
५६०	बोनस कमीशन . .	२४७४—७५
५६१	पाकिस्तानियों द्वारा सीमा पर हमले .	२४७५—७९
५६२	गोआ में श्रमिक विधियां .	२४७९—८१
५६४	नाभिकीय औषधि संस्था . .	२४८१—८२
५६५	दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध	२४८२—८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२४८५—२५१७
तारांकित प्रश्न संख्या		
५५७	विदेशी नौसैनिक अड्डे	२४८५
५६३	नागालैंड में चीन समर्थक इश्तहारों का वितरण .	२४८५
५६६	गोआ में विकास योजनायें .	२४८५—८६
५६७	तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन	२४८६
५६८	मैडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर में सेना के कमीशन	२४८६
५६९	इजरायल के साथ राजनयिक सम्बन्ध .	२४८६—८७
५७०	नौसेना के लिये युद्धपोत .	२४८७
५७१	आकाशवाणी द्वारा प्रयुक्त भाषा	२४८७
५७२	विज्ञाग नौसैनिक अड्डा .	२४८७—८८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

५७३ योजना आयोग में कर्मचारियों की स्थिति . २४८८–८९
५७४ आगरा के निकट भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना . २४८९
५७५ प्रेस के लिये आचार संहिता २४८९
५७६ ग्वालियर में सैनिकों के लिये बैरकें . . २४८९–९०
५७७ हिन्द महासागर २४९०
५७८ राष्ट्रीय श्रम अनुसन्धान संस्था . . २४९०–९१
५७९ नेफा में आदिम जातियों का कल्याण . . २४९१

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६११ नौसेना के लिये जहाज . . . २४९१
१६१२ बेकार स्नातक २४९२
१६१३ सम्बलपुर में ट्रांसमीटर २४९२
१६१४ उड़ीसा के काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध महिलायें . २४९२
१६१५ राजस्थान में काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध महिलायें . २४९३
१६१६ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी २४९३
१६१७ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी २४९३–९४
१६१८ उड़ीसा में सैनिक स्कूल २४९४
१६१९ आकाशवाणी के स्थायी कर्मचारी . २४९४
१६२० महाराष्ट्र में बेकारी . . . २४९४–९५
१६२१ महाराष्ट्र में ग्राम्य औद्योगिक परियोजनायें . . २४९५
१६२२ गोआ में तैनात किये गये केन्द्रीय सेवा के अधिकारी . २४९५–९६
१६२३ भारतीय सेना अधिकारी . . . २४९६
१६२४ भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून में नाइजीरिया के लोग . २४९६
१६२५ जवानों के लिये कानूनी सहायता . . २४९७
१६२६ उत्कृष्ट फिल्मों का निर्माण २४९७–९८
१६२७ प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये विदेशी मुद्रा . . २४९८
१६२८ कोडइकनाल में उत्तुंग प्रयोगशाला . . . २४९८
१६२९ केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली में अग्निकांड . . २४९९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६३०	नागा	२४९९
१६३१	जम्मू में पाकिस्तानियों द्वारा छापा	२४९९–२५००
१६३२	गोआ में हिन्दी शिक्षण	२५००
१६३३	नेफा में सुधार	२५००
१६३४	रिज़र्व बैंक, कानपुर के कर्मचारी	२५०१
१६३५	नेशनल असेम्बली में पाकिस्तान के मंत्री का वक्तव्य	२५०१–०२
१६३६	पाकिस्तान से विद्रोही नागाओं का प्रवेश	२५०२
१६३७	पूर्वी पाकिस्तान द्वारा कलकत्ता बन्दरगाह का उपयोग	२५०३
१६३८	हज यात्री	२५०३
१६३९	भारत-चीन सीमा-विवाद	२५०३–०४
१६४०	विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिये "पैट्रिघाट"	२५०४
१६४१	एमरजेंसी कमीशन	२५०४––०७
१६४२	सी० ओ० डी०, कानपुर	२५०७
१६४३	औद्योगिक कर्मचारियों को 'अर्जित छुट्टी'	२५०७–०८
१६४४	अखबारी कागज के कोटे का आवंटन	२५०८
१६४५	शाट गन के लिये कारतूस	२५०८–०९
१६४६	कृषि उत्पादन पर भूमि सुधारों का प्रभाव	२५०९–१०
१६४७	भूतपूर्व सैनिकों के वेतन क्रम	२५१०
१६४८	वायुयान के लिये उत्पादन एकक	२५१०–११
१६४९	टैंकों का निर्माण	२५११
१६५०	रासायनिक उद्योगों के मजदूर	२५११
१६५१	कलकत्ता के लिये ट्रांसमीटर	२५१२
१६५२	पारपत्र कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	२५१२
१६५३	सैनिक मैडिकल कोर	२५१२–१३
१६५४	"नाट" लड़ाकू जेट	२५१३
१६५५	उड़ीसा म सैनिक प्रशिक्षण स्कूल	२५१३
१६५६	सैनिक भूमि का बकाया किराया	२५१३–१४
१६५७	पांडिचेरी के लिये 'प्रकृष्ट न्यायाधिकरण'	२५१४
१६५८	कपड़ा उद्योग के लिये कर्मचारी भविष्य निधि योजना	२५१४

१६५९ गोरखपुर में खनिकों का होस्टल २५१५–१६
१६६० चीनी वायुयान द्वारा भारतीय वायु-क्षेत्र का अतिक्रमण २५१६
१६६१ आसाम में सैनिक स्कूल २५१६
१६६२ प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला . . २५१७
१६६३ प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा खर्च न की गई रकमें २५१७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना २५१७–२६

(एक) श्री भागवत झा आजाद ने तेल साफ करने के गैर-सरकारी कारखानों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति दिये जाने के बारे में सरकार की तेल सम्बन्धी नीति के कथित पुनरीक्षण की ओर खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाया ।

खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(दो) श्री हेम बरुआ ने पाकिस्तानी जासूसों के एक गिरोह का पता लगने की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा के कार्य के बारे में २५२६–२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५२७

(१) भारतीय सेना के सैनिकों के शवों को प्राप्त करने और उनके दाह संस्कार के बारे में भारत सरकार और चीन सरकार के बीच हुआ निम्नलिखित पत्र-व्यवहार :—

(क) पेकिंग के वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा चीन स्थित भारतीय दूतावास को दिया गया दिनांक १३ अगस्त, १९६३ का ज्ञापन ।

(ख) नई दिल्ली के वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा भारत स्थित चीनी दूतावास को दिया गया दिनांक १४ अगस्त, १९६३ का ज्ञापन ।

(ग) पेकिंग के वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा चीन स्थित भारतीय दूतावास को दिया गया दिनांक, १५ अगस्त, १९६३ का ज्ञापन ।

(घ) नई दिल्ली के वैदेशिक-कर्य मंत्रालय द्वारा भारत स्थित चीनी दूतावास को दिया गया दिनांक २० अगस्त, १९६३ का ज्ञापन ।

(२) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४०२ म प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (सोलहवां संशोधन) योजना, १९६३ की एक प्रति ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २५२७–२८

सचिव ने वर्तमान सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और २ सितम्बर, १९६३ को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखा :—

(१) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६३

(२) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६३

राज्य सभा से सन्देश . . २५२८

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा अपनी ४ सितम्बर, १९६३ की बैठक में प्रौद्योगिकीय संस्थायें (संशोधन) विधेयक, १९६३ से जो लोक सभा द्वारा १३ अगस्त, १९६३ को पारित किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य २५२८–३५

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) ने "हमारी प्रतिरक्षा की तैयारी" (अवर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस) के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि और खाद्य नीति के बारे में प्रस्ताव २५३६–६८

५ सितम्बर, १९६३ को क्रमशः सर्वश्री स० मो० बनर्जी और यशपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि और खाद्य नीति सम्बन्धी प्रस्तावों पर संयुक्त चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, १० सितम्बर, १९६३/१९ भाद्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि और खाद्य नीति के बारे में प्रस्तावों तथा राष्ट्रीय आय के वितरण के सम्बन्ध में अग्रेतर चर्चा और संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवदन पर विचार ।

———